खण्ड-450, अंक-1
गुरुवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1926
(5 अगस्त, 2004 ई0)

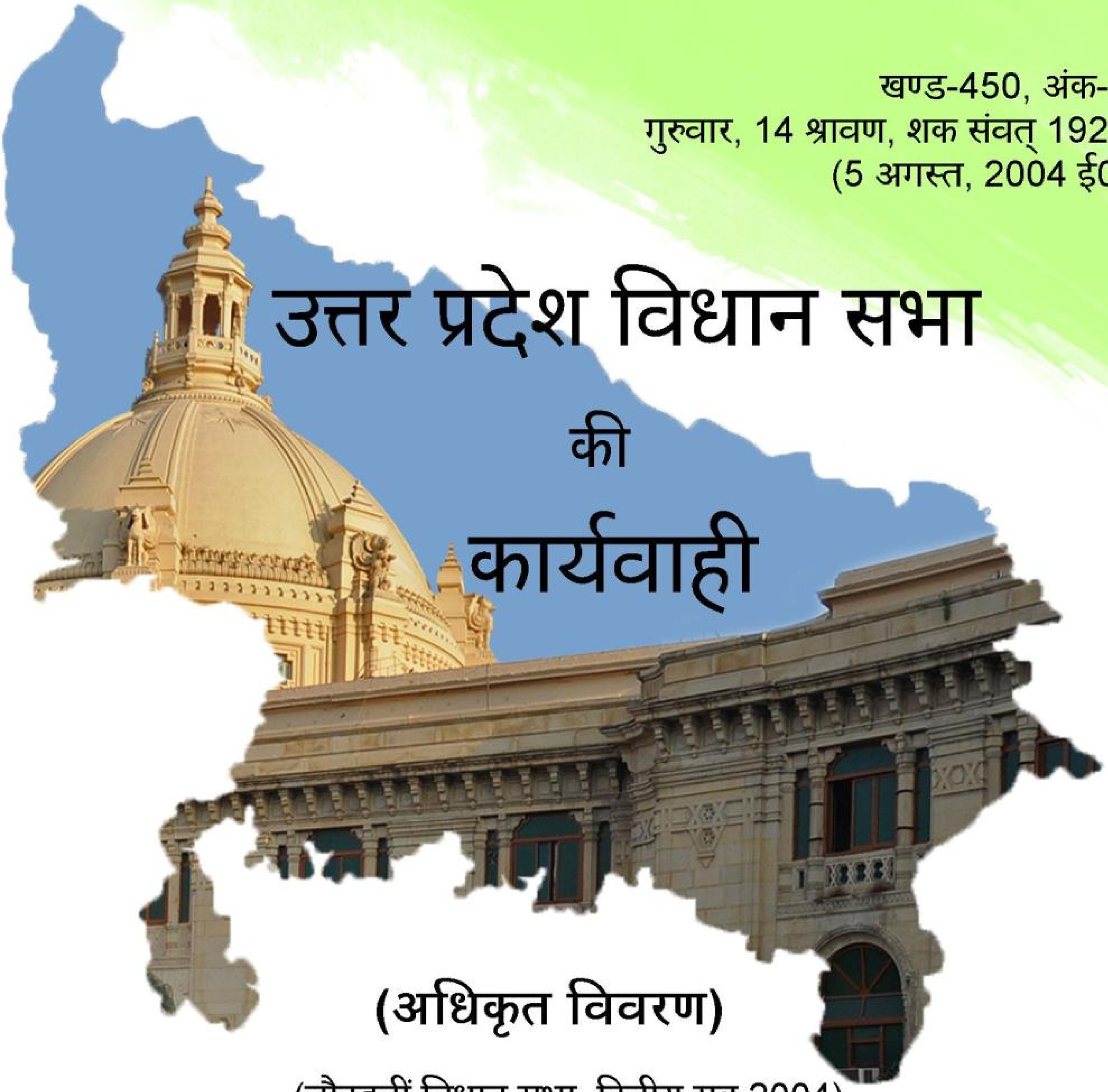

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 450 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि परिषद, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	च-ण
उपस्थित सदस्य	त-न
जनपद फैजाबाद, अयोध्या में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कालोनी बनाये जाने विषयक नियम-56 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1-7
प्रश्नोत्तर	8-38
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	
मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्र के सिरसी कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
प्रदेश में पी0सी0एस0 अधिकारियों को बार-बार स्थानान्तरित स्थान पर तैनात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
सादुल्लानगर, गोण्डा के कतिपय ग्रामों में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को समयबद्ध सीमान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद सीतापुर में अवध शुगर मिल हरगाँव के एक कर्मचारी की मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा ईरनी में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बनध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत कालपी राठ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
शाहजहाँपुर में घनी आबादी के बीच चल रही अवैध गोश्त की दुकानों को हटाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	41
श्री मो0 इरशाद खान के परिवार पर हुए जानलेवा हमले की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने पर औचित्य का प्रश्न	41
नगरपालिका अध्यक्षों तथा नगर पंचायतों के नामांकन की तिथि सत्रकाल में बढ़ाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	41
गत सत्र में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के औचित्य के प्रश्न की सूचना पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	42-43
मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	43-46
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-953/ग्यारह-9 (458)/94-उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश (7) 2003 (सदन के पटल पर रखी गयी)	46

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1635/ग्यारह-6 (4)/87-उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश (15) 2003 (सदन के पटल पर रखी गयी) 46

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2489/ग्यारह-9 (81)/91-उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (19) 2003 (सदन के पटल पर रखी गयी) 47

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-159/ग्यारह-9 (203)/92-उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (1) 2004 (सदन के पटल पर रखी गयी) 47

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-223/ग्यारह-9 (35)/2003-उ0प्र0 अधि0-15-48 नियम-1948-2004 (6) (सदन के पटल पर रखी गयी) 47

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-441/ग्यारह-9 (124)/2003-उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश (10) 2004 (सदन के पटल पर रखी गयी) 47

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1769/ग्यारह-9 (1)/2004-उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (17) 2004 (सदन के पटल पर रखी गयी) 47

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1797/ग्यारह-9 (8)/2002-उ0प्र0 अधि0-15-48 नियम-1948-2004 (22) (सदन के पटल पर रखी गयी) 48

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 29वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 तथा 30वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 (सदन के पटल पर रखे गये) 48

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001(सदन के पटल पर रखा गया) 48

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया) 48

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया) 48

उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 (पुर:स्थापित) 49

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पुर:स्थापित) 49

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पुर:स्थापित) 49-50

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुर:स्थापित) 50

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुर:स्थापित) 50

विधान सभा के सदस्यों को आवास समिति के माध्यम से भूखण्ड/फ्लैट्स उपलब्ध कराये जाने की सूचना 51-52

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 52-61

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित) 62-63

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित) 63-74

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित) 74-75

पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित उपयोग हेतु उसकी धनराशि तुरन्त अवमुक्त किये जाने विषयक प्रो0 शिवाकान्त ओझा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत) 75-88

उत्तर प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 89-99

प्रदेश के छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने की चर्चा पर समय बढाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 99

उत्तर प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत) 99-102

राष्ट्रीय सहारा टी0वी0 चैनल तथा दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के विरूद्ध गलत सूचना प्रसारित व प्रकाशित किये जाने के कारण, विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना 102

आगरा के ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में अपूर्ण विद्युत कार्यों को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल वर्मा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा 102-109

विधायक निधि के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा 109-115

प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुरूप न होने से बड़ी मात्रा में अधोमानक दवायें उपलब्ध होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) 115-116

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं। 116-117

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को स्वीकृत के सम्बन्ध में घोषणा के उपरान्त भी पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ऊर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन 117

जनपद सुल्तानपुर में सांसद निधि द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण में कार्यदायी संस्था और डी0आर0डी0ए0, सुल्तानपुर की मिलीभगत से किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य 117-118

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद डा0 राघव राम, अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ की नियुक्ति का कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 118-119

लखनऊ महानगर की अविकसित कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य 119-120

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य 120-121

जनपद मऊ के सरदार बल्लभ भई पटेल इण्टर कालेज भदॉव से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला हलधरपुर के सहायक अध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह का वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य 121-122

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन की मरम्मत तथा सड़कों का उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री मुंशीलाल गौतम द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 122

जनपद जालौन में ए0डी0ओ0 विद्युत कालपी द्वारा तार टूटने से जले व्यक्ति की शिकायत करने गये नागरिकों के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 123

जनपद आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के अन्तर्गत टोंस नदी पर बनेहरा नियाउज घाट पर पुल निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वार नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 123-124

बहराइच जिले के राजस्व विभाग में व्याप्त अराजकता से उत्पन्न स्थिति पर श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन 124

जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड रोहनिया में ग्राम परसीपुर में अम्बेडकर ग्राम सराय अख्तियार तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 124-125

जनपद प्रतापगढ के पट्टी क्षेत्र में 132 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 125

जनपद अम्बेडकर नगर में बिसुड़ी, महरूवां आदि कतिपय घाटों पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 126

प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों से लिया जाने वाला शुल्क राजकीय अस्पतालों के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-12 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा 126-127

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना विषयक दिनांक 27 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या-96 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गई सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा 127-129

प्रदेश सरकार को राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण के अधिकार को बहाल कर दिये जाने के फलस्वरूप गन्ना किसानों को सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की भांति, निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कराने विषयक दिनांक 29 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-7 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) 129-133

गन्ना मूल्य विषयक दिनांक 29 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-7 नत्थी (ख) पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत) 133

प्रदेश सरकार को राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण के अधिकार को बहाल करने के फलस्वरूप गन्ना किसानों को सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की भांति निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कराने विषयक 29 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-7 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा 134-136

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद में कार्य करने हेतु एक सदस्य का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 137

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1- अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2- अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3- अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4- अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5- अजय कुमार, डा0 — बागपत
6- अजय राय, श्री — वाराणसी
7- अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
8- अताउल रहमान, श्री — बरेली
9- अनवर महमूद श्री, — बलरामपुर
10- अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
11- अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12- अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
13- अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14- अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
15- अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
16- अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
17- अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
18- अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू,श्री — पीलीभीत
19- अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
20- अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
21- अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
22- अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
23- अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
24- अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
25- अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
26- अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
27- अमरमणि, श्री — महराजगंज
28- अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
29- अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
30- अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
31- अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
32- अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
33- अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
34- अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
35- अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
36- अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
37- अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
38- अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
39- अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
40- अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
41- अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
42- अशोक वाजपेयी, डा0 — हरदोई
43- अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
44- आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
45- आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
46- आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
47- आर0के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
48- आर0के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
49- आलम बदी, श्री — आजमगढ़
50- आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
51- आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
52- आशीष यादव, श्री — बदायूँ
53- आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूँ
54- इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
55- इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
56- इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
57- इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
58- उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
59- उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी
60- उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
61- उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
62- उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
63- ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
64- ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं

65- ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
66- ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
67- ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
68- ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
69- ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
70- ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
71- कपिल देव यादव, श्री — मऊ
72- कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
73- कमलेश कुमार पाठक, श्री — कानपुर देहात
74- कमाल युसूफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
75- कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
76- काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
77- कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
78- कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
79- काशी राम, श्री — रामपुर
80- किरन पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
81- किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
82- किशन लाल बघेल, श्री — आगरा
83- कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
84- कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
85- कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
86- कृष्णानन्द राय, श्री — गाजीपुर
87- कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
88- केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
89- कैलाश, श्री — गाजीपुर
90- कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
91- कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
92- कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
93- कौशल किशोर, श्री — खीरी
94- कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
95- गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
96- गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
97- गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
98- गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
99- गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
100- गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
101- घूरा राम, श्री — बलिया
102- चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
103- चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
104- चन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
105- चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
106- चितरंजन स्वरुप, श्री — मुजफ्फरनगर
107- छेदी राम, श्री — गाजीपुर
108- छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
109- छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
110- जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
111- जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
112- जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
113- जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
114- जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
115- जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
116- जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
117- जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
118- जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
119- जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
120- जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
121- जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
*122-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकर नगर
123- जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
124- जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
125- जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
126- जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
127- ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
128- तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
129- डी0 प्रसाद,अहिरवार, श्री — चित्रकूट
130- दयाराम, श्री — कौशाम्बी
131- दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
132- दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थ नगर
133- दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
134- दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
135- दीनानाथ भाष्कर, श्री — संत रविदास नगर, भदोही

136-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
137-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
138-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
139-देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
140-देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
141-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
142-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
143-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
144-धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
145-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
146-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
147-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
148-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
149-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
150-धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
151-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
152-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
153-नरेन्द्र कुमार गौर, डा0 — इलाहाबाद
154-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री* — सीतापुर
155-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
156-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
157-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
158-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
159-नारद राय, श्री — बलिया
160-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
161-पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
162-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
163-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
164-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
165-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
166-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
167-प्रदीप जैन "आदित्य", श्री — झांसी
168-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
169-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
170-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
171-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
172-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
173-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
174-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
175-प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
176-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
177-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
178-फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
179-फागू, श्री — मऊ
180-बंशीधर राज, श्री — खीरी
181-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
182-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
183-बाबू राम, एम0काम0, श्री — जालौन
184-बाबू लाल, श्री — गोण्डा
185-बाबू लाल, चौधरी — आगरा
186-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
187-विजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
188-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
189-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
190-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
191-बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट — जालौन
192-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
193-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
194-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
195-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
196-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
197-भरत सिंह, श्री — बलिया
198-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
199-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
200-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
201-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
202-मदन चौहान, श्री — गालियाबाद
203-मदन भैया, श्री — बागपत
204-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
205-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
206-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
207-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
208-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

209-महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
210-महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
211-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री सीतापुर
212-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
213-महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
214-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
215-महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
216-महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
217-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
218-मान पाल सिंह, श्री एटा
219-माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
220-मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
221-मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
222-मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
223-मुकुट बिहारी, वर्मा, श्री बहराइच
224-मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
225-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
226-मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
227-मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
228-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
229-मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
230-मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
231-मोहम्मद वशीर, चौधरी आगरा
232-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
233-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
234-मो0 शफीर, श्री फतेहपुर
235-यशपाल चौधरी, श्री खीरी
236-यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
237-याकूब, हाजी मेरठ
238-योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
239-योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
240-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
241-रणवीर राणा, श्री मेरठ
242-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर कुशीनगर
243-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
244-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
245-रमेश कान्त लवानिया, श्री आगरा
246-रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
247-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
248-राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
249-राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
250-राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
251-राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
252-राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
253-राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
254-राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
255-राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
256-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
257-राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
258-राजा राम, श्री प्रतापगढ़
259-राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
260-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
261-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
262-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
263-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
264-राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
265-राजेश कुमार, श्री खीरी
266-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
267-राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
268-राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
269-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
270-राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
271-राम करन आर्य, श्री बस्ती
272-राम किशुन, श्री वाराणसी
273-राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
274-राम कृष्ण, श्री सीतापुर
275-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

276-रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
277-राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
278-रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
279-रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
280-राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
281-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
282-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
283-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
284-राम बाबू हरित, डा0 — आगरा
285-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
286-राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
287-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
288-रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
289-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
290-राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
291-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
292-राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
293-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
294-रामहेत, श्री — सीतापुर
295-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
296-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबा फूले नगर
297-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
298-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
299-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
300-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
301-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
302-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
303-लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
304-वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
305-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
306-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
307-विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदासनगर, भदोही
308-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
309-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
310-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
311-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
312-विनय शाक्य, श्री — औरैया
313-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
314-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
315-विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
316-विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
317-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
318-विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
319-विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
320-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
321-विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
322-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
323-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
324-वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
325-वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
326-वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत" राजा, श्री — ललितपुर
327-वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
328-वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
329-शंख लाल मांझी, श्री — सन्त कबीर नगर
330-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — संत रविदास नगर भदोही
331-शब्बीर, श्री — बहराइच
332-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
333-शदरवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
334-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
335-शाकिर अली, श्री — देवरिया
336-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
337-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
338-शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
339-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
340-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
341-शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
342-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
343-शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
344-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
345-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर — प्रतापगढ़
346-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज

347-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
348-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
349-श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
350-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
351-श्याम नारायन, श्री — महराजगंज
352-श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
353-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
354-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
355-श्रीराम भारती, श्री — मिर्जापुर
356-संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
357-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
358-संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
359-सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
360-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
361-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
362-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
363-समरपाल सिंह, श्री — बागपत
364-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कु0 — मुरादाबाद
365-सलिल बिशनोई, श्री — कानपुर नगर
366-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
367-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
368-सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
369-सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
370-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
371-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
372-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
373-सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 — बांदा
374-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
375-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
376-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
377-सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
378-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
379-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
380-सुल्तान बेग, श्री — बरेली
381-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
382-सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
383-सोमारु राम सरोज, श्री — जौनपुर
384-सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
385-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
386-हरि ओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
387-हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
388-हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
389-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" — वाराणसी
390-हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
391-हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
392-होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर

नोट:- 12 स्थान रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल
श्री टी0 वी0 राजेश्वर
मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1-	श्री मुलायम सिंह यादव	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, कर एवं निबन्धन(व्यापार कर), मनोरंजन कर, न्याय, विधायी, औद्योगिक विकास, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, सहकारिता, आबकारी (मद्य निषेध को छोड़कर), ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, संस्कृति तथा कृषि शिक्षा।
2-	श्री मोहम्मद आजम खां	संसदीय कार्य, नगर विकास
3-	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, कृषि, विदेश व्यापार
4-	श्रीमती अनुराधा चौधरी	सिंचाई
5-	श्री कोकब हमीद	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पर्यटन
6-	श्री अहमद हसन	परिवार कल्याण
7-	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
8-	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
9-	श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल	परिवहन
10-	डा0 अशोक बाजपेयी	कृषि एवं धर्मार्थ कार्य।
11-	श्री किरन पाल सिंह	बेसिक शिक्षा
12-	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व
13-	श्री हरि शंकर तिवारी	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा।
14-	श्री राम गोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार
15-	श्री शाकिर अली	लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ
16-	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम
17-	श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद	बाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास।
18-	श्री आर0 के0 चौधरी	खेलकूद, युवा कल्याण
19-	श्री राजा राम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
20-	श्री ओम प्रकाश सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास

21-श्री वीरेन्द्र सिंह	पशुधन
22-श्री राजकिशोर सिंह	उद्यान
23-श्री राम प्यारे सिंह	पर्यावरण
24-श्री जगदीश सिंह राना	लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग
25-श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल
26-श्री राकेश कुमार वर्मा	कारागार
27-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया	खाद्य एवं रसद

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1-श्री कामेश्वर उपाध्याय	दुग्ध विकास
2-श्री दिनेश सिंह	बैंकिंग, अर्थ एवं संख्या एवं प्रशासनिक सुधार
3-श्री बाबू लाल	खाद्य प्रसंस्करण, राजनैतिक पेंशन, भाषा एवं मद्य निषेध
4-श्री महबूब अली	पिछड़ा वर्ग कल्याण
5-श्री राजपाल त्यागी	ग्राम्य विकास
6-श्री वीरेन्द्र सिंह	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
7-श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा
8-श्री शंखलाल माझी	मत्स्य
9-श्री श्याम नारायण	विकलांग कल्याण
10-श्री हाजी याकूब	अल्पसंख्यक, हज

राज्य मंत्री

1-श्री अजीत कुमार राजू	बेसिक शिक्षा
2-श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	लोक निर्माण
3-श्री इकबाल महमूद	राजस्व
4-श्री कैलाश	औद्योगिक विकास
5-श्री गंगा प्रसाद पुष्कर	कृषि शिक्षा
6-श्री जयवीर सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
7-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र	नियोजन
8-श्री नारद राय	नगर विकास
9-श्री बनवारी सिंह यादव	प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10-श्री मानपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा
11-श्री योगेश प्रताप सिंह	सिंचाई
12-श्री राजेन्द्र सिंह राना	परिवहन
13-श्री राम आसरे विश्वकर्मा	उच्च शिक्षा
14-श्री विनोद कुमार सिंह	चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर)
15-श्री सीताराम निषाद	कारागार
16-श्री सूरज सिंह शाक्य	कारागार
17-श्री शारदा नन्द अंचल	सहकारिता
18-श्री शाहिद मंजूर	वित्त
19-श्री शैलेन्द्र यादव	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण
20-श्री स्वामी ओमवेश	गन्ना विकास
21-श्री संजय गर्ग	कर एवं निबन्धन (व्यापार कर)
22-श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	खाद्य एवं रसद
23-श्री जय प्रकाश यादव	कृषि

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल,

श्री लालजी टण्डन

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

श्री राजेश अग्रवाल

प्रमुख सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

अधिष्ठाता मण्डल

1. श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),
2. श्री बंशीधर राज, सदस्य, विधान सभा (खीरी),
3. श्री वसीम अहमद, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़),
4. श्री दीनानाथ भाष्कर, सदस्य, विधान सभा (भदोही),
5. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली),
6. डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ),
7. डॉ0 रामबाबू हरित, सदस्य, विधान सभा (आगरा),
8. श्री गयाचरण दिनकर, सदस्य, विधान सभा (बांदा),
9. श्री भगेलूराम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),
10. श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्य, विधान स[illegible] इलाहाबाद)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 5 अगस्त, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-351

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अजय कुमार, डा0	बागपत	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अजय राय, श्री	वाराणसी	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अनवर महमूद श्री,	बलरामपुर	अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	आदित्य विक्रम सिंह	
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	(बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आर0के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
अनीस अहमद खां उर्फ		आलम बदी, श्री	आजमगढ़
फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अनुग्रह नारायण उर्फ		आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आशीष यादव, श्री	बदायूं
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
अब्बास अली जैदी	बाराबंकी	इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उर्फ रुश्दी मियां, श्री		उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
अमरमणि, श्री	महराजगंज	उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
अमर सिंह यादव पुत्र	हाथरस	उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
श्री सुन्दर सिंह, श्री		ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरन पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, श्री	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र कुमार गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू राम, एम0काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी, वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह, उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, (भदोही)
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत

विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला भगत राजा	ललितपुर
शंखलाल माझी, श्री	सन्त कबीरनगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	संत रविदास नगर (भदोही)
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शदरवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मुजूर, श्री	मेरठ
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कु0	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0	बांदा
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारु राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी, श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट-श्री राम प्यारे सिंह, पर्यावरण मंत्री, श्री बनवारी सिंह यादव, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री, श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तथा श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद फैजाबाद, अयोध्या में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कालोनी बनाये जाने विषयक नियम-56 की सूचना को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग

*डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 में हमने एक सूचना, दी है। प्रदेश शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कालोनी बनाने का निर्णय कर लिया गया है और निर्णय ही नहीं कर लिया गया है, बल्कि उस पर कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है। कार्यवाही का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जमीनों को सरकार ने अधिग्रहीत करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी है, इसके लिए अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से जिलाधिकारी, फैजाबाद को निर्देश दिये गये हैं कि इन-इन गाटा संख्या के अभिलेख तत्काल प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायें। इससे वह किसान भी भूमिहीन हुए जा रहे हैं जिनको अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का होने तथा भूमिहीन होने के कारण सरकार द्वारा जमीनें दी गयी थीं, उनकी जमीनें भी ली जा रही हैं। वैसे भी साम्प्रदायिक आधार पर, जातिगत आधार पर कालोनियों का निर्माण करके सरकार उस विषवेल को वो रही है, जिससे जातिवाद के जहर का क्या होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिये।

[डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी तथा श्री शारदानन्द अंचल द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान]

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

हमने कार्यस्थगन की बात कही है। कार्य को स्थगित कर सुनने की बात कही है। इस तरह कालोनी बनायी जाय, वह भी अयोध्या जैसे स्थान पर, इस विषय पर सभी कार्य रोककर के सुना जाय।

[इसके बाद भाजपा के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया]

[तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर]

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैने जो प्रश्न उठाया है, पहले उसका निस्तारण किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजस्व मंत्री को आबकारी का उत्तर देना है, विधान परिषद् में उनका सवाल लगा है, इसलिए प्रश्न संख्या-9 पहले ले लेते हैं।

[श्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम पुकारा गया]

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, आप माननीय सदस्यों को संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष-

कार्यस्थगन की सूचना नियम-56 में आती है। जब नियम-56 का समय आयेगा, तब देखा जायेगा, इसे प्रश्न प्रहर में क्यों उठा रहे हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

आप निर्देश दे दें कि प्रश्न प्रहर के बाद इसे सुनेंगे। हम आपकी बात मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह आप उस समय उठाइयेगा, जब नियम-56 आयेगा। पहले आप प्रश्न प्रहर तो हो जाने दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप केवल यह निर्देश दे दें कि नियम-56 में आप हमें सुन लेंगे, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे]

श्री अध्यक्ष-

श्री श्यामदेव राय चौधरी, प्रश्न सं0-1, आप लोग शान्त हो जायें प्रश्नप्रहर हो जाने दें।

[भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा और प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी नहीं लिया जायेगा।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कहना चाहूँगा कि यह प्रकरण इसलिए उठा है क्योंकि आपके विवेक के अनुसार नियम-56 में विचार किया जायेगा, अगर सारी बातों पर विचार हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सबको जानकारी है कि आप निर्णय लगभग वहीं तय कर लेते हैं और यहां पर सुना देते हैं। जैसी हम लोगों को जानकारी मिली है कि सम्भवत: आपने मन बना लिया है कि इसको नही लेंगे। इसलिए मान्यवर, हम केवल इतना चाहेंगे कि आप आश्वासन दे दें कि नियम-56 में इसे ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप संसदीय कार्यमंत्री भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। आप जानते हैं कि श्री लल्लू सिंह ने नियम-51 में इस प्रश्न को उठाया था, मैंने उसे स्वीकार करके उस पर शासन का ध्यान भी आकृष्ट किया था, फिर दोबारा यह कैसे उठ जायेगा?

श्री हुकुम सिंह

अनेकों दृष्टांत ऐसे दे सकता हूँ जब माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक के आधार पर ऐसी चीजों को सुना हो। मान्यवर, इससे सारा का सारा जनमानस जुड़ा हुआ है, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। आज जब हिन्दुस्तान का बहुसंख्यक वर्ग आन्दोलित है, तब उसके अन्दर भ्रान्ति पैदा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि यदि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी हम लोग अपने विचार नहीं रख सकेंगे तो यहां पर हमारे बैठने का औचित्य ही क्या है? इसलिए मान्यवर, आप आग्रह को स्वीकार कर लें और नियम-56 में इसे सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, नियमों से सदन चलता है तो बहुत से ऐसे नियम हैं जिनको आप निलम्बित करते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज आपने माननीय राजस्व मंत्री जी के अनुरोध पर कि उन्हें विधान परिषद् में उत्तर देने के लिए जाना है तो आपने क्रमांक-9 के प्रश्न को नम्बर-1 पर ले लिया, जब आप मान्यवर, इतना संशोधन कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत हक हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर चलने दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप आश्वासन दे दें कि हम सुन लेंगे।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका देश की एकता और अखण्डता से सम्बन्ध होता है। यहां पर किसी के लिए रोक नहीं है, हजारों-लाखों की संख्या में गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, उसकी व्यवस्था है, अगर सरकार बनवाना चाहे तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि किसी को न मिले। जो चीज स्वत: सबको मिल रही है। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत अगर किसी व्यक्ति को कहीं से हटाया जायेगा जो उसको मकान दिया जायगा, अगर वह अल्पसंख्यक वर्ग का है तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं मिलेगा और दूसरों को मिलेगा। अल्पसंख्यक वर्ग का है तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं मिलेगा और दूसरों को मिलेगा। अल्पसंख्यक अपनी बस्तियों के बाहर जाना पसन्द नहीं करते हैं तो यह कर सकते थे कि उनको आप प्राथमिकता दे देते। लेकिन अलग कालोनी बनायी जायेगी, अलग शहर बसाया जायगा। कल अलग देश की मांग उठेगी, अलग असेम्बली बनेगी, अलग से अल्पसंख्यक वर्ग का अध्यक्ष बैठेगा। मान्यवर, ये चीजें देश के हित में नहीं है।

मान्यवर, आप इस पीठ पर बैठे हैं, यहां पर जो विषय है, माननीय सदस्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। केवल आप यह आश्वासन दे दें कि नियम-56 में इस विषय को ले लेंगे। अगर इतना भी आश्वासन नहीं देंगे तो सदन के सदस्यों को शान्त करना मुश्किल होगा। कई मामले ऐसे होते हैं जो जज्बाती होते हैं। मान्यवर, अगर ऐसे होने लगेगा तो जिन्हें इस भारत की अखण्डता बनाये रखना है तो उन्हें दूर तक देखना पड़ेगा कि कहां तक यह बात जायेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हम लोगों की बात को स्वीकार कर लें और जब नियम-56 आयेगा तो इसे ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष चूँकि यह विषय पहले आ चुका था और पुन: यह विषय विचार करने के लिए मेरे पास लाया गया तो नियम-51 में इसे अस्वीकार किया जा चुका था इसलिए नियमों में यह नहीं है कि इसे दोबारा लाया जाये।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने बताया कि आज क्रमांक-9 का प्रश्न आपने पहले पुकार लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री जी को विधान परिषद् में जाना था। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है तो अगर विपक्ष के माननीय विधायक यह चाहते हैं कि इसे-56 में सुन लें तो इसमें क्या दिक्कत है? हम अपना पक्ष रख देंगे उसके बाद सरकार का पक्ष आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर तो आपका ही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम प्रश्न प्रहर को बिल्कुल बाधित नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी कृपा चाहते हैं कि हमारा विषय नियम-56 में है और जब कार्यस्थगन की मद आये तो उस समय हमें सुन लें उसके बाद सरकार का उत्तर आ जायेगा। जनता के सामने सही तथ्य चला जायेगा कि सरकार क्या करना चाहती है? अगर यह अवसर भी नहीं देना चाहते हैं तो प्रश्न काल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जैसे प्रश्न का उत्तर आ रहा है उससे शायद आप भी संतुष्ट नहीं हैं। और जब आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो नियम-49 में चर्चा स्वीकार कर लेते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, परसों दो मदें बीच में ली गयी जो कार्यसूची में नहीं थी लेकिन आपने उसे ले लिया। आज आप नियम-51 और 56 की बात कर रहे हैं, यह तो आपके ऊपर है आप चाहें तो ले सकते हैं। परसों आपने अपनी सुविधा के अनुसार नियमों का शिथिलीकरण और निलम्बन कर लिया। हम तो न तो शिथिलीकरण और न निलम्बन चाह रहे हैं। हम तो केवल इतना चाह रहे हैं कि जब नियम-56 का अवसर आये तो हमें उस विषय पर सुन लिया जाये।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, उस दिन आप हरिद्वार के प्रस्ताव पर विचार करा रहे थे। मान्यवर, आपने उस दिन नियम-311 में शिथिल करके सदन की स्वीकृति लेकर चर्चा करायी। हम पीठ का सम्मान करते हैं, पीठ के प्रत्येक निर्णय को शिरोधार्य करते हैं। लेकिन जो जनता से जुड़े मसले हैं, समाज से जुड़े हुए मसले हैं अगर हम यह सम्भावना देख रहे हैं कि इसके जरिये देश की बटवारे की कल्पना की जा रही है, अगर समाज को वोट के आधार पर बांटने के बीज बोये जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उसको सदन में लायें। आप हमारी बात सुन लें। सरकार का भी पक्ष आ जाय और दोनों की बात जनता में जायेगी तो हमें नियम-56 में सुनने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 का लें तब आपको कहना चाहिए आप प्रश्न प्रहर में इस प्रश्न को उठा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इतनी बात तो सुननी चाहिए। हम देश की अखण्डता की बात कह रहे हैं, हम समाज को जोड़ने की बात कह रहे हैं, उसमें भी आपका संरक्षण नहीं मिल रहा है।

(नारे लगाये गये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, फिर से हिन्दुत्व का एजेण्डा लाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पराजित कर दिया है, देश की जनता ने पराजित करा दिया है, "खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे", "कुछ तो शर्म करो", फिर से हिन्दुत्व के मुद्दे पर जा रहे हैं। नियम-56 में आप सुन लीजिएगा। यह नियम 56 का समय नहीं है। प्रश्नों का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनको प्रदेश में सूखे की चिन्ता नहीं है। अयोध्या के अल्पसंख्यकों के बारे में चिन्ता है।

(नारे लगाये गये।)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं पुन: आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। भारत के संविधान से सम्बन्धित विषय का कागज पर लिखकर दे दिया गया था और नियमों को शिथिल करते हुए आपने स्वीकार कर लिया था। हम इस प्रश्न पर नियमों का शिथिल करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई विषय एक नियम के अन्तर्गत आ गया है तो दूसरे नियमों में उसको सुना जा सकता है। यह आपके विवेक पर है कि आप उसे स्वीकार करें या न करें। यह नियम-51 में आया था, फिर माननीय सदस्य नियम-56 में ला रहे हैं तो उनकी बात नियम-56 में सुननी चाहिए। अगर ग्राह्य होने योग्य नहीं है तो उसे आप अग्राह्य कर दें, यह आपका अधिकार है। लेकिन हम सदन के अधिकारों पर दबाव बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। आप विद्वान हैं। आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने किसी एक दल की कृपा से नहीं बने हैं। ऐसे मामले जिनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा उसके ऊपर भा0ज0पा0 बोल सकती है और हमें उसका उत्तर चाहिए, चाहे हमें गालियां दी जायं या हम साम्प्रदायिक कहलायें। हम इस धरती के दोबारा बंटवारे की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। अगर इस तरह की बात होगी तो हम कहां जायेंगे? हमारे लिए दुनिया में और कोई जगह नहीं है। मैं डाक्टर लोहिया के शब्दों को दोहरा रहा हूँ जो पार्लियामेन्ट में उन्होंने 1965 में कहे थे कि कल इस देश में कोई संकट आयेगा तो ईसाई के लिए तो बहुत से देश हैं, मुस्लिम के लिए बहुत से देश हैं जो उनको अपना लेंगे। लेकिन हिन्दू कौम ऐसी है जिसके लिए नेपाल देश ही बचता है जिसका बोझ हम ही उठा रहे हैं। वह हमारा बोझ नहीं उठा सकता। यह ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण ही देश का बंटवारा हुआ था वहीं परिस्थितियां आप फिर पैदा कर रहे हैं। आप उस कालोनी को सारे अल्पसंख्यकों को दे दें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम से कालोनी बनायी जाय और उसमें केवल एक ही मजहब के लोग शामिल हों उससे क्या संदेश जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी सारी बातें तो आ गयी यही तो नियम-56 में कहते। अब सदन चलने दें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(अनेक सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा और न ही कोई भी नारा प्रेस में छपेगा या इलेक्ट्रानिक मीडिया में आयेगा।

(इसी मध्य श्री मुंशीलाल गौतम के साथ श्री राम इकबाल रि ह, डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी तथा श्री भरत सिंह वेल में आकर बैठ गये और नारे लगाने लगे)

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

हम तो पाकिस्तान को मिलाने वाले लोग हैं यह लोग चाहते हैं कि न मिले इनका इसमें फायदा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण संसदीय कार्यमंत्री जी को भी सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर यह हमारी सुन लेंगे तो इनकी कौन सुनेगा?

(व्यवधान)

(सदस्यों के सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया वे अपनी-अपनी सीटों पर चले जायं।

(बी0जे0पी0 के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आपने जिस प्रश्न को उठाया है चूँकि उससे पहले सूचना आ चुकी थी और आपकी नियमावली में प्राविधान भी है।

(बी0जे0पी0 के कुछ सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे)

(कांग्रेस के सदस्य भी अपने स्थान से नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, मेरी भी बात सुन लीजिये। जो बात आप नियम-56 में कहते उससे कहीं बढ़कर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया। प्रश्न काल चलने दें। संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लें। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हम सभी थोड़ी देर में सभी नेताओं की बैठक करके विचार कर लेंगे। नियम-56 तो अभी आया नहीं, अभी प्रश्न काल चल रहा है। आप यह कहकर कि इसको नियम-56 में ले लें तब सदन चलने देंगे। यह कोई प्रक्रिया है। जब नियम-56 की सूचना आती उस समय आप कहते। आप लोगों ने तो प्रश्नकाल में ही कहना शुरू कर दिया।

(डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्री उदयभान करवरिया और दो तीन अन्य सदस्य अध्यक्ष पीठ की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी जी क्या कर रहे हैं? मेरे चैम्बर में चलकर बात कर लीजियेगा। यहां क्यों लड़ाई कर रहे हैं?

(डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष पीठ की तरफ चले गये और प्रमुख सचिव की टेबिल के पास बैठ गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्यगण, आप सब इससे भिज्ञ हैं और डाक्टर साहब आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और जानकार हैं।

(घोर व्यवधान)

जो विषय जिस समय दिया है उस समय माननीय सदस्य अपना दबाव बनाते, जब आपका विषय आता तब दबाव बनाते।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

एक सदस्य-

आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में दिया था और प्रश्नप्रहर में दबाव बनाना शुरू करेंगे तो विधान सभा की प्रक्रिया का क्या होगा? नियम-56 में प्रश्न आता है उस समय नहीं सुना जाता है तो माननीय सदस्य दबाव बनाते हैं। अभी नियम-56 आया ही नहीं है अगर यह मंशा है कि सदन नहीं चलने देना है, तो क्यों समय बरबाद कर रहे हैं?

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

श्री मुकुट बिहारी वर्मा (फ्लोर से)-

कहते हैं भारत का विभाजन नहीं करेंगे और पूरे प्रदेश को कालोनियों में विभाजित कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान)

(वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे)

(श्री जगदम्बिका पाल कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन व्यवधान के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ससदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां भी बोलने के लिए कई बार खड़े हुए लेकिन व्यवधान की वजह से वह कुछ कह नहीं सके)

(घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 47 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 47 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुन: सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है। 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने हेतु योजना की जानकारी

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

जी हां।

अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं:-

(1) मैक्रो मैनेजमेन्ट आफ एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार योजना।

(2) नाबार्ड सहायतित फिरोजाबाद बीहड़ परितंत्र क्षेत्र में एकीकृत जल समेट प्रबंधन (बीहड़ सुधार) योजना।

(3) विश्व बैंक सहायतित उ0 प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना, द्वितीय।

(4) ई0सी0 सहायतित बीहड़ स्थिरीकरण परियोजना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्याज का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजना

*2-श्रीमती विमला राकेश-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्याज का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

पूर्व से ही कार्यक्रम संचालित है.

1- अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-02 तक प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संकर/परम्परागत प्याज की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 40 (चालिस) जनपदों में राज्य सहायता दी गयी है।

2- कृषि विविधीकरण परियोजना (उद्यान घटक) द्वारा वर्ष 2001-02 से प्याज की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रदर्शन तथा वर्ष 2002-03 से प्याज भण्डारगृह के अस्थायी निर्माण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली 1988 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

3- आलू खुदाई के पश्चात खाली क्षेत्रफल जहां प्याज की खेती की जाती है, प्याज की रोपाई हेतु बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित कर प्याज उत्पादन में वृद्धि कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

4- मैक्रोमैनेजमेन्ट मोड वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत 100 हैक्टेयर में खरीफ प्याज में क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य निर्धारित कर प्याज उत्पादन की वृद्धि करने का कार्यक्रम है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में खाद्यान का उत्पादन एवं निर्धारित लक्ष्य

*3-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले वर्ष रबी में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था तथा वर्तमान वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या लक्ष्य पूर्ति हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

प्रदेश में वर्ष-2003-04 में रबी में कुल खाद्यान्न उत्पादन 284.42 लाख मी0 टन हुआ था।

वर्तमान वर्ष- 2004-05 हेतु रबी में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 322.50 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है।

जी हाँ, लक्ष्य पूर्ति हेतु कृषकों को समय से कृषि निवेश यथा प्रमाणित/उन्नतिशीन बीज, उर्वरक, कीटनाशक/तृणनाशक दवायें एवं कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हेतु कार्यक्रम बनाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढाये जाने की योजना

*4-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हाँ।

दलहन फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित एकीकृत तिलहन, दलहन, आयलपाँम तथा मक्का योजना (आइसोपाँम) के अन्तर्गत दलहन विकास कार्यक्रम उ0 प्र0 के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में किसानों को अधिक मात्रा में दलहन बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम अनुदान पर चलाया जा रहा है। साथ ही किसानों को दलहन फसल उत्पादन की नवीनतम तकनीक से परिचित कराने के लिए, उनके खेतों पर खण्ड प्रदर्शन, जीवनाशी प्रबंधन प्रदर्शन एवं मिनीकिट प्रदर्शन का आयोजन अनुदान पर कराया जा रहा है। किसानों को दलहन के विभिन्न आवश्यक कृषि निवेशों को उनकी क्रय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराने के लिए, उन्हें अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। दलहन फसलों का उत्पादन कम लागत पर कैसे हो, इसका भी तकनीकी ज्ञान कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2004 में क्रय किया गन्ना तथा गन्ना मूल्य का भुगतान

*5-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र 2004 में कुल कितना गन्ना क्रय किया गया? क्या सभी किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो बकाया धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

वर्तमान पेराई सत्र 2003-04 में प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा कुल 463.29 लाख टन गन्ना क्रय किया गया।

उक्त खरीदे गये गन्ने के सापेक्ष गन्ना मूल्य कुल रू0-4083.35 करोड़ देय था, जिसके सापेक्ष प्रदेश की चीनी मिलों ने दिनांक 2-8-2004 की स्थिति के अनुसार कुल रू0-3933.64 करोड़ का भुगतान किसानों को कर दिया है व कुल रू0 149.71 करोड़ अवशेष है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की निजी चीनी मिलों पर इस सत्र में निगम/संघ की चीनी मिलों द्वारा दिये गये गन्ना मूल्य व निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा दिये गये सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अन्तर की धनराशि रू0-232.68 करोड़ की धनराशि भी अवशेष है।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराने हेतु प्रभावी प्रसास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों के ट्रैक्टर खरीदने एवं सिंचाई के लिए डीजल इंजन हेतु डीजल के मूल्य पर सब्सिडी देने की मांग

*6-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने एवं सिंचाई के लिए डीजल इंजन हेतु डीजल के मूल्य पर सब्सिडी देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

केन्द्र पुरोनिधानित मैक्रोमैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चरल योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर चयन समिति के माध्यम से चयनित कृषकों को ट्रैक्टर खरीदने हेतु 35 पी0टी0ओ0 एच0पी0 ट्रैक्टर पर मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा रू0-30,000/- जो भी कम हो, यू0पी0 एग्रो के माध्यम से अनुदान दिया जाता है।

डीजल का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथा राज्य सरकार द्वारा केवल इसकी आपूर्ति/ वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। किसानों को उनके डीजल इंजन क प्रयोग हेतु डीजल पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराई गयी है। राज्य सरकार के स्तर पर भी इस तरह का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन नीति

*7-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कोई पर्यटन नीति बतायी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

जी हाँ।

पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए तथा प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन नीति, 1998 बनायी गयी है। पर्यटन नीति के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों/यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नेतृत्व, संगठनात्मक तथा रणनीतिपरक दिशा प्रदान करने, पर्यटन उद्योग की गुणवत्ता बढ़ाने, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों के बीच प्रदेश के उत्पादों का विपणन करने एवं उत्तर प्रदेश में रूचिपूर्ण स्थलों को विकसित करके प्रदेश के लिए रोजगार सृजन, आर्थिक, पर्यावरणीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ का अर्जन करना है।

प्रश्न नहीं उठता।

*8-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[दिनांक 2-8-2004 के तारा0 प्र0 सं0 9 के द्वारा उत्तरित]

जनपद बरेली में जहरीली शराब पीने से मृत्यु की जांच

*9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जून, 2004 के अन्तिम पखवाड़े में जहरीली शराब पीने से जनपद बरेली में कई लोगों की मृत्यु हो गयी? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या यह सही है कि प्रदेश की शराब फैक्टिरियों में शीशे की पुरानी बोतलों में शराब भरी जाती है जिससे दुर्घटनाएं होती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी बोतलों का प्रयोग बन्द करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ। घटना की मजिस्टीरियल जांच चल रहीं है।

जी नहीं।

इसकी आवश्यकता नहीं है।

आसवनियों द्वारा जो पुरानी काँच की बोतलें प्रयोग में लायी जाती है, उनको मशीन द्वारा आसवनी में धुलायी करने के उपारन्त ही उपयोग में लाया जाता है। जहरीली शराब से मौत का जो भी घटना प्रकाश में आयी है, जांचोपरान्त उसमें कही भी नम्बरयुक्त होलोग्राम लगी हुई मदिरा के सेवन की पुष्टि नहीं हुई है।

अतारांकित प्रश्न

चकबन्दी कार्यालय कुमारगंज, जनपद फैजाबाद में चकबन्दी लेखपालों की स्थानान्तरण नीति

1-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी की चकबन्दी कार्यालय कुमारगंज फैजाबाद में ऐसे कितने चकबन्दी लेखपाल हैं, जो विगत पांच वर्षों से अधिक समय से जनपद फैजाबाद में कार्यरत हैं? क्या सरकार ऐसे लेखपालों का स्थानान्तरण जनपद फैजाबाद से अन्यत्र करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

चकबन्दी कार्यालय कुमारगंज जनपद फैजाबाद में 08 चकबन्दी लेखपाल ऐसे हैं जो जनपद फैजाबाद में पाँच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

जी नहीं।

स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत न आने के कारण स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं।

जनपद-इलाहाबाद, ग्राम बरदनी, होलागढ़, सोरांव में स्थित चक सं0 65 के दक्षिण तरफ सरकारी नाली को तोड़कर चकों में मिलाये जाने की जांच

2-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरदनी, होलागढ़, तहसील-सोरांव जनपद-इलाहाबाद में स्थित चक सं0-65 के दक्षिण तरफ सरकारी नाली सं0-62 को गाँव के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा तोड़कर अपने चकों में मिला लिया गया है? जिसके खिलाफ पूर्व में कई बार थाने स्तर से 151 की कार्यवाही भी की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए नाली का पुन: निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

जी नहीं।

पूर्व से नाली बनी हुई है। पुन: नाली का निर्माण कराने का कोई औचित्य नहीं है।

ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के नये सम्पर्क मार्गों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-05 में अनुमोदित धनराशि 600 लाख के सापेक्ष माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या-70/01 दिनांक 9-6-01 के द्वारा घोषित मार्ग निर्माण के शेष मार्ग बीबीपुर-बधवा सलाहपुर आदि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी नहीं।

वर्ष 2004-05 से जिला योजना में निर्धारित धनराशि के सापेक्ष समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद द्वारा चयनित ग्रामों के नये सम्पर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-2005 में स्थानीय पर्यटन विकास मद से पर्यटन स्थलों की सौन्दर्यीकरण तथा विकास मद में कतिपय मंदिरों का अनुमोदन तथा निर्गत धनराशि

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-05 में बेल्हादेवी मंदिर एवं स्थानीय पर्यटन विकास मद से कुण्डा धाम पट्टी तथा पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास मद में मुजाही देवी, महडौरा शिव मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है? यदि हां, तो धनराशि कब तक निर्गत कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम-ख्वाजापुर तहसील व जिला गाजीपुर स्थित गाटा संख्या-23 में राजस्व अभिलेखों में दर्ज नवीन परती भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

5-श्री उमाशंकर कुशवाहा-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-ख्वाजापुर तहसील गाजीपुर सदर जिला गाजीपुर स्थित गाटा-सं0 23 जो राजस्व अभिलेख में नवीन परती दर्ज है, पर कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उस अवैध कब्जे को हटवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

भूखण्ड सं0 23 क्षे0 0.039 हे0 ग्राम ख्वाजापुर परगना, तहसील व जिला गाजीपुर राजस्व अभिलेखों में नयी परती के खाते में अंकित है, जिस पर ग्राम ख्वाजापुर परगना, तहसील व जिला गाजीपुर के श्री रामराज, देवराज व श्यामराज पुत्रगण हरि नारायन द्वारा चहारदीवारी बनाकर अनाधिकार कब्जा कर लिये जाने पर उनके विरूद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122बी के अन्तर्गत बेदखल करने हेतु दिनांक 26-3-2004 को मुकदमा नम्बर 57 तहसीलदार सदर, गाजीपुर के न्यायालय में योजित है, जो विचाराधीन है, जिसमें अंतिम आदेश होने के पश्चात् यथाशीघ्र समुचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में कचगाँव-धानेजा मार्ग, मुफ्तीगंज-बेलावं मार्ग सहित पुल बनाये जाने की मांग

6-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर में कचगाँव-धानेजा मार्ग, मुफ्तीगंज-बेलावं मार्ग पर पुल सहित व जफराबाद घाट पर पीपा पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है? स्थानीय जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए उक्त मार्ग एवं पुल कब तक बनवा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के वित्तीय संसाधन पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए मार्ग निर्माण की स्वीकृति

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम लि0 द्वारा अन्य जनपदों की भाँति जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए भी निरीक्षण पथ तथा मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

भूमि सुधार निगम द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए निम्नलिखित दो मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1- चिलबिला से मदाफरपुर, अतरासण्ड, सरायरजई तक।

2- पट्टी बंधवा से बहुता मार्ग।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्र में कतिपय सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं बेलावं घाट पर पैन्टून सेतु की मरम्मत का प्रस्ताव

8-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-जौनपुर के बयालसी क्षेत्र में पुरेव से करांव, त्रिलोचन झाउपुर, मुफ्तीगंज-रामपुर-बेलावं, हरीपुर, हौजमुरादपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत एवं बेलावं घाट पर पैन्टून सेतु की मरम्मत एवं रंगाई कार्य का प्रस्ताव जिलांश द्वारा शासन को अभी हाल में प्रेषित किया गया, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में बहगुल नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति

9-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में बहगुल नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/96364/04 दिनांक 23-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, लो0 नि0 वि0 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर जनपद शाहजहांपुर में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराने के सम्बन्ध में पत्र

10-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर जनपद-शाहजहांपुर में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम-/94144/04 दिनांक 23-1-04 प्रमुख सचिव/सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर ने मिल गेट सहित 26 क्रय केन्द्रों का संचालन एवं गन्ना खरीद करते हुए दिनांक 8-12-2003 को पेराई का कार्य प्रारम्भ किया तथा समस्त बान्डेड गन्ने की पेराई के उपरान्त यह मिल दिनांक 17-3-2004 को बन्द हुई। चीनी मिल के क्रय केन्द्र कुरियाडांडा, डडिया व धीरठ चीनी मिल तक मार्ग गन्ना आपूर्ति योग्य न होने के कारण अन्य चीनी मिल को अभ्यर्पित कर दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र में पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

11-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा में पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक आदेश पत्र संख्या- सी0एम0वि0को0/एम-96362/04 दिनाकं-23-2-04 द्वारा पुमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

समसीपुर से परौर के बीच रामगंगा पर पुल बनाया जाना तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

कोलाघाट पर रामगंगा नदी पर पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण के उपरान्त कराये गये प्रतिरूप अध्ययन की रिपोर्ट पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथास्थिति प्रदेश की वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगण यथोचित निर्णय किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत रिठवान ड्रेनों की सफाई एवं पक्का कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि

12-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 में रिठवान ड्रेनों की सफाई, पक्का कार्य एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि को आवंटित किया गया था? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग कर मानक के अनुरूप कार्य न कराकर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा धनराशि को हड़प लिया गया है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम को दिनांक 14-5-04 एवं 25-5-04 तथा 11-6-04 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? जांच परिणाम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत रिथवान ड्रेनों की सफाई एवं पक्का कार्य हेतु रू0-80.99 लाख की धनराशि अधिशाषी अभियंता सिंचाई खण्ड-2, उन्नाव को स्वीकृत की गयी थी। ड्रेनों के अनुरक्षण कार्य हेतु निगम द्वारा कोई धनराशि नहीं दी गयी।

जी नहीं।

जी हाँ।

जी हाँ, विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित जांच एजेन्सी मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज से जांच करायी गयी।

जांच एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित ड्रेन के कार्यों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दिनांक 29-7-2004 के अता0 प्र0 सं0 20 के द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई की तहसील संडीला के ग्राम गौरी खालसा के कतिपय दबंग व्यक्तियों द्वारा सेहत अब्बास पुत्र फुरसत अली के पट्टे पर अनधिकृत कब्जे की जांच

14-श्री जगदीय नारायण राय-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई की तहसील संडीला के ग्राम गौरी खालसा के कतिपय दबंग व्यक्तियों द्वारा सेहत अब्बास पुत्र फुरसत अली की पट्टे पर आवंटित भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर अवैध रूप से आरा मशीन लगा दी गयी है? क्या इस सम्बन्ध में श्री अब्दुल मन्नान सदस्य विधान सभा का परिपत्र के साथ श्री सेहत अब्बास का प्रार्थना-पत्र मा0 राजस्व मंत्री को दिनांक माह जून, 2004 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी? क्या अवैध कब्जा हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दिबियापुर स्थित कब्रिस्तान की गाटा संख्या 469 से अतिक्रमण हटवाये जाने सम्बन्धी पत्र

15-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री का आदेश पत्र संख्या-सी0/139898/सी0 एम0-1/2002, दिनांक 05-08-2002 द्वारा दिबियापुर स्थित कब्रिस्तान की गाटा संख्या-469 रकबा 5.70 एकड़ से अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, औरैया को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-9-99 द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

16-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री अनिल कुमार वर्मा-

[दिनांक 29-7-2004 के अता0 प्र0 सं0 117 के द्वारा उत्तरित]

जनपद अलीगढ़ की सेरवा झील को पर्यटन हेतु विकसित करने की मांग

17-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की सेरवा झील को शासन द्वारा पंछी विहार घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पर्यटन हेतु विकसित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बांदा द्वारा समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सांडी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य की जांच

18-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बांदा जनपद बांदा द्वारा समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सांडी सम्पर्क मार्ग जिसकी लागत करीब 30,0000.00 रुपया है, का निर्माण बिना निविदा आमंत्रित किये तथा बिना अनुबन्ध गठित किये सामग्री की आपूर्ति करायी जा रही है? यदि हां, तो उक्त कार्य के दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कार्य की स्वीकृत लागत रू0 28.71 लाख है। कार्य की स्वीकृति दिनांक 19-5-2004 को जिलाधिकारी बांदा द्वारा दी गयी व कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 30-6-04 था, अत: निविदा आमंत्रित करने की औपचारिकता हेतु समयाभाव था, इस कारण न्यूनतम कोटेशन के आधार पर स्वीकृत आगणन की दरों से भी 14 प्रतिशत कम दरों पर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर चयन के आधार पर रू0 11.85 लाख का अनुबन्ध बनाया गया और सामग्री की आपूर्ति ली गयी व निर्माण कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम-सोफड़ा, तहसील-निचलौल, जनपद महाराजगंज में श्री गोपाल यादव की शीतलहर से मृत्यु

19-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-सोफड़ा तहसील-निचलौल जनपद-महाराजगंज में श्री गोपाल यादव पुत्र श्री कुक्कुर की शीतलहर के कारण दिनांक 02 जनवरी, 2004 को मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त को राहत प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। श्री गोपाल यादव पुत्र श्री कुक्कुर, उम्र लगभग 65 वर्ष की मृत्यु दिनांक 01-01-2004 को शीतलहर से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से हुई।

जी नहीं।

प्रकरण दैवी आपदा की परिधि में न आने के कारण पीड़ित परिवार को आपदा राहत निधि से कोई राहत सहायता अनुमन्य नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में राज्य सेक्टर से पक्की सड़क बनवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

20-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संत्र संख्या सी0एम0/वि0को/एम-96361/2004, दिनांक 23-2-04 द्वारा जनपद शाहजहांपुर में राज्य सेक्टर से पक्की सड़क बनवाने विषयक आदेश प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अनुरोधित 06 कार्यों का परीक्षण कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत जैतीपुर में पुल बनवाये जाने विषयक पत्र

21-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत जैतीपुर में पुल बनवाने जाने विषयक पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-96363/04, दिनांक 23-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जैतीपुर में नाले पर पुल बनवाने का अनुरोध किया गया है। इस स्थान पर पहले से ही रपटा बना हुआ है। पुल बनवाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

दादरी विधान सभा क्षेत्र (जनपद-गौतमबुद्ध नगर) में सड़कों की मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित करने की मांग

22-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दादरी विधान सभा क्षेत्र (जनपद-गौतमबुद्ध नगर) में अधिकांश

सड़कों की दशा खराब है जिससे जनता को आवागमन में बहुत कठिनाई होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के सड़क मरम्मतों के लिए धन आवंटित कर कार्य कराने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कुछ सड़कों की दशा खराब है, जिससे जनता को आवागमन में कठिनाई होती है।

दादरी विधान सभा क्षेत्र की 17 सड़कों के प्रस्ताव मरम्मत हेतु विभिन्न चरणों में बनाये गये हैं, जिनमें 3 सड़कें स्वीकृत हो गयी हैं। शेष की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

स्वीकृत 3 सड़कों की मरम्मत 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत दादरी ब्लाक में जारचा-कलौन्दा सड़क की मरम्मत की मांग

23-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत दादरी ब्लाक में जारचा-कलौन्दा सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्त कब तक करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त ग्राम मार्ग की 3.50 कि0मी0 लम्बाई में से प्रारम्भिक 0.50 कि0मी0 की मरम्मत सामान्य मरम्मत हेतु उपलब्ध अत्यन्त सीमित धनराशि से करायी गयी है। अवशेष भाग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

[दिनांक 27-7-2004 के अता0 प्र0 सं0 27 के द्वारा उत्तरित]

इलाहाबाद शहर एवं जनपद में स्वीकृत विकास कार्य एवं पर्यटन की दृष्टि से अतिविशिष्ट स्थान बनाने की मांग

25-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर एवं जनपद में वित्तीय वर्ष 2003-2004 एवं 2004-2005 में कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत किये गये तथा गत वित्तीय वर्ष 2003-2004 के स्वीकृत कार्यों में से कितना कार्य कराया गया है। क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद के सांस्कृतिक व शैक्षिक महत्व को देखते हुए पर्यटन की दृष्टि से उसे अतिविशिष्ट स्थान बनाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जनपद इलाहाबाद में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष-2003-2004 में सुझावन देव मंदिर, श्रृंगवेरपुर धाम, बरगदघाट स्थित शिव मंदिर एवं हनुमान मंदिर, नागवासुकी मंदिर, दारागंज स्थित संकट मोचन मंदिर एवं लाल

पद्मधर स्मारक तथा चन्द्रशेखर आजाद स्मारक के विकास कार्य स्वीकृत हैं जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष-2004-2005 में मनकामेश्वर मंदिर, लालापुर, मां शीतला देवी मंदिर, कड़ाधाम, अरैल क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण, बाल्मिकी आश्रम का विकास, फाफामऊ में गंगाघाट का निर्माण, रघुनाथ मंदिर बरांव का विकास, सुदिस्ट ब्रह्म स्थान, परानीपुर का विकास, मां काली मंदिर (मुट्ठीगंज) में प्रवेश द्वार का निर्माण, मनकामेश्वर मंदिर लालापुर में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, जैन मंदिर पभोषा का स्थानीय पर्यटन विकास, महाकालेश्वर मंदिर तड़ाधाम का सौन्दर्यीकरण, ऐन्ट्रीदेवी धाम (जमुनीपुर) का सौन्दर्यीकरण, दुर्वाशा आश्रम कंकरा का सौन्दर्यीकरण, लाक्षागृह का सौन्दर्यीकरण/विकास फाफामऊ में यात्री छादक का निर्माण की योजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। इन योजनाओं के लिए अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में व्यवस्था नहीं हो सकी है।

शासनादेश की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा अभी अनुबन्ध निष्पादित न हो पाने के कारण स्वीकृत योजनाओं पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

पर्यटकों को अवस्थापना सुविधा सुलभ कराने के अन्तर्गत इलाहाबाद में पर्यटक आवास गृह एवं यात्री निवास का संचालन कराया जा रहा है। दर्शनीय स्थलों के पर्यटन विकास करवाने के लिए निरन्तर प्रयास करवाये जा रहे हैं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किया जाना अभी संभव नहीं है।

जनपद जालौन में कहटा-चिनौढ़ा के मध्य बेतवा नदी पर सेतु निर्माण

26-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में कहटा-चिनौढ़ा के मध्य बेतवा नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 20-2-2004 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य के क्रम में क्या सरकार उक्त सेतु के प्रस्ताव को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से कार्य कराये जाने हेतु सिफारिश करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत सेतु के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मंडी परिषद्, शाहजहांपुर में की गयी अनियमितताओं की जांच

27-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडी परिषद्, शाहजहांपुर में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने हेतु पत्र संख्या-सी0एम0 वि0को0/एम-95016/2004, दिनांक 19-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितताओं की जांच करा कर दोषियों को दंडित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां।

अनियमितताओं की जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर घाट, गोमती नदी सेतु, अशोकपुर असुड़ी सेतु एवं पट्टी बाईपास मार्ग के नामकरण सम्बन्धी कार्यवाही

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 9-6-01 को जनपद प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर घाट, गोमती नदी सेतु, अशोकपुर असुड़ी सेतु एवं पट्टी बाईपास मार्ग के नामकरण किये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या नामकरण सम्बन्धी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। अधिसूचना सं0-3922 ई/23-11-2001-2(7)ई/99, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 द्वारा नामकरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम उरई, जनपद जालौन के अधिकारियों द्वारा मिश्रित बीज/ अधोमानक बीज की सप्लाई की जांच

29-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 बीज विकास निगम उरई जनपद जालौन के परियोजना अधिकारी/फील्ड अधिकारियों द्वारा गत वर्ष कितने किसानों को गेहूँ के डब्लू 343 तथा 147 बीज उत्पादन के कार्यक्रम दिये गये थे? इनमें से कितने किसानों से उत्पाद खरीदा गया? क्या सरकार को जानकारी है कि बीज निगम के अधिकारियों द्वारा मिश्रित बीज/अधोमानक बीज की सप्लाई की गयी? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

गत वर्ष में गेहूँ के डब्लू 343 (सही नाम-गेहूँ पीवीडब्लू 343) के बीज उत्पादन के कार्यक्रम 121 किसानों को तथा 147 (सही नाम-गेहूँ डब्लू एच0 147) के बीज उत्पादन कार्यक्रम 56 किसानों को दिये गये थे।

बीज उत्पादन के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए गेहूँ पीवीडब्लू 343 के बीज उत्पाद 91 किसानों से तथा गेहूँ डब्लू0 एच 147 का बीज उत्पादन 46 किसानों से खरीदा गया था।

जी नहीं। निगम के अनुसार निगम द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रमाणियन टैग युक्त आधारीय बीज किसानों को दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम रसूलपुर हैदरपुर का नाम चन्द्र भूषण शाह जी ग्राम किये जाने की मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुपालन की मांग

30-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री की घोषणा सं0-70/2001 क्रम सं0 40350271316 दिनांक 9-6-01 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम रसूलपुर हैदरपुर का नाम चन्द्र भूषण शाह जी ग्राम किये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के आठ मंदिरों के सौन्दर्यीकरण की स्वीकृति

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के आठ मंदिरों का सौन्दर्यीकरण कराने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर माननीय मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/एम/88469/03 दिनांक 22-10-03 प्रमुख सचिव, पर्यटन को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जी हां।

वर्ष 2003-2004 में जिला योजना के अन्तर्गत अमरगढ़ शिव मंदिर का स्थानीय पर्यटन विकास, पट्टी में हनुमान मंदिर का स्थानीय पर्यटन विकास, मगरौरा शिवालय का सौन्दर्यीकरण एवं विकास तथा सर्वजीतपुर दुर्गा मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वर्ष 2004-05 में जिला योजना के अन्तर्गत कुण्डाधाम पट्टी, महडौरा शिव मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर की योजना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। प्रश्नगत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

रूरे एवं भाऊपुर शहीद स्थल के विकास हेतु ग्राम रूरे में बाबा रामचन्द्र दास की यादगार में शहीद स्थल के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु जिला योजना वर्ष 1998-99 के अन्तर्गत रू0-10.00 लाख स्वीकृत की गयी थी, जिसके अन्तर्गत सड़क के लेपन का कार्य, मिट्टी भराई एवं समतलीकरण, आर0सी0सी0 बेंच, मनोरंजन कक्ष का निर्माण, लाइट पोस्ट पर ग्रेनाइट, सीढ़ी एवं झूला, स्मृतिपट, लोहे का गेट, स्तम्भ के चारों ओर ग्रिल तथा चहारदीवारी के रंगाई-पुताई आदि कार्य कराये गये हैं।

ग्राम भाउपुर में बाबा रामचन्द्र का देहावसान हुआ था। जहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। इस समाधि के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु जिला योजना वर्ष 1998-99 में रू0-10.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके अन्तर्गत समाधि की मरम्मत, लोहे का गेट तथा समाधि के पास एक हाल का निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम खण्डौरा, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा ऊसर सुधार योजना का क्रियान्वयन

32-श्री राम कृपाल-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे ग्राम खण्डौरा तहसील-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ में उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा क्या ऊसर सुधार योजना चलाई जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

ग्राम खण्डौरा, तहसील-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ में निर्धारित मानक के अनुसार ऊसर भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि सुधार निगम द्वारा उक्त ग्राम को परियोजनान्तर्गत चयनित नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामों में प्रचलित चकबन्दी प्रक्रिया

33-श्री सुखदेव राजभर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ की तहसील लालगंज के कितने ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है? उक्त ग्रामों का धारा-52 का प्रकाशन कब तक कराकर अन्तिम अभिलेख तहसील मुख्यालय में उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में 09 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है।

कार्य योजना के अनुसार मार्च, 2009 तक धारा-52 का प्रकाशन कराना प्रस्तावित है, जिसके उपरान्त अन्तिम अभिलेख तहसील मुख्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे।

जनपद मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में चयनित अम्बेडकर ग्राम के अधूरे मार्गों का निर्माण कार्य

34-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के वर्ष 2001-03 में चयनित अम्बेडकर ग्राम के मार्गों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो उक्त कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से कराया गया है? क्या सरकार अधूरे कार्य को पूरा कराकर विलम्ब के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

वर्ष 2001-02 में कुल 04 ग्राम चयनित है जिसमें से 01 ग्राम का सम्पर्क मार्ग स्वीकृत तथा पूर्ण है। वर्ष 2002-03 में कुल 09 ग्राम चयनित है, जिसमें 08 ग्राम पूर्व से संतृप्त है। 01 ग्राम का सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार चयनित अम्बेडकर ग्रामों में स्वीकृत कार्य पूर्ण है, अधूरा नहीं है।

अधीक्षक राजकीय उद्यान, लखनऊ के कार्यादेश पर छोटा/बड़ा इमामबाड़ा यूनिटों पर मेसर्स कनक एसोसिएट्स कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा सामानों की आपूर्ति एवं उसका भुगतान

35-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षक राजकीय उद्यान, लखनऊ के कार्यादेश पर छोटा/बड़ा

इमामबाड़ा यूनिटों पर मेसर्स कनक एसोसिएट्स, कानपुर रोड लखनऊ द्वारा सामानों की आपूर्ति वर्ष 1997 में की गयी थी जिसमें विभागीय औपचारिकताएं/सत्यापन पूर्ण कराकर विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार को भुगतान हेतु ट्रेजरी से बिल पास कराकर चेक सं0 एए-324083 दिनांक 16-9-98 रु0 8000/- तथा चेक सं0 एए-383657 दिनांक 21-11-98 रु0 3712.50 जारी कर उद्यान विभाग को उपलब्ध करा दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त फर्म को भुगतान प्राप्त करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त फर्म को भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

जी हां। दिनांक 24-07-04 को भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग में माली पद का वेतनमान

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में माली पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतनमान कितना निर्धारित है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के मुख्यालय में जुलाई 2003 में भरे गये माली के पद धारक को वेतनमान का प्रारम्भिक वेतन रु0 2550/- के स्थान पर 2250/- दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके लिए मंत्री जी दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कराकर दण्ड देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

राजस्व विभाग में माली पद का वेतनमान रु0 2550-55-2660-60-3200 निर्धारित है।

जनपद शाहजहांपुर से त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण रु02250-3200 के वेतनमान में माली के 02 अधिसंख्य पद सृजित हो गये थे। बाद में जिलाधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा शासन के संज्ञान में इसे लाने पर शासनादेश दिनांक 15-7-2004 द्वारा वेतनमान संशोधित कर दिया गया है। वर्तमान में वेतनमान 2550-3200/- के आधार पर माली पद के वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि लिपिकीय त्रुटि के लिए उत्तरदायी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी को चेतावनी दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कमलापुर चीनी मिल लि0 को वर्ष 2003-2004 में गन्ने की आपूर्ति तथा गन्ना कृषकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान

37-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांके लाल पुत्र श्री पुत्ती लाल ग्राम-मीरनगर, चतुर्भुज लाल पुत्र श्री पुत्ती लाल, ग्राम मीरनगर, सीतापुर नेक लाल पुत्र पुत्ती लाल, ग्राम मीरनगर जनपद सीतापुर द्वारा कमलापुर चीनी मिल लि0 को वर्ष 2003-2004 में गन्ने की आपूर्ति गयी थी? यदि हां, तो क्या इन समस्त गन्ना कृषकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पेराई सत्र 2003-04 में श्री बांकेलाल पुत्र श्री पुत्ती लाल, श्री नेक लाल पुत्र श्री पुत्ती लाल निवासी ग्राम-मीरनगर, सीतापुर द्वारा कमलापुर चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति की गयी। जिसकी एवज में उक्त कृषकों को क्रमश: रू0-4409.00 व 3158.00 देय हुआ। श्री बांके लाल द्वारा कमलापुर चीनी मिल को बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराने के कारण भुगतान की राशि रू0-4409.00 अवशेष है। जिसका भुगतान बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने पर ही हो सकेगा। श्री नेक लाल द्वारा आपूर्ति की गयी गन्ने की कुल धनराशि रू0-297-00 अवशेष है, जिसका भुगतान शीघ्र कराने के प्रयास किये ज़ा रहे हैं।

श्री चतुर्भुज लाल पुत्र श्री पुत्ती लाल द्वारा कमलापुर चीनी मिल को गन्ने की कोई आपूर्ति नहीं की गयी।

शाहजहांपुर जनपद के ग्राम बहादुरपुर किशन पट्टी, परगना जमौर में चकबन्दी कराने हेतु जारी अधिसूचना

38-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ग्राम बहादुरपुर किशन पट्टी परगना जमौर तह0-सदर, जिला-शाहजहांपुर में चकबन्दी कराने हेतु वर्ष 1994 में अधिसूचना जारी की गयी थी? यदि हां, तो चकबंदी न होने का क्या कारण है? उक्त ग्राम में चकबन्दी कब तक करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। चकबन्दी कराने हेतु अधिसूचना वर्ष 1989 में जारी की गयी थी।

आधार वर्ष की खतौनी में फर्जी इन्द्राज व फर्जी आदेश के अमलदरामद की जानकारी संज्ञान में आने पर चकबन्दी निदेशालय स्तर से वर्ष 2001 में जांच की गयी जिसमें दोषी चकबन्दी लेखपाल को निलम्बित भी किया गया। अभिलेखों के शुद्धीकरण हेतु गहन जांच करके आवश्यक दुरुस्ती की जा रही है।

कार्य योजना के अनुसार माह अगस्त, 2004 में आवश्यक दुरुस्ती कार्य, माह जून, 2005 में कब्जा परिवर्तन कार्य तथा वर्ष 2005 के अन्त तक चकबन्दी कार्य पूर्ण कराकर धारा-52 का प्रकाशन प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

39-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में बादा-विसंडा-ओरन सिंहपुर मार्ग की मरम्मत की मांग

40-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बांदा में बांदा-विसंडा-ओरन सिंहपुर मार्ग जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बांदा-विसंडा मार्ग के कि0मी0 1 से 5 व 12 तथा विसंडा-ओरन सिंहपुर के कि0मी0 7,8,11 व 18 को छोड़कर शेष भाग क्षतिग्रस्त है।

सामान्य अनुरक्षण मद से पाट होल्स आदि की मरम्मत करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

41-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग मरियमपुर-इटहरा एवं ढखवा-बनवीरपुर-ऐलाही-लखनूडीह-शैलखा-धरौली मार्ग का स्वीकृत आगणन एवं कृत कार्यवाही

42-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग मरियमपुर-इटहरा एवं ढखवा-बनवीरपुर-ऐलाही-लखनूडीह-शैलखा-धरौली मार्ग का आगणन प्रस्ताव स्वीकृत हेतु पत्र संख्या-1036/58 यात्रा (प्र0फ0) इ0क्षे0/04, दिनांक 26-2-04 अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन) प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्राकलन गठित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में मिल रोड-रौरा बाग के मरम्मत की मांग

43-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मिल रोड-रौरा बाग रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे नागरिकों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना मड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को ठीक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

लखनऊ शहर में मिल रोड-रौरा बाग नाम का कोई मार्ग नहीं है वल्कि इस मार्ग को मिल रोड के नाम से जाना जाता है जिसके क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है।

सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित धनराशि से पैच मरम्मत इत्यादि का कार्य लो0नि0वि0 द्वारा निरन्तर कराया जाता है। यह मार्ग लखनऊ शहर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र तथा ऐशबाग रेलवे साइडिंग के बीच घनी आवादी से गुजरता है। आवादी भाग में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव होने से मार्ग की सतह प्राय: क्षतिग्रस्त हो जाया करती है जिसकी विशेष मरम्मत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम भावलखेड़ा, जनपद शाहजहांपुर में कृषक भूमि का आवंटित पट्टा

44-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 में ग्राम भावलखेड़ा जिला शाहजहांपुर में किन-किन लोगों को जमीन के पट्टे किये गये ? क्या उन व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यो ? कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम भावलखेड़ा जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2003 में निम्नलिखित व्यक्तियों को कृषिक भूमि का पट्टा दिया गया :-

1-जानकी पत्नी भिखारी।

2-कलावती पत्नी गोकुल।

3-सोनपाल पुत्र परसादी व रामदेवी पत्नी सोनपाल।

4-छोटे लाल पुत्र डोरी।

5-मुन्ना पुत्र धारी व वीरवती पत्नी मुन्ना लाल।

6-छोटे लाल पुत्र प्यारे, सरोजनी पत्नी छोटे लाल।

7-राकेश पुत्र राम सहाय व सुशीला पत्नी राकेश।

8-बच्चन पुत्र भूधर।

9-मंगरे पुत्र सिरदार व सुन्दरि पत्नी मंगरे।

10-वीरेन्द्र पुत्र सुमेर व मंजू पत्नी वीरेन्द्र।

11-मनोहर पुत्र गोकुल। निवासीगण ग्राम भावलखेड़ा जनपद शाहजहांपुर।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र-तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी से गढ़ियारंगीन मार्ग पर स्थित ग्राम बिहारीपुर के सम्पर्क मार्ग का निर्माण विषयक पत्र

45-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र-तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी से गढ़ियारंगीन मार्ग पर स्थित ग्राम बिहारीपुर का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/95503/2004, दिनांक 15-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग ठीक कराने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है।

मार्ग ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में चौडगरा से बकेवर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्त का मांग

46-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में चौडगरा से बकेवर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, कुछ स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की पैच मरम्मत का कार्य प्रगति में है, जिसे 2 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

47-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित मवैय्या रेल फाटक पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य

48-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मवैय्या रेल फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अधूरा है? यदि हां, तो उक्त अधूरा कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

बिजली के खम्भों आदि के शिफ्ट होने के 6 माह बाद पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

नाबार्ड योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में पुल निर्माण हेतु पत्र

49-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत नाबार्ड योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ में पुल निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-2-04 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर जनपद के असोधर-चरौली मार्ग से रामनगर कौहन-कंसापुर मार्ग के निर्माण की मांग

50-श्रीमती कृष्णा पासवान-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सन् 2002-2003 में स्वीकृत फतेहपुर जनपद के असोधर-चरौली मार्ग से रामनगर कौहन-कंसापुर मार्ग का निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के मुसाफा करविगवा मार्ग पर कोसा विसरौली (पाण्डु नदी पर पुल) निर्माण की मांग

51-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में मुसाफा करविगवा मार्ग पर कोसा विसरौली पाण्डु नदी पर पुल निर्मित कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-धानी मार्ग के निर्माण हेतु कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के बकाये मुआवजे का भुगतान

52-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के लोक निर्माण खण्ड बांसी-धानी मार्ग के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का बकाया मुआवजा दे दिया गया? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग के बकाये मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत बांसी-धानी मार्ग का निर्माण 23 वर्ष पूर्व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्यमान कच्चे मार्ग के संरेखण पर किया गया था जिसमें भूमि अध्याप्ति का प्राविधान नहीं था। अत: प्रकरण में कोई मुआवजा देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-प्रतापगढ़ में बेल्हादेवी मंदिर के पर्यटन विकास हेतु राज्य योजना के अधीन स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में बेल्हादेवी मंदिर के पर्यटन विकास हेतु राज्य योजना के अधीन स्वीकृति हेतु सहायक निदेशक, पर्यटन, इलाहाबाद द्वारा प्रस्ताव एवं आगणन महानिदेशक पर्यटन को पत्र संख्या-294/03/रा0यो/प्रतापगढ़/03-04/दि0 25-7-03 भेजा गया, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जी हां।

पूर्व वर्षों में इस स्थल के विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक धनराशि व्यय की जा चुकी है। सीमित परिव्यय एवं निर्धारित प्राथमिकताओं के अन्तर्गत न आने के कारण प्रश्नगत योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

54-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर जनपद के खुर्जा, जहांगीराबाद व शिकारपुर अनूपशहर, बुलन्दशहर शिकारपुर, बुलन्दशहर अनूपशहर मार्गो के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-2004 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नकर्ता के दिनांक 11-6-2004 के चार पत्र प्राप्त हुए है।

पत्र में उल्लिखित मार्गों की मरम्मत सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धनराशि से करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में ग्राम सोरों के पास वरुणा नदी पर पुल के निर्माण की मांग

55-श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-इलाहाबाद में जंघई से बरना तक 20 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर ग्राम सोरों के पास वरुणा नदी पर पुल न होने के कारण बरसात में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर वरुणा नदी पर पुल का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

केवल बरसात में आवागमन बाधित होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत स्थल पर काजवे (रपटा) बना हुआ है। अपस्ट्रीम में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एवं डाऊनस्ट्रीम में लगभग 17 किलोमीटर पर सेतु उपलब्ध है।

ग्राम बरियाराम से सरायं ममरेज तक 15 किलोमीटर मार्ग के मध्य ग्राम रस्तीपुर के पास वरुणा नदी पर पुल के निर्माण की मांग

56-श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बरियाराम से सरायं ममरेज तक 15 किलोमीटर मार्ग के मध्य रस्तीपुर के पास वरुणा नदी में पुल न होने के कारण नागरिकों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत कर प्रारम्भ करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

केवल बरसात में आवागमन बाधित होता है।

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल पर काजवे (रपटा) बना हुआ है। अपस्ट्रीम में 15.00 किलोमीटर की दूरी पर एवं डाऊनस्ट्रीम में 6.00 किलोमीटर पर सेतु उपलब्ध है।

बुलन्दशहर अनूपशहर रोड की मरम्मत की मांग

57-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर अनूपशहर रोड पर कि0मी0 14 व 15 पर मध्य गंगा नहर का पानी पहुंचते ही सड़क में दल-दल हो जाता है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कि0मी0 14 में आवादी का पानी भरने के कारण गड्ढे हो जाते हैं तथा कि0मी0 15 में मध्य गंगा नहर का पानी आने के कारण "वोगी एक्शन" हो जाता है, जिससे आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

बुढ़वल चीनी मिल, बाराबंकी के विस्तारीकरण की मांग

58-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुढ़वल शुगर मिल बाराबंकी के विस्तारीकरण हेतु वर्ष 1989-90 में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो किसानों के हित में उक्त मिल के विस्तारीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा निगम की बुढ़वल चीनी मिल को सम्मिलित करते हुए 24 चीनी मिलों को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बुढ़वल चीनी मिल के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां राजस्व ग्राम-मइला की सीलिंग भूमि गाटा संख्या 76 व 77 पर अवैध कब्जा करने के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

59-श्री द्वारिका प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर, तहसील-सहजनवां, राजस्व ग्राम-मइला की सीलिंग भूमि गाटा सं0-76 व 77 पर शिवनाथ व उनके पुत्रों द्वारा अवैध कब्जा करने के विरुद्ध तहसील दिवस दिनांक 24-4-2001 को पट्टेदारों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश दिया गया था? यदि हां, तो क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि अपर आयुक्त (न्यायिक) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के द्वारा दिनांक 31-12-2000 को दिये गये निर्णय के अनुसार ग्राम-मइला की आराजी संख्या-76 व 77 सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि की श्रेणी में नहीं रह गयी है।

जिला गोरखपुर, तहसील सहजनवां, राजस्व ग्राम मइला की गड़ही गाटा संख्या 270 व 271 ख पर अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग

60-श्री द्वारिका प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला-गोरखपुर, तहसील-सहजनवां, राजस्व ग्राम मइला की गड़ही गाटा सं0 270 व आबादी 271 ख पर संतसरन विश्वकर्मा द्वारा अवैध कब्जा करके दीवार एवं टीन शेड बनवा लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अवैध कब्जा हटवाकर आबादी भूमि को पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

गड़ही गाटा सं0 270 पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है। आराजी संख्या 271 ख रकबा 0.101 हे0 बंजर है जिसमें से 0.012 हेक्टेयर पर श्री सन्त सरन विश्वकर्मा द्वारा दीवार व टिन शेड बनवाया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, ग्राम पंचायत-भूपतिपुर के ग्राम केशरी खेड़ा अन्तर्गत भूमि गाटा संख्या 84 से अवैध कब्जा हटाने विषयक पत्र

61-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव, तह0-पुरवा, ग्राम पंचायत-भूपतिपुर के ग्राम-केशरी खेड़ा अन्तर्गत भूमि गाटा संख्या-84 से अवैध कब्जा हटाने विषयक मा0 खादी ग्रामोद्योग मंत्री का पत्र संख्या-1502/वीआईपी/मंत्री खा0ग्रा0/2002, दिनांक 9-7-2002, विधायक सिद्धार्थनगर का पत्र संख्या-क-2 नं0 158750 दिनांक 13-9-2002, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व, श्रम राज्य मंत्री का पत्र संख्या-633/

रा0 मं0 श्रम/2003, दिनांक 27-11-2003 राजस्व मंत्री का पत्र सं0-471/वी0आई0पी0/रा0म0/2003, दिनांक 4-12-2003 जिलाधिकारी, उन्नाव को संलग्नकों सहित प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत भूमि सं0-84 की स्थलीय पैमाइश करायी गयी, मौके पर भूमि का क्षेत्रफल पूर्ण पाया गया। किसी अन्य का अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम बवां में स्थित गाटा संख्या 1799 की रजिस्ट्री में क्षेत्रीय लेखपाल चकबन्दी द्वारा की गयी राजस्व की चोरी की जांच

62-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-फैजाबाद तहसील-मिल्कीपुर परगना खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम बवां में स्थित भूमि गाटा संख्या-1799 की दिनांक 14 मई, 2004 को करायी गयी रजिस्ट्री में क्षेत्रीय लेखपाल चकबन्दी द्वारा की गयी राजस्व की चोरी के सम्बन्ध में चौधरी रवीन्द्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी भूतपूर्व विधायक, सिद्धार्थनगर का पत्र माह-जून, 2004 में मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या राजस्व चोरी में सहयोगी के क्षेत्रीय लेखपाल एवं बैनामादार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फैजाबाद से करायी गयी। स्टाम्प वाद की कार्यवाही न्यायालय उपायुक्त, स्टाम्प, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के समक्ष विचाराधीन है।

मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि राजस्व की चोरी पायी गयी तो दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ की सदर तहसील के ग्राम हठौता में चकरोड संख्या 39, 40 तथा 9 को अतिक्रमण से मुक्त कराने भी मांग

63-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ की सदर तहसील के ग्राम हठौता में चकरोड संख्या-39, 40 तथा 9 को स्थानीय किसानों द्वारा अतिक्रमण करके अपने-अपने खेतों में मिला लिया गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों चकरोड़ों को अतिक्रमण से मुक्त करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

सैनिक श्री राम प्रकाश मिश्र, नायब सूबेदार को ग्राम धबरेपाता, जिला सन्तकबीर नगर में ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर आवंटित करने के सम्बन्ध में पत्र

64-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कमाडिंग आफिसर एल0आर0डब्लू0 11, आर्मड रेजीमेन्ट, सी/ओ0 56ए0पी0ओ0 का पत्र संख्या-21801, दिनांक 12 जुलाई, 2002 जो कि सैनिक श्री राम प्रकाश मिश्र, नायब सूबेदार को ग्राम-धबरेपाता, तहसील धनघटा, जिला-सन्तकबीर में ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर आवंटित करने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जांच करायी गयी।

जांचोपरान्त पाया गया कि आवेदक श्री राम प्रकाश मिश्र सेवारत हैं जो ज0वि0अधि0 की धारा-198 (1) के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। अपात्र होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[तीसरे सोमवार के अता0प्र0 सं0 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन विष्णु मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु पत्र

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बधौजर ब्लाक महराजगंज जनपद-जौनपुर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन विष्णु मंदिर के सौन्दर्यीकरण, पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मंत्री जी का आदेश पत्र संख्या-328/वी0आई0पी0/पर्यटन मंत्री/04 दिनांक 30-6-04 प्रमुख सचिव, पर्यटन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कौकब हमीद-

जी हां।

प्रश्नगत मंदिर स्थानीय स्तर का है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर चीनी मिल, बभनान ईकाई गोण्डा द्वारा ऊंची दर पर बेची जा रही खाद की बिक्री पर पाबन्दी लगाने की मांग

67-रजनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कि बलरामपुर चीनी मिल बभनान ईकाई गोण्डा द्वारा मिल की स्थापना से वर्ष 2003 तक गन्ना किसानों को गन्ना मिल से सस्ते दर पर फ्रेसमट खाद दिया जाता था, परन्तु वर्ष 2004 से खाद देना बन्द करके गन्ना किसानों की उपेक्षा की गयी है? यदि हां, तो क्या वर्तमान में मिल प्रशासन द्वारा ऊंची

दर पर बेची जा रही खाद की बिक्री पर पाबन्दी लगाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

चीनी मिल द्वारा किसानों को प्रेसमड खाद सस्ते दरों पर दी जाती थी। परन्तु अब प्रेसमड जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर किसानों को निम्न दर से उपलब्ध करायी जा रही है:-

भूमि शक्ति (सामान्य)	60/- रू0 प्रति बोरा (50 किलोग्राम)
भूमि शक्ति (स्पेशल)	85/- रू0 प्रति बोरा (50 किलोग्राम)
जैविक खाद	100/- रू0 प्रति कुन्टल

जैविक खाद के प्रयोग से बची हुई प्रेसमड किसानों को मुफ्त दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड रतनपुरा जिला-मऊ को नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये नये पौधों के भुगतान से सम्बन्धित पत्र

68-श्री रियाज अहमद-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मंत्री स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर उ0प्र0 का पत्र पत्रांक सं0-406 दि0 25-2-2004 जो विकास खण्ड रतनपुरा जिला-मऊ को नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा सन् 2002 में आपूर्ति किये गये नये पौधों के भुगतान के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

विकास खण्ड रतनपुरा के 5 ग्राम पंचायतों (साहूपुर, बकुची डाड़ीडिह, मोहम्मदपुर बरहिया, करऊथ, मेड़डी कला) द्वारा नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ को कोई आपूर्ति आदेश नहीं दिया गया है इसलिए इन मामलों में भुगतान का कोई प्रश्न नहीं उठता, जबकि 12 ग्राम पंचायतों (कुड़सर, अईलख, दतौड़ा, विभौली, नसीराबादकला, जमालपुर, बहरवार, पिलाखी वरूणा, गढ़वा, रजमलपुर, चकरा, सहुवारी) द्वारा पौधो की आपूर्ति ली गयी है, जिसके सापेक्ष फर्म के नाम एकाउन्ट पेयी चेक भी निर्गत किये गये हैं। फर्म के द्वारा ग्राम पंचायतों से सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त न करने के कारण चेक कालातीत हो गये हैं। इन ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम प्रधानों को सम्बन्धित फर्म को अविलम्ब एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगंज, लखनऊ में आई0टी0आई0 से कुर्सी रोड स्थित विष्णुपुरी कालोनी तक क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की मांग

69-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के अलीगंज में आई0टी0आई0 से कुर्सी रोड स्थित विष्णुपुरी कालोनी तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आई0टी0आई0 से कुर्सी रोड स्थित विष्णुपुरी कालोनी तक का भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध सीमित धन से अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। सड़क की विशेष मरम्मत तथा समस्या का स्थायी निदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मछली पालन के पट्टे की नीति

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मछली पालन के पट्टे की नीति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर याचिका सं0 31943/02 श्री राम भरोसे लाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेशों का अनुपालन करा लिया गया है? यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधिक राय लेकर कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम अरसेना, थाना सिकन्दरा, जनपद आगरा के कृषकों की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा हड़पने से सम्बन्धित पत्र

71-डा0 रामबाबू हरित-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अरसेना, थाना-सिकन्दरा, जनपद-आगरा के किसानों की 288 बीघा भूमि को भू-माफियाओं द्वारा हड़पने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांकित 10-6-04 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा से जांच करायी गयी तथा उनकी जांच आख्या दिनांक 21-06-04 के आधार पर श्री रूपेश कुमार, लेखपाल क्षेत्र अरसेना एवं श्री महीपाल सिंह, राजस्व निरीक्षक रुनकता दोषी पाये जाने के फलस्वरूप निलम्बित किये जा चुके हैं। अन्य दोषी अधिकारी श्री के0एम0 लाल, अपर आयुक्त,

आगरा मण्डल आगरा, श्री सतीश कुमार उप महानिरीक्षक निबन्धन, आगरा परिक्षेत्र आगरा एवं श्री सत्यराम, उपनिबन्धक, पंचम आगरा के विरुद्ध कार्यवाही हेतु समस्त सम्बन्धित को जांच आख्या की प्रति सहित लिखा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 अगस्त, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 07 सूचनाएं स्वीकार की गयी-

(उक्त सूचनाओं से सम्बन्धित माननीय सदस्यों में श्री श्याम सिंह अहेरिया के सदन में उपस्थित न होने के कारण प्रतीक्षा सूची से श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना स्वीकार की गयी और सात माननीय सदस्यों की स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी,)

मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्र के सिरसी कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकीलुर्रहमान खाँ-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 13, बहजोई जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत कस्बा सिरसी नगर पंचायत में जहां की आवादी लगभग 40 हजार है, व उसके पूरब पश्चिम लगभग 35 गांव वह भी मेरे क्षेत्र में आते हैं, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता व कस्बा सिरसी की गरीब जनता को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधा न होने के कारण अनेक लोगों को प्रथम उपचार हेतु भी कोई सुविधा न मिलने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण क्षेत्र वासियों में काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सिरसी कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने की मांग करता हूँ तथा शासन से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में पी0सी0एस0 अधिकारियों को बार-बार स्थानान्तरित स्थान पर तैनात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मोती सिंह"

[महोदय, उत्तर प्रदेश में पी0सी0एस0 सम्वर्ग के बहुत से मुख्य विकास अधिकारी एक ही जनपद में प्रशासनिक अथवा जनहित में जिस जनपद से हटाये गये उन्हें दुबारा एवं कुछ जनपदों में तीसरी बार इसी पद पर तैनात किया गया है, जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता। जहां तक जानकारी में है कि प्रथम श्रेणी के किसी अधिकारी को या तो जनहित में अथवा प्रशासनिक आधार पर हटाया जाता है और तैनाती में भी जनहित को ही ध्यान में रखा जाता है और परम्परा रही है कि प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के पी0सी0एस0 अधिकारियों को जहां एक बार तैनात रहे हों वहां दुबारा तैनात न किये जाने की परम्परा रही है। क्योंकि एक बार तैनात जनपद से हटाने वाले अधिकारी के लिए पक्ष विपक्ष में कई कारण बने रहते हैं, यदि उसे दुबारा तैनात किया जाता है तो कुछ

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोग ऐसे अधिकारियों के पक्षपाती रवैये एवं दूषित कार्यशैली के शिकार होते हैं जो उचित नहीं है। इसी प्रकार कुछ उप जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी भी जिन्होंने अपने तैनाती जनपदों में अपनी पुत्री, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक सम्बन्ध, विवाह से जुड़ गये हैं, उसी जनपद में तैनात हैं भी, जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है,ऐसे लोगों को अन्यत्र तैनात किया जाना चाहिए और उन्हें स्वयं भी शासन के संज्ञान में लाना चाहिएं। उदाहरण स्वरूप जनपद प्रतापगढ़ का प्रकरण दृष्टान्त के रूप में विचार योग्य है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समुचित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

सादुल्ला नगर, गोण्डा के कतिपय ग्रामों में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को समयबद्ध सीमान्तर्गत पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आप के माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुल्ला नगर गोण्डा के विकास खण्ड वभनजोत के ग्राम फतेहपुर, धनश्यामपुर, खमहरिया एवं विकास खण्ड इटियाथोक के बाबागंज बाजार, नदावर तथा विकास खण्ड मुजेहना के ग्राम दुढ़ना का विद्युतीकरण कार्य विगत पांच-छ: वर्षो से कराया जा रहा है परन्तु अभी तक उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है उपरोक्त ग्रामों में कहीं पर खम्भे लगा दिये गये हैं परन्तु तार व ट्रान्सफारमर नहीं लगाया गया है। कहीं पर तार खिंचे हैं तो विद्युत सप्लाई नहीं की जा रही है इस प्रकार अधूरे पड़े विद्युतीकरण के कार्य से पोल टूट कर गिर रहे हैं जिससे सरकार को हानि हो रही है। विद्युतीकरण का लाभ न मिल पाने के कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत विद्युतीकरण पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर में अवध शुगर मिल हरगांव के एक कर्मचारी की मृत्यु के फलस्वरूप परिवार को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर में हरगांव कस्बे में अवध शुगर मिल संचालित है जिसमें जैविक खाद बनाने व अल्कोहल के डिस्टिलरी प्लान्ट भी संचालित हैं। अवध शुगर मिल में हरगांव के महेन्द्र पासी पुत्र राम औतार निवासी मुराद नगर थाना हरगांव, मिल में कर्मचारी था, माह जनवरी, 2004 में मिल में काम करते समय मिल प्रबन्ध तंत्र की लापरवाही के कारण साफ्ट में फंसकर महेन्द्र कुमार की मृत्यु हो गयी थी। क्योंकि जिस प्लान्ट पर महेन्द्र पासी काम कर रहा था उस प्लान्ट की साफ्ट खुली थी। मिल प्रबन्धक तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने साफ्ट को, चादर से जिससे साफ्ट ढकी रहती थी गल जाने के कारण पुन: साफ्ट को, टीन की चादर से नहीं ढकवाया गया और पूर्णतया लापरवाही व उपेक्षा की, जिस कारण मिल के प्रबन्धक द्वारा लापरवाही के चलते महेन्द्र पासी की साफ्ट में फंसकर मृत्यु हो गयी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हरगांव में दर्ज करायी गयी। मृतक महेन्द्र की विधवा पत्नी तथा छोटे-छोटे अवस्यक बच्चे हैं, लेकिन मिल प्रबन्ध तंत्र के द्वारा मृतक महेन्द्र पासी के परिवार को न तो आर्थिक सहायता/क्षतिपूर्ति दी गयी और न ही उसकी विधवा को सेवा में मृतक वारिस के स्थान पर लिया गया जिस कारण मृतक महेन्द्र पासी का परिवार भूखों मरने की कगार पर है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: मैं इस अविलम्बनीय, लोकहित महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मृतक के परिवार को पांच लाख रूपये के मुआवजा तथा मृनक की पत्नी को सेवा में लिए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा ईरनी में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा ईरनी में सिंचाई विभाग शारदा सहायक खण्ड-23 नहर पर पुल के निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पुराना पुल जर्जर अवस्था में है एवं उस पुल से कोई भी वाहन क्रास नहीं हो सकते हैं। किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है क्षेत्रीय जनता के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी सिंचाई विभाग द्वारा पुल का निर्माण नहीं कराया गया। इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है एवं क्षेत्रीय जनता अपने-आपको उपेक्षित महसूस कर रही है स्थिति किसी भी समय विकराल आंदोलन का रूप धारण कर सकती है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुल के निर्माण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत कालपी-राठ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

[महोदय, कालपी जनपद जालौन में कालपी राठ मार्ग का हिस्सा गत वर्ष अतिवृष्टि में पूरी तरह बह गया था और महीनों यातायात बन्द रहा था बरसात के बाढ़ में भी पुनर्निर्माण मरम्मत कार्य नहीं किया गया इस मार्ग में तीन पुलियों का निर्माण कर के मार्ग मरम्मत करने का विभाग का प्रस्ताव था किन्तु विभाग द्वारा 1 वर्ष में कार्य न करने का कारण धन न होना बताया गया। इस मार्ग पर आवागमन अत्यधिक है। सूखे में तो किसी तरह वाहन निकलते रहे पर पहली बरसात के बाद ही यातायात अवरूद्ध हो गया है और काफी बड़े क्षेत्र का तहसील मुख्यालय से सीधा सम्पर्क कट गया है। अब तक पुलिया तथा मार्ग निर्माण न किये जाने से ग्रामीणों को 30 कि0मी0 का चक्कर लगा कर कालपी आना पड़ रहा है जिससे स्थिति गम्भीर है।

मैं अविलम्ब लोक महत्व के इस प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

शाहजहांपुर में घनी आबादी के बीच चल रही अवैध गोश्त की दुकानों को हटाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् की सीमा के अन्तर्गत घनी आबादी के बीचो-बीच मो0 मुन्नूगंज मोहम्मद अली मार्केट के पास एक बड़ी गोश्त की दुकान, मो0 बहादुरगंज मा0 शब्बू सभासद के घर के सामने एक बड़ी गोश्त की दुकान, तथा मल्हार सिनेमा वाली गली में एक छोटी गोश्त की दुकान नियमों की अवहेलना करके चलाई जा रही है, स्थानीय स्तर पर कई बार प्रयास करने के बाद भी यह दुकानें नहीं हटाई गयी। जनहित में आबादी के बीच गोश्त की दुकानें अन्यत्र हटाया जाना बहुत आवश्यक है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम सक शाहजहांपुर नगर में आबादी के बीच चल रही अवैध गोश्त की दुकानों को हटाने की मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05-08-2004 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं-

1- श्री मो0 इरशाद खां, 2- श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 3- डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, 4- श्रीमती कृष्णा पासवान, 5- श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, 6- श्री राजेश कुमार, 7- श्री रामहेत 8- श्री श्याम सिंह अहेरिया, 9- श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री श्याम सूरत उपध्याय तथा श्रीमती अमीता सिंह, 10- श्री जटा शंकर सिंह, 11- श्री सुरेश कुमार खन्ना।

इनमें से दो सूचनाओं पर सुना जायेगा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौड़, आप कृपया अपनी सूचना पर बोलें।

श्री मो0 इरशाद खान के परिवार पर हुए जानलेवा हमले की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने पर औचित्य का प्रश्न

श्री मो0 इरशाद खान-

मान्यवर, मेरे मामने से सम्बन्धित पहली सूचना थी और आपने 28-7-2004 को सुना भी था।

श्री अध्यक्ष-

आपके मामले में प्रमुख सचिव, गृह को मैं अपने चैम्बर में बुलवा लूँगा और आपकी उसमें वार्ता करायी जायेगी। इसलिए इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं सुन रहा हूँ।

श्री श्याम सिंह अहेरिया-

मान्यवर, मेरी नियम 301 में सूचना स्वीकृत थी मेरा अनुरोध है कि कृपया उसे ग्रा[illegible] करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें।

नगर पालिका अध्यक्षों तथा नगर पंचायतों के नामांकन की तिथि सत्रकाल में बढ़ाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, कल नगर पालिका अध्यक्षों और नगर पंचायतों का नामांकन होना है। मेरा अनुरोध है कि उस कार्य को कल 6 तारीख के बजाय (क्यों कि कल सदन है) उसकी कोई अन्य तारीख निर्धारित करने हेतु शासन से कहने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इसके बारे में आप संसदीय कार्य मंत्री जी से वार्ता कर लीजिए।

गत सत्र में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के औचित्य के प्रश्न की सूचना पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण का मामला उठा रहा हूँ। यह प्रकरण पिछले ढाई वर्ष से लम्बित है। मैंने पिछली बार इसे 10 दिसम्बर, 2003 को भी उठाया था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 को जारी हुई थी, उस शासनादेश मे यह कहा गया था कि यह 30 जून, 1998 को या उससे पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विनियमितीकरण की नियमावली प्रख्यापित की गयी है। जिसके नियम-2 के उपनियम एक के स्तम्भ दो में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति 30 जून, 1998 को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हों और तदर्थ नियुक्ति के समय विहित अर्हतायें रखता हो तथा निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उसे उसी पद पर विनियमित कर दिया जाय।

मान्यवर, शासन द्वारा विनियमितीकरण नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त विभागीय कार्यवाही के क्रम में निदेशालय (उच्च शिक्षा), इलाहाबाद द्वारा गठित कमेटी की संस्तुति 30 मार्च, 2002 को शासन को भेज दी गयी और शासन स्तर पर विभागीय विनियमितीकरण की बैठक 25 जून, 2002 को तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री वी0के0 मेहरोत्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में तदर्थ रूप से कार्यरत 86 प्रवक्ताओं में से 64 को प्रख्यापित नियमावली से आच्छादित पाया गया तथा शेष प्रवक्ताओं की सेवा में निरन्तरता न होने के कारण उनके लिए पूर्व में किये गये विनियमितीकरण की भाँति नियमों में शिथिलता बरतते हुए सूची जारी करने का निर्णय लिया गया।

मान्यवर, इस तरीके से शासन का शासनादेश भी है परन्तु शासन द्वारा उस निर्णय पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसीलिए मैंने इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य किया है। मान्यवर, इस विषय को मैंने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठाया था और पीठ माननीय अधिष्ठाता महोदय ने यह निर्देशित किया था कि मैं लिखकर संसदीय कार्यमंत्री को दे दूँ। मैंने 12 फरवरी, 2004 को आपके निदेशों के अनुपालन में संसदीय कार्यमंत्री को लिखा और आपने निर्देश दिया था कि उच्च शिक्षा मंत्री से जवाब दिला देंगे। लेकिन 5 माह बीत गये अभी कुछ नहीं हुआ। इससे लगता है कि यह सरकार कितनी उदासीन है शिक्षकों को यह सरकार नहीं मान रही है, आपने स्पष्ट निर्देश दिया था। मान्यवर, जब नियमों के अनुसार यह तदर्थ शिक्षक आते हैं तो इनको नियमितीकरण करने में क्या कठिनाई है? पूर्व में भी मैं इसको उठा चुका हूँ यह नियम के अन्तर्गत आते है इनका नियमितीकरण कब कर दिया जायेगा इस पर उत्तर दे दें?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह बात सही है, कल भी सदन में नेता सदन ने कहा था। शिक्षकों के मामले में सरकार कितनी उदासीन है कितनी नहीं, यह प्रदेश की जनता जानती है और शिक्षक भी जानते हैं, कोई उपेक्षा नहीं हो रही है। इसको जल्दी करा देंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह 12 फरवरी का है, इसका उत्तर दिलवा दें कि इसका विनियमितीकरण कब तक करा दिया

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उत्तर मिल जायेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जब यह नियमों के तहत है और सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है तो क्या दिक्कत है?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत शीघ्र उत्तर दिलवा देंगे।

मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री श्याम सूरत उपाध्याय और श्रीमती अमीता सिंह की है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से औचित्य के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाते हुए सम्पूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, जनता की गाढ़ी कमाई से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको प्रदेश के निर्माण में लगाया जाता है। यहां पर क्या खर्च हुआ, क्या खर्च होना है उसको बैठकर उत्तर प्रदेश के सदन में बैठकर हम लोग तय करते हैं, यह सदन तय कर देता है। हर चीज के लिए दिशा निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, जो बात मैं कहना चाहता यह बहुत ही दुख, क्षोभ और बहुत ही रोष में कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का दुरूपयोग किया गया है, वह एक बड़े घोटाले से कम नहीं है उस पर मैं आपका औचित्य का प्रश्न चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे पास भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है जो इस सम्मानित सदन में 31 मार्च , 2002 को प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, किसी भी सरकार के मुख्य मंत्री को विवेकाधीन कोष दिया जाता है और उसके साथ यह आशा, यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका ठीक उपयोग करेगा। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष के संचालन के लिए 1989 और 1999 में नियम पुनरीक्षित किये गये और नियमों में प्राविधान है कि किसे अनुदान दिया जायेगा इसमें है असहाय व्यक्तियों, अपंग व्यक्तियों, दुर्बल समाजों के लोग या निराश्रय विधवाओं या बच्चों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में लगी हुई संस्थाओं, बीमारियों से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को भवनों के निर्माण हेतु, निर्धन परिवारों जो जीविकोपार्जन करने वाले सदस्य या सदस्यों को कत्ल, क्रूर अपराधों या दुर्घटनाओं में खो दिया हो और विशेष परिस्थितियों में उन व्यक्तियों/परिवारों को जो अग्निकांड, भूस्खलन, वर्फपात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीडित हो परन्तु मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह 2-3 वर्ष में एक बड़ा घोटाला हुआ है। इस पर सब्र के साथ सुनिये कि किस तरह जनता की गाढ़ी कमाई के धन का दुरूपयोग किया गया है। यदि 1-2 मिनट अधिक हो जाय तो मुझे मौका दीजियेगा, क्योंकि इस तरह की बातों का सदन के संज्ञान में आना अतिआवश्यक है।

मैं आपको सिलसिलेवार, पृष्ठवार, वर्षवार कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में इन सारे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके तत्कालीन सरकारों ने संघ से जुड़े, संगठन से जुड़े, जातीय संगठन, धार्मिक संगठनों को धन दिया है। जितना था, उससे ज्यादा दिया है, बढ़ाकर दिया। मैं कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा। रानी अवन्तीबाई लोधी संस्थान, लखनऊ को 12 लाख, पृष्ठ 233, केशव धाम, मथुरा को 2.5 करोड़,

पृष्ठ संख्या 233-234-235, माधवसेवा आश्रम भाऊराव देवरस सेवा ट्रस्ट को, 1 करोड़ रू0, पटेल विद्यापीठ डिग्री कालेज, बरौर, कानपुर को 25 लाख रूपये, पृष्ठ 236, बिन्द निषाद समाज जागरण समिति जौनपुर को 15 लाख रूपये पृष्ठ 234, एस0एस0 मन्दिर, सरस्वती कुंज, निरालानगर, लखनऊ को 54 लाख रूपये, एस0एस0 मंदिर, हैदरगढ़, बाराबंकी को 5 लाख रूपये, यह रूपये गाड़ी के क्रय के लिए दिये गये, जिसका शादी में दहेज के लिए उपयोग किया जाय। मान्यवर, मैं तो इसे कहूँगा कि यह अनर्थ है, घोटाला है और निन्दनीय है। इसी तरह रामलीला समिति, ऐशबाग, लखनऊ को 25 लाख रूपये, पृष्ठ 234, इसके बाद देखिये विश्व वेद संस्थान, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली को 12 लाख रूपये, उत्तर प्रदेश नहीं, नई दिल्ली को भी पैसा दिया गया है। लोधी राजपूत धर्मशाला, सतना, मध्य प्रदेश को 5 लाख रूपये दिये गये। अगर आप देखें तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई समाचार-पत्रों की सूचना नहीं है बल्कि यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में आया है, जो इस सदन में प्रस्तुत हो चुका है और जो इस सदन की कार्यवाही का अंग बन चुका है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे विवाह के लिए पैसा दिया गया है, इसे मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष का दुरूपयोग कहना तो बहुत साधारण सा शब्द है, बल्कि मैं तो इसे जनता की गाढ़ी कमाई पर डकैती डालने की संज्ञा दूँगा। इन्होंने जनता के पैसे पर डकैती डाली है।

मैं केवल दो मिनट का समय और लूँगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और कोई हो नहीं सकता। कई करोड़ रूपये इन संघों को, संगठनों को दिया गया है। मैं किसी संघ, संगठन के प्रति कोई विद्वेष की भावना नहीं रखता, लेकिन मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे संगठन हैं जो इनका राजनीतिक कार्य करते हों, तो क्या इनको यह अधिकार है कि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह बांट दें। मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से उनको पैसा दे दिया जाय और वह इस पैसे से अपनी गतिविधियां संचालित करें, अपने कार्यों को संचालित करें। 5 लाख रूपये किसी कार्यकर्ता को दे दिया जाय कि इससे कार खरीदकर दहेज में दो, विवाह के लिए पैसा दिया जाय। जो बात मैं कह रहा हूँ, वह पूरे पृष्ठवार, पूरे आधार के साथ इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कार्यवाही का अंग भी बन चुकी है। आपको याद होगा कि एक दिन में मुख्य मंत्री के ऊपर 150 मुकदमें कायम हुए थे और जिसमें एक मुकदमा मेरे यहां एक विद्यालय को 1 लाख 25 हजार रूपये का भी था, जो भवन के कमरे को बनाने के लिए दिया गया था, जो अब बनकर तैयार है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। यह साधारण घटना नहीं है और शासन भी इसे साधारण घटना के रूप में न ले। यह जबर्दस्त घोटाला है और जनता की गाढ़ी कमाई का राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुरूपयोग है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि साम्प्रदायिकता फैलाने वाले संगठनों को दिया गया है। इस पर आप कड़ी कार्यवाई करें, सदन की एक समिति बनायें और इस पैसे की वसूली उन लोगों से करें जिन्होंने इस पैसे का दुरूपयोग किया है या वह जिस राजनैतिक दल के मुख्य मंत्री रहे हों, उनके कार्यालय से किया जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारे दल का नाम लिया गया है, आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है उस पर पी0ए0सी0 कमेटी विचार करेगी, इसका औचित्य यहां पर नहीं बनता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बात आपको तब कहनी चाहिए थी जब इस बात को उठाया जा रहा था। आपने सारा भाषण सुन लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया और कुछ इशारा किया कि हमारे कार्यकाल में इस धन का

व्यय हुआ। मैं आपको बता दूँ कि एक मुख्य मंत्री के कार्यकाल में 45 करोड़ रूपये विवेकाधीन कोष से अपने कार्यकर्ताओं को दिये गये, यही नहीं लाइसेन्स मंजूर कराकर विवेकाधीन कोष से हथियार तक खरीदवाये गये। अगर कमेटी बनानी है तो अवश्य बनाइये, मैं समर्थन करता हूँ लेकिन पिछले 20 साल तक जो भी मुख्य मंत्री रहे हैं और विवेकाधीन कोष से धन दिया है, सबकी जांच की जाये। हमने तो पैसा सामाजिक कार्यों के लिए दिया है और इन लोगों ने तो राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन का सरासर अपव्यय किया है। इसलिए कमेटी बनानी है तो अवश्य बनाइये लेकिन 20 साल तक के मुख्य मंत्रियों के कार्यकाल में जितने पैसे का जहां-जहां उपयोग हुआ है, सबकी जांच की जाये।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने जिनती बातें कही है वह महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कही है।

श्री हुकुम सिंह-

45 करोड़ रूपया जो खर्च किया गया वह भी मैं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ।

(श्री हुकुम सिंह और श्री प्रमोद कुमार एक साथ अपनी बात कहते रहे)

श्री प्रमोद कुमार-

मैं जो कुछ कह रहा हू, पूरी गम्भीरता के साथ कह रहा हूँ और इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। आप 10 साल, 15 साल और 20 साल तक की जांच कराइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मान्यवर, अगर औचित्य पर यदि बोलना है तो पहले पाल साहब को सुना जाये और किसी दूसरे को न बोलने दिया जाये। जिनकी सूचना नहीं है वह कैसे बोल रहे हैं? सदन ऐसे नहीं चलेगा। जनता की गाढ़ी कमाई का जो दुरूपयोग हुआ है समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप शान्त रहें। प्रमोद कुमार ने जो कुछ कहा है उस पर पी0ए0सी0 विचार करेगी, उसके बाद सदन में रखेगी। यह विवेकाधीन कोष का मामला है, इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, डेमोक्रेसी में आटोक्रेसी की छूट नहीं दी जायेगी। आप प्रजा तंत्र के नाम पर स्वेच्छाचारिता कर रहे हैं। अगर जनता ने बैठने का अवसर दिया है तो उसे संसदीय प्राविधानों के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्यों को करना चाहिए। यह नहीं कि अगर सरकार में हैं तो स्वेच्छाचारिता के नाम पर उसे अपने कार्यालय मण्डप को बनवाने के लिए पैसा दिया जाये। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष का प्राविधान इसलिए किया गया कि एनुअल बजट में जिस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है और ऐसी परिस्थितियां हैं, नैचुरल क्लैमिटी हो जाती है जिसके लिए पैसे की आवश्यकता है, ऐसे समय में मुख्य मंत्री अपने विवेकाधीन कोष से या ऐसी आकस्मिकता के कामों के लिए काम कर सकें। लेकिन किसी की शादी में मारुति कार दी जा सके इसके लिए पैसा दिया गया।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होकर कुछ कहते रहने पर)

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी है और मेरी नोटिस पर आप मुझे सुन रहे हैं जबकि बाजपेयी जी बीच में बिना अनुमति के बोल रहे हैं। मान्यवर, आप औचित्य के दूसरे प्रश्न को धैर्यपूर्वक सुनते रहे, परन्तु जिसके इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं है वह बीच में क्यों बोल रहे हैं? आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जब मैं नियम-56 की बात कर रहा था तो पाल साहब क्यों बोल रहे थे?

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी यहां पिछले 20 वर्षों की बात कही गयी, इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। जिससे जनता में गलत सन्देश न जाये। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने से जुड़े 35 आनुषांगिक संगठनों को दिया है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। प्रमोद कुमार जी व आपको सुनने के पश्चात् मैं इसे निरस्त करता हूँ।

श्री राम नरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से....

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, राम नरेश यादव जी प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हैं और बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए इनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस औचित्स के प्रश्न को निरस्त कर दिया। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े घोटाले की जांच के पक्ष में नहीं है, उसे उजागर नही होने देना चाहती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये के विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-953/ग्यारह-9 (458)/94- उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश (7) 2003

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-953/ग्यारह-9 (458)/94- उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश (7) 2003, दिनांक 19 फरवरी, 2003 को विलम्ब के कारणों सहित उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-क की उपधारा- (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1635/ग्यारह-6(4)-87-उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश (15) 2003

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1635/ग्यारह-6(4)-87-उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश (15) 2003 को विलम्ब के कारणों सहित उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3-घ की उपधारा-(8) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2489/ग्यारह-9(81)-91-उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (19) 2003

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2489/ग्यारह-9(81)-91-उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (19) 2003, दिनांक 9 मई 2003 को विलम्ब के कारणों सहित उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा-4 की उपधारा-(6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-159/ग्यारह-9(203)/92-उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (1) 2004

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-159/ग्यारह-9(203)-92-उ0प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (1) 2004, दिनांक 15 जनवरी, 2004 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा-4 की उपधारा-(6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-223/ग्यारह-9(35)/2003-उ0प्र0 अधि0-15-48 नियम-1948-2004 (6)

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभ ग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-223/ग्यारह-9(35)/2003-उ0प्र0 अधि0-15-48-नियम-1948-2004 (6), दिनांक 20 जनवरी, 2004 को विलम्ब के कारणों सहित उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम-1904 की धारा-23-क-(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-441/ग्यारह-9(124)-2003-उ0प्र0 अधि0-15-48- आदेश-(10) 2004

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1769/ग्यारह-9(124)-2003-उ0प्र0 अधि0-15-48- आदेश-(10) 2004, दिनांक 6 फरवरी, 2004 को विलम्ब के कारणों सहित उ0प्र0 व्यापार कर ऐक्ट 1948 की धारा-3-क की उपधारा-(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1769/ग्यारह-9(1)-2004-उ0प्र0 अधि0-12-2000- आदेश-(17) 2004

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1769/ग्यारह-9(124)-2003-उ0प्र0 अधि0-15-48- आदेश-(10) 2004, दिनांक 5 जुलाई, 2004 को उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा-4 की उपधारा-(6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1797/ग्यारह-9(8)-2002-उ0प्र0 अधि0-15-48- नियम-1948-2004(22)

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1797/ग्यारह-9(8)-2002-उ0प्र0 अधि0-15-48- नियम-1948-2004(22) दिनांक 6 जुलाई, 2004 को उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क-(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 29वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 तथा 30वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 29वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 तथा 30वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट 1950 की धारा-33 की उपधारा-4 में निहित प्राविधानों के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स ट्यूवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 को विलम्ब के कारणों सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 की उपधारा-2 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 [जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 [जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

प्रमुख सचिव विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 13, 14, 15, 16 में कुछ नहीं है। कृपया मद संख्या-17 ले लें।

नोट- † छापे नही गये।

†† दिनांक 24.8.2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2004††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसकी कापियां नहीं मिली हैं।

श्री अध्यक्ष-

कापियां पिजन होल में रख दी गयी थी दिखवा लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं अभी 5 मिनट पहले ही देख कर आया हूँ। वहां विधेयक की कापी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष-

इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004†

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004†

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

नोट :- † दिनांक 24.8.2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुमति मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- † दिनांक 24.8.2004 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विधान सभा सदस्यों को आवास समिति के माध्यम से भूखण्ड/फ्लैट्स उपलब्ध कराये जाने की सूचना

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन में कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। यह सदस्यों से सम्बन्धित मामला है। श्रीमन्, तेरहवीं विधान सभा में माननीय सदस्यों के लिए जिनके पास लखनऊ में अपना आवास नहीं था उनके लिए जो विधायक के तौर पर फ्लैट्स आवंटित होते हैं उसके अतिरिक्त भूखण्ड या बने हुए फ्लैट्स दिये जाने की व्यवस्था तत्कालीन सरकार में टण्डन जी, जो नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री थे ने की थी। उस समय जिन सदस्यों ने उसके लिए पंजीकरण कराया था उसमें अधिकांश सदस्यों को वह सुविधा प्राप्त हो गयी। विधायकों एवं सांसदों की आवास समिति अभी भी क्रियाशील है। मैं छोटी सी घोषणा सदन में करना चाहता हूँ। दो स्थानों पर उनके लिए भूखण्डों की व्यवस्था हेतु गोमती नगर में स्थान का चयन कर लिया गया है और आपार्टमेंट बनाकर फ्लैट्स देने की योजना तैयार कर ली गयी है एक तीसरी और चौथी योजना को बनवा रहे हैं। मुझे यह कहते हुए कोई बहुत गर्व की बात नहीं है मैं सदस्यों से यह जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि जिनको इसके पूर्व किसी योजना में आवास या भूखण्ड निजी तौर पर प्राप्त नहीं हुए हैं और उनमें से जो लोग अभी भी पंजीकरण नहीं करा सकें हैं वह सदस्य जिस स्कीम में चाहें अपनी इच्छा व्यक्त कर दें, लिखित रूप में दे दें ताकि उनको शामिल करके योजना का लाभ आपको दिया जा सके।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह सबके लिए है। केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अवगत कराया कि यह अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, यह उन सभी सदस्यों के लिए जिनके लखनऊ में अपने आवास नहीं है।

एक सदस्य-

अल्पसंख्यक मंत्रियों को प्राथमिकता होगी?

श्री अम्बिका चौधरी-

ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्पसंख्यक मंत्री या विधायकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस सम्बन्ध में आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। सदन इस विषय पर चर्चा के लिए नहीं है। मैंने अवगत कराया कि माननीय सदस्यों के आग्रह पर योजनाओं में भूखण्ड उपलब्ध है, परन्तु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। भूखण्ड की व्यवस्था हरदोई रोड पर उसके जंकशन के प्रारम्भ होते ही है। बहुत उपयुक्त स्थान पर है और इसके लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे नगर विकास मंत्री भी हैं और इसका ले-आउट उन्होंने, जैसा कि मैंने उनसे बार-बार आग्रह किया, उन्होंने रूचि लेकर अपने अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित करके करवाया। इसके बारे में सदन में ज्यादा उल्लेख करना ठीक नहीं है इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह सर्वोपयुक्त स्थानों पर है। दूसरी वृन्दावन योजना जो कि नहर के पास है यह स्कीमें हैं, इनमें पर्याप्त भूखण्ड उपलब्ध है, आप अपना औप्शन जिसमें चाहें दें। आपको भूखण्ड उपलब्ध हो जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, पहले भी यह बात आई श्री और यह कहा गया था कि आप लोग जो भूखण्ड चाहते हैं उसका पैसा जमा कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हमने पिछली सरकार में रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने पहले कराया हुआ है उनको आवंटन कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसको सदन में बहस का मौजूँ न बनायें। जितनी जानकारी सदन में आ गयी, काफी है। मेरे से जानकारी आप ले लें। अम्बिका जी से, आप जानकारी ले लें। यह आपके अच्छे के लिए है, अच्छा ही होगा। इसमें दल का कोई भेद नहीं है। यहां इस पर जानकारी न लीजिए। अलग से जानकारी ले लीजियेगा, यह मेरा निवेदन है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 अगस्त, 2004 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु,सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में छात्र-छात्राओं के प्रवेश की तिथि 31.7.2004 से आगे बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जिनकी सूचनाएं हैं मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ। दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की, नगर पालिका परिषद् पिलखुवा जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत संगठित विकास योजना में करोड़ों की भूमि की सस्ते में बेच दिये जाने के सम्बन्ध में हैं। तीसरी सूचना श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री आर0के0 सिंह पटेल तथा श्री सदल प्रसाद, की निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित आवास अनुदान की राशि लाभार्थियों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री रामहेत की सीतापुर जिला सहकारी समितियों तथा जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा किये गये सरकारी धन के गबन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। और पांचवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत में जिला ग्राम विकास अभिकरण की बैठकों....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हम लोगों की भी सूचना है। हम चाहते हैं कि माननीय टण्डन जी को पहले बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी भी सूचना है, आपका भी नाम है और आप चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पहले बोलें तो वे पहले बोल लें।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, अल्पसंख्यकों के लिए अलग मकान बनाने की जो बात है। मैं चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री जी उसकी गहराई को समझ लें। यह उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा इस सेन्स में हो रहा है कि बाल्मीकी अम्बेदकर योजना के अन्तर्गत नियमावली बनाई है समाज के हर वर्ग को जो गरीबी की रेखा से नीचे है उनको मकान बनाकर दीजिए इसमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं है। उस बाल्मीकि अम्बेदकर योजना को परिवर्तित करके एक वर्ग विशेष के लिए मकान बनाये जायेंगे तो भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि पर रोक लग जायेगी। मैं नहीं समझता हूँ अब क्या व्यवस्था है हमने यह कर रखा था कि जमीन आप ढूँढ लें पैसा भारत सरकार से मिल जायेगा उस समय 40 हजार रूपया मिलता था उस समय जिनकी जमीनें हैं उनको पैसा दिया जा सकता है। यह व्यवस्था थी जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन भारत सरकार देगी उस पर मकान बनकर तैयार होगा व्यवस्था सबके लिए है उसमें धर्म जाति का भेदभाव नहीं है उसमें सामान्य वर्ग के लिए जो राजस्व मंत्री विधेयक लाने वाले हैं सबके लिए आरक्षण की बात हो गयी है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण यहां वैसे ही है उसको पहले से लागू किया गया है सामान्य वर्ग के लिए पहले से आरक्षण है जो गरीबी की रेखा से नीचे है। आप एक वर्ग के लिए आरक्षण करेंगे तो भारत सरकार से मिलने वाला जो धन है जो पैसा है उसको रूकवा देंगे। यहां पर अगर क्राइसेस खड़ा होता है तो यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ होगा।

यहां जाति धर्म सम्प्रदाय के आधार पर भेद-भाव न हो आज देश आर्थिक आधार पर आरक्षण की ओर जा रहा है। आप यह परिभाषायें बदलेंगे तो सही नहीं होगा जिनके पास मकान नहीं है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अयोध्या से इस तरह की बात शुरू करने का आशय क्या है यह बार-बार उन विषयों के ऊपर हैमर करने की कोशिश करते हैं जो संवैधानिक परम्परा के विरूद्ध है, सेक्यूलरिज्म के विरूद्ध है, कोई घोषणा से नियमावली कानून नहीं बन जाता है जो प्रदेश के लिए संसाधन है वह इसीलिए है केन्द्र सरकार से बार-बार पैकेज मांगने के बजाये जो है उसका इस्तेमान करना चाहिए। दस हजार मकानों का यूटीलाइजेशन हुआ। उससे पहले 70 हजार मकान बनवा कर हमने दिये थे। उत्तर प्रदेश में पाँच-दस रूपये में हर गरीब को मकान मिल जायेगा उनके पास रहने, बच्चों को पढ़ाने की सुविधा होगी। वह गरीब है इसलिए उनको छत मिल जाये, यह योजना शुरू की गयी उत्तर प्रदेश में पाँच रूपये में मकान दिया जा सकता है तो सारे देश में क्यों नहीं दिया जा सकता है?

श्री जगदम्बिका पाल-

आपने तो कहा था कि लखनऊ को लंदन बनायेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने यह नहीं कहा था एक अलग देश की बुनियाद डालेंगे। तो इसलिए मान्यवर, अब लन्दन का समय तो चला गया, अगर इनकी कल्पना रोम बनाने की है तो बना दें, लेकिन हम भारत के स्वाभिमान का सौदा नहीं होने देंगे। मैं बहुत गम्भीरता के साथ कह रहा हूँ। यह सरकार के लिए मार्गदर्शक भी हो सकता है कि बाल्मीकि अम्बेडकर योजना में जिसमें अति गरीब लोग जिनके पास मकान नहीं है, उन्हें मकान दे सकते हैं और जिनके पास अपनी जमीन है, वह मकान बना सकते हैं। इन्हें 40 हजार रूपये ऋण, जिसमें 20 हजार रूपये पहली बार गरीबों को सब्सिडी भारत सरकार ने दी। इतनी सुविधायें देने के बावजूद यह एक अलग वर्ग के लिए बनाने की घोषणा और वह भी अयोध्या से ही जा रही है और जो जमीन एक्वायर की जा रही है, वह एक दलित की है। समाज के एक कमजोर वर्ग से छीनकर दूसरे वर्ग को मिले, यह उचित नहीं है। जो कमजोर है उनके लिए और बेहतर इन्तजाम किये जाने चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस देश में कई धर्म और समाजों के लोग रहते हैं, जो शासन व्यवस्था कर रही है, वह सब के लिए होगी, उसमें किसी एक वर्ग के लिए किया जाये, इससे क्या संदेश जायेगा। जो आपका उद्देश्य था, आपका वह उद्देश्य पूरा हो गया है। यह पैसा सूडा में आता है, सूडा सरकारी विभाग नहीं है, वैसे मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, वह सोसाइटी एक्ट मे रजिस्टर्ड विभाग है, वहां गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं में पैसा आता है, वह उसमें दिया जाता है, उसका भी दुरूपयोग हो रहा है। वह भी कई अन्य जगहों पर ट्रान्सफर कर दिया गया है। जहां पर जरूरत है, वहां नहीं दिया जा रहा है और जहां पर जरूरत नहीं है, वहां दिया जा रहा है। यह उसके नियमों के खिलाफ है। इससे न केवल लोगों में शंकायें पैदा हो रही हैं, बल्कि इस प्रदेश के जो करोड़ों गरीब लोग हैं, जो मलिन बस्तियों, नालों के किनारे रहते हैं, जिन्हें आज तक मकान नहीं मिले हैं, उन्हें मकान मिलने की जो योजना है, वह भी खटाई में पड़ती जा रही है। इससे इन्हें मकान नहीं मिलेगा।

मान्यवर, यही बात कहने के लिए नियम-56 में यह विषय लाया गया है। गरीब-गरीब है, उसका मजहब अलग-अलग हो सकता है। अगर इस आधार पर छांटने लगेंगे, कि यह उनके नाम पर है, यह उनके नाम पर है, यह इस मजहब के लिए है, अगर इस आधार पर मकान मिलेंगे, इस आधार पर उनको काम मिलेगा तो उनका रिजर्वेशन भी कर दीजिए। जो सामान्य वर्ग के हैं, उसमें भी कह दें कि 5 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए होगा क्योंकि जो अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग में नहीं आते वह दलित और पिछड़ों में आ जाते हैं। तो जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी भी है और मैं फिर कहता हूँ कि लोहिया जी कर केवल नाम लेने से काम नहीं चलता। डॉ0 लोहिया जी जितने स्पष्टवादी थे, वैसे कोई दिखता नहीं है। कभी उन्होंने नहीं छिपाया कि इस देश की मिट्टी से उनका रिश्ता क्या है? और क्या यह भारत है? कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ कोई काम होगा। सेक्युलरिज्म का यही मतलब है कि यहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनमें सर्वधर्म संभाव है। लेकिन यह जो हो रहा है यह सर्वधर्म संभाव, संविधान की मूल भावना के विरोध में हो रहा है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह की भावना रही तो यह देश एक बार फिर बंटवारे की तरफ बढ़ जायेगा और हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे, अगर इसके लिए लोग हमको कम्यूनल कहते हैं तो हमें भारत की एकता बनाये रखने के लिए गर्व है। इसलिए मैं आपसे इसको नियम 56 में लेने की अपेक्षा करता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 56 में तात्कालिक लोक महत्व का विषय हो सकता है। जो विषय नेता प्रतिपक्ष लाये हैं उसकी तात्कालिकता पर आप विचार कर लें। यह विषय राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के बजट भाषण में आ चुका है।

(भाजपा के डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री मुंशी लाल गौतम अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने एक ही सवाल को, एक ही मद को सदन में दो बार रखा है और दो बार यह विषय रखे जाने से शायद यह विषय आपकी नजर में गंभीर महसूस हुआ होगा और अफसोस भी है। हमारे नेता सदन प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने लिखित भाषण यहां पढ़ा था और उसकी प्रतियां पूरे सदन में बांटी गयी थीं। उस समय नेता विरोधी दल ने कोई आपत्ति नहीं की वल्कि उन्होंने अपने भाषण में उसका स्वागत किया था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सही वक्त था इसको स्वीकारने का या विरोध करने का तो उस वक्त नेता विरोधी दल या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य ने विरोध नहीं किया। इससे अंदाजा यही होता है कि बिल्कुल सुनियोजित ढंग से सोच समझकर इसे आज के दिन उठाया गया है। नियम 51 में पहले लिया जा चुका है अब फिर दूसरी बार नियमानुसार नहीं लिया जा सकता लेकिन फिर भी बात सदन में आयी है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है जलाने की, मिटाने की, बरबाद करने की लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सोच होती है कि न जलायें, न मिटायें, न बरबाद करें। जहां तक बार-बार हिन्दुस्तान के बँटवारे की बात आयी, वह तो जिनके सहयोग से हुआ हो वह जाने लेकिन लिखा हुआ इतिहास यही बताता है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मो0 अली जिन्ना कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और 1942 में तय हो गया था कि देश का बँटवारा नहीं होगा। गांधी जी, लाला जी, मौलान अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया कि जिन प्रांतों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी वहां का मुख्यमंत्री मुसलमान होगा और देश के कुछ विभाग, केन्द्र सरकार में, इनको दिये जायेंगे। यह मिशन कैबिनेट प्लान के नाम से जाना गया। मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में यह रेजोल्यूशन पास हुआ। फिर मुस्लिम लीग ने बम्बई में घोषणा की कि अब पाकिस्तान बनाने का नारा हम वापस लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने रेजोल्यूशन को पास होने के बाद यह कहा कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान कैसा होगा यह मुसलमान तय करेंगे बल्कि उस वक्त देश और मौका देखकर तय करेंगे। फिर यह कहा गया कि आधी रोटी खायेंगे पाकिस्तान अलग बनायेंगे। वह कौन लोग थे? उस वक्त इन हालात को पैदा करने का जिम्मेदार कौन था? मैंने इसी सदन में कहा था मैं बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, देश के बँटवारे में किसकी तरफ उंगली उठायी जाती है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश ऐसे नहीं बटता। देश बटता है आचरण से, रवैये से, बरताव से। वह धर्म के नाम पर नहीं बटता है। अगर धर्म के नाम पर बटता तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गये होते। एक ही खुदा को मानने वाले, एक ही कुरान, एक ही नबी को मानने वाले पाकिस्तान अलग हो गया, बंगला देश अलग हो गया। एक ही मां के कोख से जन्मे दो बच्चे अलग न होते। अगर दिलों में गुंजाइश नहीं है तो धर्म की बुनियाद भी नहीं रहती है। देश का बटवारा विचार और सोच की मानसिकता है। इस मानसिकता से देश बटता है। आज भी महज वोटों के लिए क्या देश बटेगा? किसलिए बटेगा कि मुसलमान हैं। देश के बटने का जितना कष्ट मुसलमान को है उतना किसी को नहीं। चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाय, बंगलादेश खत्म हो जाय और हिन्दुस्तान एक हो जाय। उसके बाद हमारा कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। मान्यवर, कमजोर को दबाया जाता है और ताकतवरों से समझौता किया जाता है। बात मुसलमानों की नहीं थी। नेता सदन ने मुसलमानों के लिए प्राविधान नहीं किया था उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अकलियतों के लिए, जिनको संविधान में प्रोटेक्शन हासिल है उनके लिए किया था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया है। अगर लोक सभा और राज्य सभा के दोनों सदन शतप्रतिशत की तादाद में उसे बदलना चाहें तो वह नहीं बदल सकते हैं। यह फुल बैच का फैसला है। पूरी दुनिया में अकलियतों को खास रियायतें दी जाती है। सिर्फ मुसलमान को ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबको। आज मुखालिफत सिर्फ मुसलमानों की नहीं है वल्कि इस देश में रहने वाले बहुत से कमजोरों की है। वर्ग के नाम पर जाति के नाम पर रिजर्वेशन नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ों के लिए अलग से प्राविधान है लोनिंग का। यह पहली बार नहीं हो रहा है। अन्य किसी दलों ने इसका विरोध नहीं किया। इसका स्वागत किया है। लेकिन एक दल जो देश में अपनी पहचान बनाये रखना चाहता है तो हमारा यह कहना है कि शमा जलाओगे तो बहुत जल जायेगा और देश का अंधेरा बढ़ जायेगा। शमा को रोशन करोगे तो देश की रोशनी बढ़ जायेगी।

इसमें मान्यवर, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है जहां तक नेता विरोधी दल की बात है, जिस स्कीम का आपने जिक्र किया है, बाल्मीकि योजना का उसमें आपका बड़ा योगदान है, सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि दूसरे

जिलों में भी आपने मुसलमानों के लिए ज्यादा आवासों की व्यवस्था की है, ऐसा सख्स जो इतना ऊपर रहा हो और आज वह इस तरह की मुखालफत करना चाह रहा है तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, आपको तो चाहिए कि मुसलमानों के बीच आपकी सख्सियत बढ़े और अहमियत हासिल हो। राजनीतिक दलों की वजह से आप अपने को इतना संकुचित क्यों करना चाहते हैं। नेता विरोधी दल, दल टूटते रहते हैं, दल बड़े भी हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्तित्व बन जाता है तो वह टूटता नहीं है और अगर टूटता है तो वह समाप्त हो जाता है, इसलिए आप अपने अस्तित्व को बचाइये, लालजी टण्डन जी की हैसियत में आप अपने को जिन्दा रखिये, मेरा सिर्फ इतना कहना है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जब इण्टेग्रल विश्वविद्यालय के मामले पर सदन में चर्चा हो रही थी तो उसमें 50 प्रतिशत मुसलमानों के प्रवेश की बात कही गयी थी तो मैंने कहा था कि आप मुसलमानों के स्थान पर अल्पसंख्यक शब्द कर दीजिए ताकि उसमें जैन, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई भी आ आयें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, वह तो हाईकोर्ट का फैसला था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अल्पसंख्यक की बात करते हुए इन्होंने कहा कि केवल एक सम्प्रदाय की बात नहीं है क्या यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक किसी जाति या धर्म के आधार पर बनाये गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह तो संविधान निर्माता ही बता सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

सारे काम, सारी योजना, सारे कार्यकलाप केवल अल्पसंख्यकों के लिए है तो इन बहुसंख्यकों को ले जाकर के आप समुद्र में डालेंगे या इनका कत्लेआम आप करवायेंगे?

(व्यवधान)

श्री लल्लू सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां इस योजना के अन्तर्गत मुसलमान लोग कमजोर वर्गों की जमीनों पर कब्जा किये ले रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बात विचारणीय है अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है मैं यह दिखवा लूँगा, अल्पसंख्यकों को किसी कमजोर वर्ग की जमीन छीन कर मकान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-56 में है। यह कोई गांव नहीं है, जो इस तरह व्यवधान खड़ा कर रहे हैं। यह मद मैं अस्वीकार करता हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह जिनकी जमीनें ले रहे हैं उनमें दलित, अनुसूचित जाति और जन जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ऐसे किसान हैं जिनके इस गाटा संख्या के अधिग्रहीत हो जाने के बाद वह भूमिहीन हो जायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब इससे बड़ी घोषणा क्या करें, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं करने दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, छात्रों के एक महत्वपूर्ण विषय पर इस नियम-56 की सूचना की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस सदन में कई बार जिस दिन से यह सदन प्रारम्भ हुआ है, मा0 सदस्यों ने छात्रों के प्रवेश की समस्या पर चिन्ता व्यक्त की है लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कभी नहीं कहा गया कि हम सायंकालीन कक्षायें चलायेंगे।

अल्प संख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हाजी याकूब-

मान्यवर, मा0 नेता सदन से आश्वस्त किया हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, न कभी डबल शिफ्ट की बात कही गयी। मान्यवर, कई बार इस प्रवेश की समस्या को यहां उठाया गया है लेकिन उसका समुचित समाधान नहीं हुआ है। अब 31 जुलाई, को एडमीशन की तारीख भी समाप्त हो गयी है। लाखों छात्र सड़कों पर प्रवेश के लिए घूम रहे हैं यह प्रवेश की समस्या आज बहुत कड़ी गम्भीर समस्या है। मान्यवर, हमारे पास दसियों टेलीफोन आते हैं कि एडमीशन की तारीख खत्म हो गयी है।

मान्यवर, सदन में डिग्री कालेजों में 25 प्रतिशत सीट बढ़ोत्तरी की बात कही गयी थी। आज सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने यह निर्देश दिये हैं कि केवल 10 प्रतिशत सीटें ही बढ़ेंगी और वह भी विज्ञान वर्ग में अतिरिक्त प्रवेश की व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, यह बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। लगभग 3 लाख छात्र और उनके अभिभावक आज प्रवेश के लिए परेशान हैं, जिससे उनका भविष्य अन्धकारमय है। मैं दो अपेक्षायें सरकार से करना चाहता हूँ कि 31 जुलाई की जो तारीख है उसको बढ़ाकर 15 अगस्त या 31 अगस्त तक कर दिया जाय और सारे जिलों में फैक्स और टेलीफोन के माध्यम से सूचना दे दी जाय ताकि इस बढ़ी हुई तारीख के अन्तर्गत सभी महाविद्यालय प्रवेश ले लें और जो डिग्री कालेजेज में 25 प्रतिशत सीट बढ़ौत्तरी की घोषणा की गयी थी उसमें साइंस वर्ग को भी शामिल कर लिया जाय तथा जो अब तक 10 प्रतिशत की ही बढ़ौत्तरी की जा रही है, उसमें 15 प्रतिशत का और इजाफा कराया जाय और इस पर चर्चा करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी मान्यवर, मा0 सदस्य ने कहा कि हमारे पास बहुत टेलीफोन आ रहे हैं तो इस पर तो आप मालिक का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर टेलीफोन आना बन्द हो जायेंगे तो सांस तक रूक जायेगी। मान्यवर, अगर सभी किसी दिन हमसे मिलने वालों की कमी होती है तो ऐसा लगता है कि लोकप्रियता में कमी तो नहीं आ गयी है। बहरहाल जो प्रवेश की बात आप ने कही है। मा0 नेता सदन ने कल सदन में सारी बातें कहीं थीं कि 100 महाविद्यालयों को समयबद्धता दी गयी है जिससे 30 से 40 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ गयी हैं। इसके अलावा 25 प्रतिशत और बढ़ाने से तकरीबन सवा लाख सीटें और बढ़ गयी हैं। हो सकता है मा0 सदस्य उसे न सुन सके हों। आपने 31 जुलाई की अन्तिम तारीख की बात कही है जिसे आप बढ़वाना चाहते हैं तो यह संवेदनशील सरकार है आप जो सोचते हैं

वह यह सरकार कर चुकी होती है। हमने उसकी तारीख बढ़ा कर 15 अगस्त कर दी है और उसकी सूचना भी सब जगह पहुँच गयी है, फैक्स और टेलीफोन के माध्यम से।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे शाहजहांपुर जिले में सूचना नहीं पहुँची है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कितने विद्यालयों में डबल शिफ्ट में पढ़ायी की व्यवस्था की गयी है और कितने कालेजेज में ईवनिंग क्लासेज की व्यवस्था की गयी है। आप अपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पता कर लीजिये केवल 10 प्रतिशत सीट बढ़ोत्तरी के निर्देश दिये गये हैं और उसमें भी साइंस वर्ग में यह बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने कल यह फिर कहा था कि एक भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जायेगा वह चाहे साइंस का, कामर्स का, आर्ट का या सोशल साइंस का हो, एक छात्र को भी प्रवेश से वंचित नहीं रखा जायेगा। यह माननीय नेता सदन का सदन के बाहर का भी वक्तव्य है और सदन के भीतर का भी है। आज आपने नोटिस में इस बात को लिखकर दिया कि 31 जुलाई, 2004 की तारीख को बढ़ा दिया जाय, आपने 15 तारीख चाही थी जो आपने चाहा वह हो गया अब आप और क्या चाहते हैं?

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र राम नगर के विकास खण्ड सूरतगंज में मात्र एक जीआईसी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठें।

श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

मान्यवर, नगर पालिका परिषद् पिलखुवा जनपद गाजियाबाद में संगठित विकास योजना में आन रोड करोड़ों की जमीन को सस्ते दाम पर बेच दिया गया। मान्यवर, यह जमीनें आन रोड नेशनल हाइवे पर थी जहां नगरपालिका भवन को बनना था वहां सांसद और मैं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते शिलान्यास किया जहां भवन बनाने की भूमि पर शिलान्यास का पत्थर भी लगाया गया वह भी गायब कर दिया गया वहां करोड़ों की जमीन को हजारों में बेच दिया गया। 10 बीघे की जमीन को 67 लाख में बेच दिया गया। इसमें करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे संज्ञान में यह ला दिया है, पहले से मेरे संज्ञान में बात आई है, मैंने मालुमात की है। आप भी जानते हैं कि इस मामले में मैं थोड़ा सख्ती से काम लेता हूँ। इसकी जानकारी करा लूँगा कोई गलत नहीं होने पायेगा। मेरे संज्ञान में कल ही आया है आपके पत्र के जरिये। मुझे दो एक दिन का मौका तो आप देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, यह महिला सदस्य है उसी एडमीशन के बारे में कुछ कहना चाहती है, बार बार खड़ी हो रही हैं, इनकी बात सुन लें।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र राम नगर के विकास खण्ड सूरतगंज में एक राजकीय इण्टर कालेज है उसमें कोई टीचर अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है जिसकी वजह से इण्टर की कक्षाएं नहीं चालू हो पायी हैं और छात्र परेशान घूम रहे हैं। वहां अध्यापकों की व्यवस्था तुरन्त करा दी जाय विज्ञान वर्ग में और सामान्य वर्ग में भी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसे आप लिखित तौर पर दे दें।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा-

कल ही दे दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो मान्यवर, कार्यवाही हो रही होगी।

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना, श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री आर0के0 सिंह पटेल तथा श्री सदल प्रसाद की निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित आवास अनुदान की राशि लाभार्थियों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। चौथी सूचना, श्री राम हेत की सीतापुर जिला सरकारी समितियों तथा जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा किये गये सरकारी धन के गबन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसमें शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। पांचवी सूचना, डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत में जिला ग्राम विकास अभिकरण की बैठकों में अधिकारियों के न उपस्थित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की सूचना है।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज की चर्चा करने का अवसर दिया। इस सदन को ज्ञात ही होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बीआरडी मेडिकल कालेज जो सोसाइटी में चला गया था उसे पुन: सरकारी मेडिकल कालेज में स्थापित किया था। उस समय उसके सम्बन्ध में घोषणा की गयी थी कि गोरखपुर मेडिकल कालेज की मान्यता रद्द नहीं होने दी जायेगी और उसको सुचारू रूप से चलाया जायेगा तकरीबन डेढ़ साल बीत गये हैं। इन डेढ़ सालों में आज तक न शिक्षकों की नियुक्ति की गयी और न ही आर्थिक ग्रान्ट दी गयी न संशोधन जो मेडिकल कालेज को बनाये रखने के लिए आवश्यक था। दुखद पक्ष यह है कि सरकार यह समझ नहीं पाई कि जब तक नियमों में परिवर्तत नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षकों की कमी की समस्या हल होने वाली नहीं है। तमाम रीडर, लेक्चरर के पद खाली हैं। क्यों कि नीचे वैकेन्सियां खाली नहीं हो रही हैं।आज वहां स्थिति यह है कि 11 प्रोफेसर कम हैं, 15 रीडर कम हैं और 21 लेक्चरर की पोस्ट खाली हैं। जब लोक सेवा आयोग से नियुक्ति के लिए कहा जाता है तो वह 2 साल नियुक्तियों में लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी डाक्टर जब एम0डी0 करके निकलता है तो जब तक यह नियुक्तियां हो पाती है, 2 साल का समय हो जाता है और कोई भी डाक्टर दो साल तक बैठे नहीं रह सकता। इसलिए वह सारे पद खाली रह जाते हैं। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कालेज शिक्षकों की नियुक्तियों के जो नियम हैं, उसमें विशेष प्राविधान किया जाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए और इसमें 2 साल का समय नहीं लगना चाहिए। नियुक्तियों के लिए एडहाक नियुक्तियां करके प्रमोशन का कार्य किया जाय वर्ना बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर की मान्यता कभी भी रद्द हो सकती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी सूचना प्राप्त हुई है, इसमें जानकारी लिए जाने का मामला है। इसमें जानकारी लेकर जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल और श्री राम नरेश यादव की है, इसमें एक माननीय सदस्य बोल लें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है, उसके सम्बन्ध में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। राजस्व मंत्री जी ने परसों सदन में कुछ घोषणा की और बताया कि 13 जनपदों का चयन हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि चयन का मानक क्या है? जिलाधिकारी ने रिपोर्ट भेजी, उसके आधार पर आपने किया। जिनका चयन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ है, उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि इन्द्र भगवान भी कुछ ऐसा बरसते हैं कि कलेक्ट्रेट की बाउन्ड्री तक ही बरसते हैं। जरा इसको आप देखें, बागपत घोषित मेरठ खाली, मुजफ्फरनगर खाली। इलाहाबाद है, कौशाम्बी खाली, प्रतापगढ़ खाली। संसदीय कार्य मंत्री भी यहां बहुत बरसते हैं, लेकिन इनके जनपद में सूखा है, लेकिन इनका भी जनपद खाली। मान्यवर, आप कितने अच्छे हैं, लेकिन आपका जनपद भी छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, बुन्देलखण्ड, अलीगढ़, सहारनपुर, जौनपुर सब खाली। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिन जनपदों को छोड़ दिया गया है, उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय। क्योंकि जब वर्षा समय से नहीं होती है अथवा बाद में होती है तो इससे कृषि प्रभावित हो जाती है और उत्पादन में 25-40-50 प्रतिशत तक कमी हो जाती है। इसलिए तत्काल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करिये और जो लगुजारी, लगान ली जारही है, इसको स्थगित करिये और छात्रों की फीस को रोकिए। यह जवाब मत दीजियेगा कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट आई कि नहीं। मैं भी मंत्री रहा हूँ और मुझे मालूम है कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट कैसी आती है। इसका मुझे ज्ञान है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करिये। इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो सूचना दी है, उसकी गम्भीरता से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। परसों कदाचित वह सदन में उपस्थित नहीं थे। जब मैं इस सवाल पर अपना निवेदन दे रहा था तो जहां इस बात को कहा था, वहीं तुरन्त उसके साथ ही अगला वाक्य मैंने उसमें यह भी कहा था कि यह अन्तिम सूची नहीं है, यह अभी 13 जिले हैं, लेकिन आज रात तक इसमें 8-10-15 और जिले भी बढ़ सकते हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कठिनाई यह है कि हमको राहत देने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना होता है औपचारिक रूप से, और जो हम राहत के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, दैवी आपदा में, उसके दिशा-निर्देश केन्द्र सरकार तय करती है और 75 प्रतिशत राहत की धनराशि उनकी ओर से ही आती है और वह सभी राज्यों को स्वीकार्य भी है उसके तहत सूचनाएं आ रही हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रदेश का कोई भी जनपद जो सूखे से प्रभावित है, घोषणा की बात नहीं है, राहत पहुँचने से वंचित नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आपने जो सूचना दी है वह बाराबंकी की घटना है और सदन में उस पर चर्चा हो चुकी है। उस चीज को अलग करते हुए अगर कोई नयी बात आपको कहनी है तो कह लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मरौचा-ईश्वरी निवासी मंशाराम की हत्या की बाबत यह सूचना इसलिए लगाई गयी क्योंकि जब घटना घटी, सरकार को जानकारी हुई, सरकार गम्भीर हुई, कार्रवाई भी हुई लेकिन आज वह तमाम अधिकारी जो कार्रवाई की चपेट में आ रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होने जा रही है, अब वह इस मामले को झूठ साबित करने के लिए इस हत्या को प्रेम-प्रसंग हत्या साबित करने के लिए नया खेल खेलने जा रहे हैं। मान्यवर, उन तमाम अधिकारियों को जिनको निलम्बित करने की घोषणा हुई, वह सारे के सारे अधिकारी अपने बचाव के लिए अब नया खेल खेलने जा रहे हैं। भूमि विकास बैंक शाखा राम नगर, जहां से ट्रैक्टर लोन पर दिया गया था, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, जिलाधिकारी तथा तहसील के तमाम कर्मी जिन पर कठोर कार्रवाई होने जा रही है, सारे के सारे लोग अपने बचाव के लिए जो सही घटना है कि ऋण और ट्रैक्टर की नीलामी की चिन्ता के कारण उसने आत्महत्या की आज उसे झुठलाने के लिए उसे प्रेम-प्रसंग हत्या साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर इंगित कराना चाहता हूँ कि इस प्रकरण की ओर सरकार गम्भीर रहे। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि मंशाराम के पिता कल्लू के द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ लिखित एफ0आई0आर0 दी गयी लेकिन आज तक एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई और वह मृतक परिवार आज भुखमरी के कगार पर है इसलिए सरकार यह निर्देश दे कि मृतक परिवारों को 5 लाख रूपये अनुदान की राशि दी जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपने खुद ही फरमाया है कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं प्रभावी कदम उठाये हैं, कई लोग निलम्बित भी हुए हैं। जब जांच होगी तो उसमें कोई चीज छिपेगी नहीं, कोई बिन्दु छिपेंगे नहीं, जो सच है वह सच रहेगा, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई ऐसी बात है तो उसे देखा जायेगा। जो भी सत्य पर आधारित तथ्य होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जायेगी किसी अधिकारी की वजह से फर्जी बात शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा, यह मैं आश्वस्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री रामहेत, श्री ओ0पी0 सिंह, श्री राजेश कुमार, श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्रीमती अमीता सिंह, श्री राम इकबाल सिंह, श्री राजेश कुमार, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री लल्लू सिंह, श्री राम प्रताप सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री कपिलदेव यादव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री नवाब सिंह नागर, श्री उदयभान करवरिया, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री धर्मपाल सिंह, श्री अक्षयबर लाल गौड़ तथा श्री राम प्रताप सिंह की सूचनाएं अग्राह्य हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार-

[x x x]

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा, कृपया बैठिये।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ के उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्ताव व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ठ) में शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द "निर्माता की स्थिति में एक लाख रुपये और अन्य व्यापारियों की दशा में एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "निर्माता की स्थिति में दो लाख रुपये और अन्य व्यापारियों की दशा में तीन लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1-ख) में शब्द "दो प्रतिशत प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 7- घ का संशोधन

5- मूल अधिनियम की धारा 7-घ में, स्पष्टीकरण में शब्द "व्यापर कर अधिकारी श्रेणी-दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

6- मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रतिमास दो प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1-ख) में शब्द "डेढ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

7- मूल अधिनियम की धारा 8-ख में, उपधारा (1) में,- धारा 8-ख का संशोधन

(क) शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द "एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

8- मूल अधिनियम की धारा 8-घ में, उपधारा (7) में शब्द "अट्ठारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिये जायेंगे। धारा 8- घ का संशोधन

9- मूल अधिनियम की धारा 15 में, स्पष्टीकरण में शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे। धारा 15 घ का संशोधन

10- मूल अधिनियम की धारा 15-क में उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे। धारा 15-क का संशोधन

11- मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द "निर्माताओं की स्थिति में एक लाख रुपया या अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख पचास हजार रुपया", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "निर्माताओं की स्थिति में दो लाख रुपया या अन्य व्यापारियों की स्थिति में तीन लाख रुपया" रख दिये जायेंगे। धारा 18 का संशोधन

12- मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (2) में शब्द " अट्ठारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिये जायेंगे। धारा 29 का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाँय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, पहले इस पर संशोधन भी प्रस्तुत करा लें उसके बाद विचार आ जाये।

*श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिय जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक सरकार द्वारा लाया गया है उसमें से कई विवादित बिन्दु हटा दिये गये हैं इसलिए मैं अपने दल के लोगों तथा उन सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। कुछ बातें बहुत अच्छी कही हैं जिनकी हम लोगों ने इसी सदन में मांग की थी और कार्य-स्थगन के माध्यम से अपनी बातें रखी थी। सरकार ने उसे स्वीकार किया है। लेकिन एक चीज सन्देह उत्पन्न कर रही है, हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उस संविधान की व्यवस्था तथा हम सभी राजनीतिक दलों की मंशा है कि कोई भी नियम-कानून बनाते हैं तो हम उस गरीब तबके को ध्यान में रखकर बनाते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम माननीय चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया। यह प्रदेश, पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जहां जमींदारी तोड़ने का काम किया गया है। इस अधिनियम के आने के बाद असमानता दूर हुई और समानता का भाव विकसित हुआ। बगल में बिहार राज्य में आप देखें वहां जमींदारी व्यवस्था के रहते कितनी असमानता है। चौधरी साहब के नेतृत्व में एक कानून बना, कोई ऐसे बिन्दु नहीं थे जिस पर विचार न किया गया हो और बहुत सोच-समझकर विचार किया गया। इसमें जो संशोधन की बात कही जा रही है। आपने धारा 122 में संशोधन किया है:-

(क) उपधारा (1) में शब्द "अनुसूचित जातियों के सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों" रख दिये जायेंगे।

मान्यवर, उपधारा (3) में आपने कहा है:-

(एक) शब्द "अनुसूचित आदिम जाति का हो" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "अनुसूचित आदिम जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो" रख दिये जायेंगे।

मान्यवर, खण्ड-3 के पश्चात् आपने बढ़ाया है।

4- कोई विकलांग व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो। मान्यवर, विकलांक बढ़ाया है तो ठीक किया है इसका कोई विरोध नहीं है। मान्यवर, इसके पहले जो एक्ट में व्यवस्था थी वह यह थी। (1) कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, (2) कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो, (3) कोई अन्य व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो। तो मान्यवर, पहले जो व्यवस्था थी उसमें कहां लिखा था कि केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही यह लाभ मिलेगा। इसमें तमाम पिछड़ी जातियाँ थीं जिनको आवंटन किया जाता था। इस संशोधन में पिछड़ी जातियों को बढ़ा दिया गया है जो सरकार की एक राजनीतिक साजिश है। इसमें सामान्य जाति को रख दिया है। आप भूल जाते हैं कि पट्टा लेने कौन आयेगा? क्या अम्बिका चौधरी जी आयेंगे, क्या मौर्या जी पट्टा लेने आयेंगे। जो गांव का भूमिहीन है, गरीब है उसको पट्टा चाहिए। इसमें "सामान्य जाति" शब्द को भी जोड़ दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है जबकि इसमें "सामान्य श्रेणी का भूमिहीन व्यक्ति" शब्द जोड़ा जाना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं आज भी जो पट्टे किये गये हैं उन पर दबंग लोग कब्जा किये हैं और ऐसे लोग जबरदस्ती ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लेंगे इसलिए इस संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति को सौंप दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो प्रस्ताव आया है प्रवर समिति में भेजने का उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा कानून है जिससे पूरा जन मानस प्रभावित होता है। विशेष रूप से जो आवंटन की प्रक्रिया है उससे ग्रामीण अंचल का जो नागरिक है उसको कठिनाई होती है। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हमने भूमि का आवंटन करके सारे समाज में क्रांति कर दी है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है। आप किसी जिले के एक परगने या तहसील की समीक्षा कर लें जो वास्तविकता है वह आपके सामने खुलकर आ जायेगी। आवंटन घोर भ्रष्टाचार का साधन बन गया है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि गांव के लेखपाल की सहमति के बिना प्रधान लाख कोशिश कर ले आवंटन नहीं हो सकता। लेखपाल को कौन खुश करेगा, प्रधान तो अपनी जेब से पैसा देगा नहीं, देगा तो वही जिसको पट्टा किया जा रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया में लेखपाल, प्रधान और एस0डी0एम0 भी लिप्त हैं। अगर आपको अनुमोदन कराना है तो रकम खर्च करनी पड़ेगी। वस्तु स्थिति जानने के लिए सारी बात की समीक्षा कर लें कि क्या वास्तव में जिसकी कल्पना की गयी है आवंटन उसी प्रकार हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमने गरीब आदमी को भूमि देकर उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया लेकिन क्या वास्तव में आत्मनिर्भर हो पायेगा। जो वस्तु स्थिति है या जो फील्ड में स्थिति है वह प्रतिकूल है। मैंने नियम 301 में इसकी सूचना लगाई थी और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है हमारे क्षेत्र में ही राजस्व मंत्री जी को भी जानकारी है उससे भयावह स्थिति क्या होगी। ग्राम प्रधान ने 10 साल पुरानी कार्यवाही दिखाकर कार्यवाही रजिस्टर लेखपाल से मिलकर इंसापुर कैराना जो कि मेरा क्षेत्र है वहां तीन हजार बीघे जमीन आवंटित कर दी जिन लोगों को आवंटित किया उनके आवास भी जनपद में नहीं हैं। उनमें आधे लोग तो हरियाणा के रहने वाले हैं। उसने खतौनी बनाकर उसका इन्दराज भी नहीं किया और दे दिया। वह तो जिलाधिकारी वहां ईमानदार गया जिसने जांच कराई और लेखपाल की सेवा समाप्त कर दी एस0डी0एम0 बाल बाल बचा। यह भी पता लगा लें कि ऐसे आवंटन से क्या होगा। आपने संशोधन कर दिया आपने कानून बना दिया और आप संतुष्ट हो गये लेकिन उद्देश्य की इससे पूर्ति नहीं हो पायेगी।

मेरा अनुरोध है कि एक समिति का गठन कर दें उसमें नाम आप तय कर दें वह समिति बैठकर विचार कर ले प्रवर समिति इसमें विचार कर लेगी कि उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पायेगी और भूमाफियाओं के पास जमीन जाने से कैसे रोका जायेगा। गरीब आदमी ईट भट्ठे पर काम करता है उसको जमीन आवंटित होती है लेकिन अगले साल से फिर उनका कब्जा हट जाता है। और वह फिर मजदूरी पर चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जैसा श्री राय साहब ने कहा मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, राय साहब ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हमलोगों का किसी बात में विरोध नहीं है केवल प्रक्रिया का विरोध है। प्रक्रिया में संशोधन की बात हम कर रहे हैं। श्री हुकुम सिंह ने इस तरफ संकेत किया है। कहीं न कहीं भूमि आवंटन में अनियमितता हो रही है। प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग गरीब हैं उनको मिले उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 46 में जिनके लिए व्यवस्था की गयी है कि हिन्दुस्तान में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा समाज है जिसकी आज भी सामाजिक स्थिति से लेकर आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मड़ई डालने भर की जमीन नहीं है। अगर विकास की योजनाएं चलती है उसके लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की स्कीम चलाई जाये और उनको विकसित किया जाय उनके लिए अलग से योजनाएं बनायी जायें तभी उनका भला हो सकता है। आपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भी शामिल किया है। आप सर्वे करा लें तो पता चलेगा अगर ऐसे लोगों को जिनके पास एक मड़ई डालने भर की जगह नहीं है अगर उनको कुछ प्राथमिकता मिल जाती है तो यह अच्छी बात रहेगी। आप शेष लोगों को देने का काम करें। यह मानवीय आधार पर बनता है। आपने जो संशोधन किया जिसको इसमें जोड़ दिया, वह ठीक है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय हुकुम सिंह जी ने भी अभी प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं उनके बारे में कहा है। माननीय मंत्री जी इसको आप जरूर लिख लें। हम भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया में बहुत दुरूपयोग हो रहा है। इन्हीं के चलते इसमें विवाद पैदा हो रहा है और आज 198(4) के मुकदमों की संख्या इन्हीं कारणों से बढ़ी है। नीचे प्रक्रिया लागू करने में कहीं न कहीं अनियमितता जरूर हो रही है। जिलाधिकारी को आपने पावर दे दिया है कैंसिल करने का।

मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि जो लैंडलेस है, स्कल्ड लेबर हैं वह बैकवर्ड और शिड्यूल कास्ट में भी हो सकते हैं, सामान्य में भी हो सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें स्किल्ड शब्द का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। और इनके लिए भी आवंटन की व्यवस्था करनी चाहिए। कुम्हार, लोहार, कसुनार, बढ़ई आइसोलेट हो रहे हैं। प्लास्टिक का युग आने से कुम्हार का कुल्हड़ छूट गया है, लोहार का औजार छिन गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें इन स्किल्ड लोगों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह संशोधन जो लाया गया है यह किसी भावना से नहीं लाया गया है, इसी प्रक्रिया में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं उसी की वजह से हमलोग लाये हैं और यही निवेदन करेंगे कि इसको 2, 4, 6 दिन के लिए प्रवर समिति में भेज दें ताकि वह इस पर ठीक से विचार कर लें। जहां कहीं भी न्याय में कोई कमी लगती थी, लोग न्याय के लिए न्यायालय में जाते थे आपने कह दिया कि जिलाधिकारी का आदेश अंतिम होगा। धारा -10 में (ङ) में जो लिखा है- कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा। जहां तक हम समझ पाये हैं कि कलेक्टर का आदेश ही अंतिम होगा। इसकी परिभाषा माननीय राजस्व मंत्री जी हमको बतायें। हमारी तो जो समझ में आया है उसके हिसाब से यही है कि जिलाधिकारी ने जो फैसला कर दिया वह अंतिम फैसला हो गया। हो सकता है कि किसी वजह से न्याय न मिल पाये, आपने एक अंतिम दरवाजा जो न्यायालय का था उसके स्थान पर राजस्व परिषद् को कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा विरोध इसमें नहीं है हम तो सिर्फ इसमें इतना और चाहते हैं कि इसमें इन लोगों को भी जोड़ दिया जाय। समाज के उन लोगों की भी चिन्ता की जाय जिनकी बहू बेटियाँ खेत में, खलिहान में जाती हैं। लोगों के घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाने के लिए अपने 5-5 महीने के बेटों को छोड़कर जाती हैं। आजकल धान के खेतों में काम हो रहा है, अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर खेतों में जाकर काम करती हैं और यह भी नहीं जानती कि घर लौटने पर उनका बच्चा किस हालत में होगा?

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मेरा इतना निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। 10 दिन 15 दिन 20 दिन में इस पर परीक्षण हो जाय फिर उसके बाद आप इसको पास करवा लें। कोई पैसा देकर, तो कोई सबल व्यक्ति अपने नाम करा ले रहा है। मेरा निवेदन है कि इसमें सुधार हो और इसके साथ ही साथ मैं मानवीय आधार पर दिये जाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। एक अच्छे माहौल में पट्टे का आवंटन हो।

*श्री भगेलू राम-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। राय साहब द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसके पक्ष में बोलना चाहता हूँ। इस अधिनियम की मूल धारा-10 की धारा 198 में लिखा गया है कि एक शब्द अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदिम जाति जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द अनुसूचित जाति, आदिम जाति या अन्य पिछड़े वर्गों या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी रख दिया जाए? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ एक व्यवस्था है 123(1) 123(2) में व्यवस्था है उसमें ग्राम सम्पदा में अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था है इस सम्बन्ध में 122 ग में दिया गया है 123 पर भी यह लागू होगा।

श्री अध्यक्ष-समाप्त करिए।

श्री भगेलू राम-

मान्यवर, साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो जगदीश नारायण राय जी ने संशोधन रखा है उसको माना जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् मैं आभारी हूँ आज संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य जगदीश नारायण राय जी का और उनके संशोधन प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है हुकुम सिंह जी, सुखदेव राजभर जी, भगेलू राम जी, एवं अन्य सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ एक ऐसे विषय पर उन लोगों ने अपनी राय, अपने अमूल्य सुझाव रखे हैं जो प्रदेश की जनता के एक ऐसे तबके से जुड़े हुए हैं जिसकी तादाद 90 फीसदी है। गांव में रहने वाले साधारण किसान, गांव में रहने वाने कर्मकार जिनसे प्रभावित हैं उनसे सम्बन्धित विधेयक आया है उसमें मूल्यवान विचार रखे हैं। श्रीमन् जिस एक्ट को चौधरी चरण सिंह जैसे जमीनी किसानों से जुड़े हुए आचरण और सिद्धान्त की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में गिने जाने वालों ने, जो ड्राफ्ट तैयार किया, मुझे प्रसन्नता है कि सारे हिन्दुस्तान में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था का कानून बनाया गया। उस समय उत्तर प्रदेश का जमींदारी विनाश का कानून चौधरी चरण सिंह ने बनाया। मुझे दक्षिण भारत में जाने का अवसर मिला। अन्य जगह भी गया उनसे इस विषय पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल की विशेष रूप से करना चाहता हूँ भूमि सुधार के सम्बन्ध में कानून बनाया गया उसका उदाहरण दूसरी जगहों पर दिया गया है विनय कृष्ण चौधरी जैसे विद्वान ने भूमि सुधार का कानून प्रस्तावित किया इसका अध्ययन किया इससे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश के कानून की सुविधा हुई उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी मैंने उसको रखा है मैं पुन: आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सुखदेव राजभर जी ने मैटीरियल का विरोध नहीं किया प्रक्रियात्मक विरोध है हुकुम सिंह जी ने प्राविधान के सम्बन्ध में विरोध नही किया जो संशोधन में प्राविधान रखा है उसका विरोध इन्होंने नहीं किया है। एक बिन्दु मान्यवर जो उन्होंने कहा है वह निश्चित रूप से औपचारिक है विद्वान सदस्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य जाति के जो भूमिहीन या सामान्य जातियों के लिए व्यवस्था की गयी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको शामिल कर दिया गया है उन्होंने पिछड़ी जातियों का विरोध किया यह पिछड़ी जातियों के विरोधी है यह नहीं कहना चाहते हैं। राजभर जी तो कतई विरोधी नहीं हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, लांछन लगाने से काम नहीं चलेगा। चौधरी जी एक ओर हमें धन्यवाद भी दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम विरोध भी कर रहे हैं। साफ-सुथरी बात हम लोग कह रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रक्रिया और मानवता के आधार पर दो शब्द प्रयोग किये हैं। प्रक्रिया और प्राथमिकता, यह कार्यवाही में आप देख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम और आप पिछड़ी जाति में पैदा हुए हैं, न आप उसे बदल पायेंगे और न मैं बदल पाऊँगा। जगदीश नारायण राय जी ने जो आपत्ति की, उसके बाद भी वह पिछड़ी जातियों के विरोधी नहीं हैं। मान्यवर, उन्हीं के धन्यवाद से अपनी बात शुरू कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है और एक जो आपका भ्रम है, सुखदेव राजभर जी ने जैसा कहा कि जिलाधिकारी का फैसला अन्तिम रहेगा, उसका कारण यही था जिसका आपने उल्लेख किसा है कि जितने पट्टे हो जाते हैं तथा होते हैं उसके तुरन्त बाद उन पट्टों के खारिज करने के मुकदमें हो जाते हैं। अनुसूचित जाति के खिलाफ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के खिलाफ दूसरी जाति, पिछड़ी या सामान्य जाति के लोग जो मजबूत हैं, उनके द्वारा मुकदमें हो जाते हैं। जो कमजोर हैं, उन्हें पट्टे आपकी सरकार ने भी दिये और हमारी सरकार में भी दिये गये, उन लोगों को निरन्तर परेशान करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया कहीं न कही अंतिम होनी चाहिए। हाईकोर्ट में अगर कोई जाना चाहेगा तो कोई नहीं रोकेगा लेकिन जो भूमिहीन है, अगर उसको 2 डिसमिल जमीन दी गयी है, वह मुकदमा लड़कर पार नहीं पाता है, इसलिए यह उसके हित में किया गया है। आम तौर पर नीचे की अदालतों में फैसला हो जाता है लेकिन ऊपर की अदालतों में काफी लम्बा समय लगता है और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। इसीलिए यह किया गया है और दूसरा जिलाधिकारी को हमने कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दिया है, इस सम्बन्ध में जो अधिकार उपजिलाधिकारी को प्राप्त था, वह जिलाधिकारी को दे दिया है और तहसीलदार को जो अधिकार प्राप्त था, वह उपजिलाधिकारी को दे दिये गये हैं। वह मात्र प्रक्रियात्मक है इससे मुकदमों से लोगों को राहत मिलेगी। आवंटन प्रक्रिया के बारे में हुकुम सिंह जी ने बात उठाई है, मैं उससे सहमत हूँ और यह कठिनाई है लेकिन उसका एक्ट के संशोधन से कोई मतलब नहीं है। जो प्रक्रियात्मक मामला है। शासनादेश में जो कुछ किया जा सकता है, उसमें आपके सुझावों पर ध्यान भी रखेंगे और उसका अनुपालन प्रभावी ढंग से होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, आवासों के पट्टों के मामले में जो संशोधन किया है, अगर उसको बदलना चाहेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। इस पर आपने संशोधन नहीं दिया, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

अब अधिनियम से सदन को अवगत करा देना चाहते हैं, मान्यवर, 168 की धारा 3 में जो बैनामें का प्राविधान था। जब से मैं राजस्व मंत्री हुआ हूँ तब से दोनों तरफ के सैकड़ों माननीय सदस्यों ने कहा कि बड़ी कठिनाई होती है। आज के दिन इसमें जो प्राविधान किया गया है इस प्राविधान के हो जाने से पूरे प्रदेश में 30-40 हजार से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण हो जायेगा और धारा 11 में परिवर्तन करने से इससे पूर्व 15-20 सालों के जितने पहले के बैनामे हुए हों, उसमें तहसीलदार के स्तर पर भ्रष्टाचार था उसमें हमने इसलिए यह संशोधन किया है और यह प्राविधान कर दिया है कि आज के पूर्व के जितने बैनामें हुए हों उसको एक साल के अन्दर नियमित करा देने का प्राविधान हमने किया है। हमने धारा 169 के प्राविधान को बदल दिया है। पहले यह था कि यदि कोई व्यक्ति निसंतान मर जाता था तो उसकी विरासत के लिए कई वारिसान आ जाते थे। आपको भी अनुभव होंगे कि यदि कोई व्यक्ति मर जाये जो उसकी सम्पत्ति के 5-6 वारिसन आ जाते थे। अब इस प्राविधान के तहत पंजीकृत विरासत ही मान्य होगी, अपंजीकृत विरासत मान्य नहीं होगी।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक कन्ट्रोवर्सी है। अभी राजस्व परिषद के स्तर से बयान आया था कि अगर धारा 168 को निरस्त कर दिया तो पूरे प्रदेश में फिर से चकबन्दी करानी पड़ेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, राजस्व परिषद् का कोई ऐसा बयान नहीं है। राजस्व परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य या सचिव किसी स्तर पर बयान नहीं है। विभागीय स्तर पर अलग-अलग लोग अलग-अलग राय रख सकते हैं लेकिन आप जानते

हैं कि आप स्वयं मंत्री रहे हैं। सरकार विभागीय अधिकारियों के आदेश पर चलने वाली नहीं होती। सरकार प्राविधान करती है। प्रदेश की जनता के हित में जो कानून बनाये जाते हैं वह राजस्व परिषद् से बनने वाले नहीं हैं। इसलिए राजस्व परिषद् की राय जो भी हो यह सदन सर्वोच्च है। हम किसी नौकरशाह के मातहत नहीं हैं, हम इस सदन के मातहत हैं, राजस्व परिषद् हमारे मातहत है। हमें इस विन्दु पर इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। धारा 171 में एक संशोधन है और बहुत छोटा है। श्रीमन् मैं बधाई देना चाहता हूँ चौधरी चरण सिंह जी को स्मरण करता हूँ। भारत वर्ष में जितने भी समुदायों के कानून हैं चाहे वह हिन्दु सेक्शन एक्ट हो, चाहे वह मुस्लिम पर्सनल ला हो, क्रिश्चियन ला हो उनका अपना स्थान है। मैं कोटिश: प्रणाम करता हूँ चौधरी चरण सिंह जी को। ऐसा प्राविधान बनाया कि उत्तर प्रदेश में भूमि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इसाई हो, किसी भी धर्म का हो उसको विरासत की भूमि के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो इसमें दिये गये हैं। समय के चलते हुए संशोधन ही आवश्यकता आयी।

इसमें पहले संशोधन रखा जा चुका है। जैसे पुत्र का पहले एकाधिकार, उसके साथ विधवा को शामिल कर लिया गया। जो निराश्रित हो जाती थी उसको पहले एकाधिकार में शामिल उसके बाद विधवा माता लिखी जाती थी। उसके नीचे के एकाधिकार में पिता को रखा जाता था। इसको रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था। हमने माता और पिता की श्रेणी बना दी। इसके बाद पुत्रियों को विरासत की सूची में शामिल किया गया। जो समाज की संरचना है वह बदली है, गाँव की संरचना बदली है। अगर सदन सहमत हो तो पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन यह तो वाद की स्थिति होगी। पुत्रियों की श्रेणी नीचे आ जाती थी। पहले भाई फिर भाई का पुत्र। फिर भाई के पुत्र का पुत्र। ऐसी स्थिति में हमने पुत्रियों को विरासत के मामले में ऊपर लाने का काम किया है। जब तक पुत्र और पुत्री के अधिकार एक समान नहीं होंगे तब तक आदर्श की स्थिति नहीं होगी। पहले अविवाहित पुत्री और फिर विवाहित पुत्री है। पहले पुत्र की पुत्रियों को नीचे रखा गया था और पुत्र के पुत्र को ऊपर रखा गया था। हमने यह किया है कि पुत्र की पुत्री को ऊपर रखा और पुत्री के पुत्र को नीचे रखा है। इसी के साथ धारा 195 और 197 में जो संशोधन किया था उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ आवासीय और कृषि योग्य पट्टे के सम्बन्ध में। अब तक जो स्थितियां थीं उन्हें वास्तविक बनाने का काम हम करें। हम इसमें अगले तीन महीने के अन्दर प्रत्येक जिले की समीक्षा करके कार्यवाही कर रहे हैं। कब्जा अगर नहीं मिलेगा तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है, फर्जी तरीके से यह काम किया गया है तो उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। इसमें एक अभियान चलाकर इन फर्जी पट्टों के विरूद्ध जांच करा ली जाय। जो वास्तविक पात्र हैं उनको कब्जा दिया जाय और जो अपात्र हैं उनसे कब्जा हटाया जाय जिससे जो इसकी मंशा है उसका लाभ समाज के तबके को प्राप्त हो सके। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम यह संशोधन लाये हैं। मान्यवर, इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि श्री जगदीश नारायण राय जी अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

(व्यवधान)

*श्री राम स्वरूप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले 1952 में जमींदारी को खत्म किया था और उनकी मूल भावना थी कि जो जमीन का मालिक है, जो जमीन पर पसीना बहाता है, मेहनत करता है, वह व्यक्ति जमीन का मालिक बनना चाहिए। इसको किस तरह से लिखा है मैं उसे पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सवाल यह है कि इसकी परिभाषा पट्टे की यह होनी चाहिए कि भूमि हीन खेतिहर मजदूरों को पट्टा मिलना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। अब तक जो पट्टे मिले हैं वह दलितों को, दलितों में भी वह लोग पट्टा पा गये हैं जिनको खेती से कोई वास्ता नहीं है। तो जमीन का पट्टा गांव में उस भूमि हीन खेत मजदूर को मिलना चाहिए जो खेत मजदूर हों, जो खेत में काम करते हों, मेहनत करते हों, यह मेरा सुझाव है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यही प्रावधान है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी माननीय राजस्व मंत्री जी इस विधेयक के माध्यम से जो संशोधन लाये हैं उसकी धरा-169 के सक्सेशन के ऊपर जो झगड़े होते हैं, उसमें यह व्यवस्था है कि केवल रजिस्टर्ड वसीयतें ही मान्य होंगी अन्य किसी प्रकार की वसीयतें नहीं मान्य होंगी। जो वसीयत का कानून है यह सामान्यत: सेन्ट्रल एक्ट है, शायद इसे टी0पी0ए0 एक्ट कहते हैं, इस ऐक्ट में जो वसीयत का प्रावधान है, उसमें वसीयतनामा, उत्तराधिकार की ही एक प्रक्रिया है, उसे अन्तरण की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है, वसीयतनामें की रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है। दोनों की मान्यता एक है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर आदेश भी दिया गया है कि हम गुणवत्ता के आधार पर तय करेंगे कि कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है। तो मान्यवर, क्या ऐसी स्थिति में यह ऐक्ट वैध होगा?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जैसे हिन्दू सेक्सेशन एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ में और यू0पी0 जेड0ए0एल0आर0 में जो संशोधन किया गया था वह अल्ट्रावायरस नहीं थे उसी तरह से इसमें संशोधन करके वसीयत को रजिस्टर्ड कराये जाने की अनिवार्यता रखी है। मान्यवर, लैण्ड डिफाइण्ड अण्डर जेड0ए0एल0आर0 ऐक्ट है इसको हमने टेक्निकली देखने का भी काम किया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूँ कि जो गलत हुए हैं उनको यह निरस्त करायेंगे, मान्यवर, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, माननीय राजस्व मंत्री जी भी बैठे हैं और पंचायतीराज मंत्री जी भी हैं, हमारे यहां जिले में एक मृतक संघ बना और जिन्दा आदमियों की वसीयत हो गयी है। इसी विधान सभा के सामने पितृविसर्जन के समय कुछ लोग अपना सिर मुड़ा कर बैठे थे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कुछ सिर तो ऐसे होते हैं जिन्हें मुड़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, ऐसे कई मामले न्यायालय में लम्बित हैं, मृतक आदमी जिन्दा है और सबके सामने घूम रहे हैं, यह बात गिनीज बुक में भी आई है। तो क्या आप स्पेशल ड्राईव चलाकर उनका निस्तारण कराने का काम करेंगे? मेरा मान्यवर, कहना है कि इसमें स्पेशल ड्राइव चला कर मुकदमों को खत्म कराने का काम करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और मैं इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार कर कार्यवाही करूँगा ताकि स्पेशल ड्राइव चला कर इन चिन्हित मुकदमों का निस्तारण हो और जो लोग इसमें दोषी पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो मृतक संघ हैं उसको आप क्या मान्यता देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक कठिनाई है कि यह मृतक संघ कोई वसीयत रजिस्टर्ड नहीं करेगा और उसके बिना सुखदेव जी को उनकी सम्पत्ति की मान्यता नहीं दे पायेंगे। हां, हम उनके सुझावों को मान्यता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री जगदीश नारायन राय जी, क्या आप अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेंगे?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, इसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और शिल्पकारों को प्राथमिकता देने की बात नहीं कही गयी है इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 11 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 3 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में खण्ड (8-क) निकाल दिया जायेगा।

धारा 122-ग का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 122-ग में-

(क) उपधारा (1) में शब्द "अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में,-

(एक) शब्द "अनुसूचित आदिम जाति का हो", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "अनुसूचित आदिम जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) कोई विकलांग व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो।

(तीन) स्पष्टीकरण-3 को स्पष्टीकरण-4 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित स्पष्टीकरण-4 के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-3 पद "विकलांग व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में उल्लिखित नि:शक्तता से ग्रस्त हो।

(चार) स्पष्टीकरण-4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-5 पद "गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में है।"

धारा 168-क का संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 168-क निकाल दी जायेगी।

xx xx xx

धारा 169 का संशोधन

5- मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (3) में शब्द "लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होगी" के स्थान पर शब्द "लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत होगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 171 का संशोधन

6- मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

"(2) किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार, उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्

(क) विधवा और पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, चाहे वह जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता;

(ख) माता और पिता;

(ग) अविवाहिता पुत्री;

(घ) विवाहिता पुत्री;

(ङ) भाई और अविवाहिता पुत्री, जो क्रमश: एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई एक ही मृत पिता का पुत्र हो;

(च) पुत्र की पुत्री;

(छ) पितामही और पितामह;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) विवाहिता बहिन;

(ञ) सौतेली बहिन, जो एक ही मृत पिता की पुत्री हो;

(ट) बहिन का पुत्र;

(ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहिन एक ही मृत पिता की पुत्री हो;

(ड) भाई के पुत्र का पुत्र;

(ढ) नानी का पुत्र;

(ण) पितामह का पौत्र;"

धारा 178, 179, 180, 181 और 182 का निकाला जाना

7- मूल अधिनियम की धारायें 178, 179, 180, 181 और 182 निकाल दी जायेंगी।

धारा 195 का संशोधन

8- मूल अधिनियम की धारा 195 में शब्द "तहसील दार" के स्थान शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायेंगे।

धारा 197 का संशोधन

9- मूल अधिनियम की धारा 197 में, उपधारा (1) में शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

10- मूल अधिनियम की धारा 198 में,-

(क) उपधारा (1) में,-

(एक) शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति या अन्य पिछड़े वर्गों या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी" रख दिये जायेंगे;

(दो) स्पष्टीकरण-3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात्:-

"(4) अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।"

(5) "गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से है।"

(ख) उपधारा (4) में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टरें" रख दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (4-क) को निकाल दिया जायेगा;

(घ) उपधारा (7) में, खण्ड (दो) में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टरें" रख दिया जायेगा;

(ङ) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(8) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।"

विशेष उपबन्ध 11- "एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी टुकड़े के किसी संक्रमण को जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान था और जो धारा 168-क के अधीन व्यर्थ हो गया हो, व्यर्थ होने योग्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकता है:"

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-11 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004

अल्प संख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में, उपधारा (1) में,-

(क) खण्ड (क) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004" रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (ङ) निकाल दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और पारित हुआ।)

हाजी याकूब-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन), विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित उपयोग हेतु उसकी धनराशि तुरन्त अवमुक्त किये जाने विषयक प्रो0 शिवाकान्त ओझा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित उपयोग पर स्वीकृत चर्चा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। पूर्वांचल विकास निधि या अन्य निधियों की स्थापना आज इसलिए की गयी है कि ताकि जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है, उसका विकास इसके माध्यम से किया जाय। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने जब से कार्यभार ग्रहण किया है जनपद प्रतापगढ़ में जो योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी और जिसके सम्बन्ध में कुछ पैसा अवमुक्त भी हो गया था और कार्य भी प्रारम्भ हो गया था आज उन योजनाओं पर इस सरकार ने वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 में एक नया पैसा भी अवमुक्त नहीं किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जो स्वीकृत योजना 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 की योजना है जिनके सम्बन्ध में पैसा निर्गत हुआ है जिस पर काम प्रारम्भ हुआ, बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर पुल के पिलर खड़े हो गये स्लैप डालने के लिए शासन को लिखा गया लेकिन एक पैसा ग्रान्ट निर्गत नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओझा जी, आपने प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया है, आप पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रो0 शिवा कान्त ओझा-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

"इस सदन का यह,निश्चित मत है कि पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित उपयोग हेतु उसकी धनराशि तुरन्त अवमुक्त की जाय।"

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र की तीन योजनाएं पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी थी। एक योजना ऐसी थी जिसकी तत्कालीन मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की थी। एक सई नदी का पुल बनाने के लिए, उसमें 50 लाख रूपये अवमुक्त हो गये और उस पर तीन पिलर बन गये और शेष सामान पड़ा हुआ है और बार बार आग्रह करने के बाद पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री सुश्री मायावती थी उन्होंने उसकी जांच करवाई और मात्र 5 लाख रूपये अवमुक्त किये लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार ने उसकी जांच करा ली, विकास अधिकारी और कमिश्नर की रिपोर्ट मंगा ली, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो गयी, टी0ए0सी0 की जांच करा ली। इस सबकी कमिश्नर ने 15 दिन पहले आपको रिपोर्ट भेजी है कि इसका निर्माण किया जाना जरूरी है, पैसा अवमुक्त किया जाय। बार बार आपके सचिव ने मुख्य मंत्री को पत्र दिया लेकिन आपके सचिव ने इतनी भी शालीनता नहीं बरती कि वह पत्र के द्वारा मुझे सूचित कर देते। मुझे दुख हो रहा है क्या सदन इसी प्रकार से चलेगा। आपके सचिव क्या पत्र का जवाब नहीं देंगे, आपके सचिव टेलीफोन का जवाब नहीं देंगे। मान्यवर, यह निर्देश भी होना चाहिए कि अगर माननीय विधायक किसी सचिव को पत्र देते हैं तो उसकी सूचना उसे मिलनी चाहिए। हम सम्मानित सदस्य जनता के प्रति जवाबदेह हैं नौकरशाही के लोग बैठे हुए हैं इनकी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। आप वहां पर बैठे हैं आपकी जवाबदेही है, मंत्री जी की जवाबदेही है। एक इतना उपयोगी पुल जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, 3-3 पिलर बन गये, शेष सामान पड़ा हुआ है। आज मंत्री जी बैठे हुए हैं वह घोषणा करें कि पैसा अवमुक्त होकर पुल का निर्माण कराया जायेगा। सारी कमिश्नर की रिपोर्ट आ गयी, बड़े बड़े बिल्डर पड़े हुए हैं 7 लाख कुछ की आवश्यकता है, बार बार पत्र आने के बाद कुछ नहीं हुआ। 3-3 बार कमिश्नर ने रिमाइन्डर भेजा है कि पैसा दे दिया जाय, बोल्डर से चलना मुश्किल है लेकिन एक पैसा इनकी सरकार देने को तैयार नहीं है।

(इस समय 2 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए)

2002-2003 की सरकार ने मेरे क्षेत्र का जो चारों तरफ से नदियां और नालों से घिरा हुआ है। इस सदन के भीतर मेरे उस क्षेत्र में विधायक बनने के बाद शिवगढ़ ब्लाक जाने का कोई रास्ता नहीं था, पुल नहीं था इसलिए

मैंने प्रयास किया कि जितना जहां से मिल सकता है, मिल जाय ताकि लोग उसका उपयोग कर सकें, विकास कार्य हो सके और क्षेत्र का विकास हो। वर्ष 2002-2003 में 7 योजनायें स्वीकृत हुई, इसमें किसी में 10 लाख, किसी में 15 लाख, किसी में 20 लाख रूपया अवमुक्त हुआ। अब आज स्थिति यह है कि जगह-जगह बोल्डर पड़ा हुआ है, चलना मुश्किल है और दो नदियों पर ऐसे पुल बने हैं कि 2-2 खम्भे गड़े हुए हैं और जो देखता है, वह खिल्ली उड़ाता है। आगे पैसा अवमुक्त नहीं हो रहा है। मैं सम्पूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि जहां खम्भे गड़े हैं वहां पुलों का निर्माण कराया जाना चाहिए। जो सड़कें मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल विकास निधि का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। हम प्रतापगढ़ के लोग हैं और प्रतापगढ़ के भीतर विभिन्न माननीय सदस्यगण हैं। वर्ष 2003-2004 में एक नया पैसा भी हम लोगों को पूर्वांचन विकास निधि में राज्यांश के भीतर नहीं दिया गया। जनता केवल हमको चुनकर ही नहीं भेजती है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होती है। मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि पूर्वांचल विकास निधि के भीतर हमारा हक मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चुनाव के पहले जिलांश के भीतर हमारे जिले में पूर्वांचल विकास निधि में पैसा गया। फिर चुनाव शुरू हो गये और पैसा स्वीकृत होकर कमिश्नर के यहां चला गया। एक योजना में थोड़ा पैसा चला गया, बाकी पैसे के लिए पूछो तो कहा जा रहा है कि जब शासन का दूसरा आदेश आयेगा तो वह पैसा निर्गत किया जायेगा। चुनाव में 3 महीने लगे, आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान कोई योजना शुरू नहीं हो सकती। अब किसी योजना में एक तिहाई पैसा चला गया और दो तिहाई पैसा शासन के निर्देश के बाद जायेगा। मेरे ख्याल से क्या यह उचित है? एक हिस्सा दे दिया जाय और दो तिहाई हिस्सा रोक दिया जाय। उस पैसे का जनता के बीच उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह पैसा जिलांश के भीतर पड़ा हुआ है, यह दो तिहाई पैसा जाना चाहिए, यह पैसा आप तत्काल भिजवायें। मान्यवर, आप यह भी जानते हैं कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान विकास निधि के साथ चलती है। क्या कुछ जिले चिन्हित कर लिए गये हैं कि उनके अन्दर भेजेंगे और इनमें नहीं भेजेंगे। प्रतापगढ़ में इसके अन्दर एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि सुल्तानपुर जो बगल का जिला है, वहां दे रहे हैं, जौनपुर में दे रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा ख्याल है कि पूर्वांचल विकास निधि जिलों को बराबर-बराबर वितरित की जाती है, जो वहां के प्रतिनिधियों के हिसाब से वितरित कर दी जाती है। लेकिन मेरे जिले में यह पैसा क्यों नहीं जा रहा है। अगर किसी अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उससे जानकारी हासिल करे और पैसा भिजवाये।

पूर्वांचल विकास निधि, जो जनता के हित के लिए है, जो अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां विकास की गति धीमी हो गयी थी, जहां के लोगों को विकास का लाभ नहीं मिल सका, इसलिए पूर्वांचल विकास निधि का निर्माण किया गया था। उसमें यह भी व्यवस्था थी कि जो अधूरे काम हैं, उनको इससे पूरा करेंगे और यह जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कहना चाहेंगे कि जो आपसे वायदा किया है, वह लोगों के हित में किया है, क्षेत्र के विकास के निमित्त किया है और पूर्वांचल में जो पैसा जा रहा है, उसके सन्दर्भ में किया है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर जो योजनायें मेरी अधूरी हैं, उनको आप तत्काल पूरा करा दें। वहां जगह-जगह बोल्डर पड़े हैं, उनसे ज्यादा तो अच्छा कच्ची सड़क पर चलना बेहतर है। इसी तरह जहां पुल बनना है, वहां नाव से चलना तो अच्छा लगता है लेकिन खम्भे गड़े देखना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय राजनाथ सिंह की घोषणा जिसमें 50 लाख रूपये दिये गये थे और पांच लाख रूपये बाद में गये थे, इन सबको दे करके पुल को पूरा कराया जाये और सारी योजनायें जो रूकी हुई हैं उनको पूरा कराया जाये। वर्ष 2003-2004 का जिलांश जिसका एक तिहाई हिस्सा मिल गया है और उसका दो तिहाई हिस्सा किसकी वजह से नहीं मिला, उसकी जिम्मेदारी तय की जाये।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, चर्चा का उत्तर माननीय नियोजन मंत्री जी देंगे, चूँकि चर्चा है इसलिए मैं अपने विचार रख रहा हूँ। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है पूर्वांचल विकास निधि के सम्बन्ध में। श्री शिवाकान्त ओझा जी ने जो बात रखी है शब्दों की रचना के अनुसार और सैद्धान्तिक दृष्टि से बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन श्रीमन्, पूर्वांचल विकास निधि के बारे में इस सरकार के आने के बाद कोई नये निर्देश नहीं दिये गये हैं। पूर्वांचल विकास निधि, जब पूर्व में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और वह मुख्यमंत्री थे तब पूर्वांचल के विकास हेतु, उनके उत्थान की दृष्टि से पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की गयी थी। और आज फिर उन्हीं के हाथों में हुकूमत है, जितना विकास उनके हाथों से हो सकता है और किसी के हाथों से नहीं हो सकता है। जिस चर्चा को उठाने का काम किया गया है उसमें थोड़ी सी बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। अगर पूर्वांचल विकास निधि का प्रस्ताव यह है कि पिछले दिनों जिनको पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश 9 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ दिये गये उन्हीं को 13 करोड़ और 45 करोड़ रूपये दे दिये जायें और राजनैतिक कारणों से इधर के बैठे हुए लोग जो कल उधर बैठे हुए थे, उनको एक रूपये की स्वीकृति न जारी हो, ऐसी मंशा पूर्वांचल विकास निधि की नहीं थी, आज सरकार इस दृष्टि से काम नहीं करेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आप सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं या मंत्री की हैसियत से जवाब दे रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सुन लीजिए, एक रूपये की योजना पिछले कई वर्षों से स्वीकृत नहीं हुई, अनेक बार इस सदन में आने का अवसर मिला।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह मंत्री की हैसियत से इस प्रकार से बोल रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप शब्दों के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह चर्चा है, श्रीमन्, सुन तो लें। इतनी लम्बी चर्चा नियम-51 की आपने सुनी है, जरा सुन तो लीजिए। पंचम तल पर मुख्यमंत्री के यहां ऐसे अधिकारी रखे गये थे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अब आप उत्तर दें। मान्यवर, सरकार का पक्ष बाद में आता है। राजस्व मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं या एक सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा में भाग ले रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, उस समय पंचम तल पर ऐसे अधिकारी बैठे थे जो कहते थे कि बहिन जी से बात कर लीजिए। कोई अधिकारी बहिन जी, माता जी से मिलवाने के लिए ले जाये। बहिन जी, भाई जी और चाचा जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवार में होते हैं, सरकार में तो पद होता है, माननीय मंत्री, राज्य मंत्री या माननीय विधायक जी। हमारे सरकार में किसी अधिकारी की हैसियत नहीं कि वह कहे कि चलिए हम पिताजी से मिलवा दें तो आपका काम हो जायेगा।

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जो अनेक जनपदों में हुआ, मेरे जनपद में भी हुआ कि किसी एक विशेष सदस्य के प्रस्ताव पर 5 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया जबकि दूसरे के 40 कार्यों में से एक कार्य भी स्वीकार नहीं हुआ। आपकी सरकार में दलीय आधार पर काम हुआ। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। पूर्वान्चल विकास निधि को राजनीति से न जोड़ा जाये, अब राजनीति से जोड़ने का जमाना खत्म हुआ। पूर्वान्चल विकास निधि, पूर्वान्चल के विकास के लिए है। जिन परियोजनाओं के एसेट्स बनेंगे उनकी स्वीकृति होगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री शिवाकांत ओझा जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हम यहां पर बैठे हुए लोग चाहे विपक्ष के हों या सत्तापक्ष के हों सभी लोग विधायक और जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। हर एक जनप्रतिनिधि चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मान्यवर, भारत सरकार पूरे देश के अन्दर विकास के लिए कई योजनायें चलाती है। प्रदेश सरकारें भी विकास की कई योजनायें चलाती हैं लेकिन इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने हर सांसद को सांसद निधि देने की शुरूआत की जिससे वह अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कर सके।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय बहुत ही कम राशि विधायकों को मिलती थी तो सभी विधायकों ने मांग की थी कि हर विधायक को एक विधायक निधि मिले, उस समय हम लोग सत्ता में थे, मंत्री थे, तब प्रदेश में विधायकों द्वारा विकास के लिए विधायक निधि की शुरूआत हुई थी। इसके अलावा प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए सरकार द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि का गठन किया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जब बोलना प्रारम्भ किया तो उन्होंने कहा कि सदस्य के रूप में बोलेंगे लेकिन जब बोल रहे थे तो वह मंत्री के रूप में बोल रहे थे। अधिष्ठाता महोदय, क्या दोहरा चरित्र किसी सीनियर व्यक्ति का होना चाहिए? अगर मंत्री जी को उत्तर देना था तो पहले हम लोगों को सुनते। वह अगर सदस्य के नाते क्षेत्र की विकास की बात करते तो अच्छी बात होती। मान्यवर, जैसा कि ओझा जी ने कहा हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आते हैं हमें सौ प्रतिशत वोट नहीं मिलते। जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल जाता है वह व्यक्ति विधायक हो जाता है। क्षेत्र में कोई सड़क बननी है, नलकूप या हैण्डपम्प लगना है तो उसका लाभ केवल उसी क्षेत्र के लोग नहीं उठाते हैं सभी लोग उसका फायदा उठाते हैं। विकास की कोई योजना, चाहे वह किसी सरकार ने बनवायी हो उसका कान्टीनुअस प्रासेस होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाय और उसके चलते विकास कार्य रोका जाय तो यह बहुत गलत है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ। मैंने दो सूचनाएं नियम-300 के अन्तर्गत एक 29 जुलाई को और दूसरी 2 अगस्त, को दी थी। 29 जुलाई, को जो सूचना दी थी उसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि वर्ष 2000-01 में इलाहाबाद में बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर में 2 करोड़ 46 लाख की सीवर की योजना स्वीकृति हुई थी जिसमें से मार्च में 50 लाख रूपये का कार्य हो गया है तो उसकी दूसरी किश्त अवमुक्त की जाय नहीं तो जो 50 लाख रूपया खर्च किया गया है वह मिट्टी में मिल जायेगा। यदि वहां पर सीवर की व्यवस्था पूरी नहीं होगी तो क्षेत्र को लाभ नहीं होगा इसके लिए नगर विकास मंत्री जी को मैंने प्रश्नों के माध्यम से नियम-51 के माध्यम से नियम-300 के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट कराया और निवेदन किया कि इसके लिए पैसा स्वीकृत करायें। उस दिन मुख्यमंत्री बैठे थे उन्होंने भी इशारा किया था कि प्रतिवेदन दे दीजिए, मैं विचार करूँगा। मैंने 2 अगस्त को जो बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठायी थी वह पूर्वान्चल विकास निधि से सम्बन्धित हैं। इस निधि में कुछ राज्यांश होता है और वह जिलों को जाता है और विधायक जो संस्तुतियां करते हैं उसके माध्यम से जिलों में कार्य होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सत्तापक्ष के विधायक हैं उनको राज्यांश में थोड़ा लाभ मिल जाता है और विपक्ष का विधायक थोड़ा नुकसान में रहता है। मैं तो इस मत का हूँ कि राज्यांश में विधायकों का हिस्सा बांट दिया जाय तो ज्यादा उचित रहेगा।

हमारे इलाहाबाद के अन्दर और अन्य कई मण्डलों में पूर्वान्चल विकास निधि की द्वितीय किश्त का जो पैसा है वह दिया जाय। लोक सभा के चुनाव आ गये थे इसलिए वह पैसा रिलीज नहीं हुआ और इलाहाबाद मण्डल और जनपद का पैसा पी0एल0ए0 में जमा हो गया जो 1 करोड़ 36 लाख है। हमलोगों से प्रस्ताव मांगे गये जिनको हमने दे दिया। आप कल्पना करें कि कोई सड़क नप जाये और फिर उस पर कार्य न हो तो जनता क्या कहेगी? जो पैसा पी0एल0ए0 में जमा है इसके लिए मैंने दो बार आयुक्त को फोन किया। एक बार आयुक्त ने कहा कि मेरा ट्रान्सफर हो गया है और दूसरे आयुक्त महोदय ने कहा कि मेरा रिटायरमेन्ट होने वाला है मैं किसी बवाल में नहीं पड़ना चाहता हूँ और उन्होंने पैसा शासन को रेफर कर दिया है। कई मण्डलों में द्वितीय किश्त निर्गत हो गयी है लेकिन इलाहाबाद मण्डल के लिए जो 1 करोड़ 36 लाख पी0एल0ए0 में पड़ा है, इस पैसे को रिलीज किया जाना चाहिए मैंने पहले भी कहा था कि विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्वांचल विकास निधि का पैसा चाहे जहां कहीं का हो उसकी दूसरी किश्त अवमुक्त हो जाय, तो निश्चित रूप से विकास कार्य होंगे।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रो0 शिवाकान्त ओझा द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। पूर्वान्चल विकास निधि में दो तरह का हिस्सा होता है एक तो जिलांश और दूसरा राज्यांश। जो जिलांश का हिस्सा होता है वह जिले के माध्यम से विधान सभा सदस्य और विधान परिषद् के सदस्यों को जनपद में ब्रेक अप करके बराबर बराबर बांट कर उनसे प्रस्ताव लेकर विकास कार्य कराये जाते हैं। दूसरी पूर्वान्चल निधि राज्यांश से मिलती है। जिसमें शासन द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है। जो जिलांश के माध्यम से जाता है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति आयुक्त द्वारा की जाती है मैं उसमें यह बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब एक जनप्रतिनिधि किसी प्रस्ताव को पूर्वान्चल विकास निधि के तहत देता है तो जनपद के अधिकारियों को विकास कार्य कराने का प्रस्ताव देता है वह इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी होने में सात आठ महीने लग जाते हैं। पहले कार्यदायी संस्था से प्राक्कलन मांगा जाता है तमाम अधिकारियों की टेबल से होकर एक कमेटी जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी है वह कार्यदायी संस्था का चयन करती है। उसके बाद आयुक्त के यहां भेजा जाता है वहां से ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां आता है जो उसका सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति जारी होती है। अत: कार्य पूरा होने में काफी समय लग जाता है। जो राज्यांश का हिस्सा होता है जिसे सरकार द्वारा दिया जाता है उसमें पूर्व में राज्यांश से कार्य करने की पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृतियां जारी की गयी थी लेकिन जब मौजूदा सरकार आई तो इस सरकार ने उन प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जिनकी स्वीकृति जारी हो चुकी थी। जिनका पैसा जिले में पहुँच चुका था। जिसका विकास कार्य शुरू हो चुका था उनको भी काट देने का काम इस सरकार ने किया है।

हमलोगों ने पिछले सदन में इस बात को रखा था कि जो स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं चाहें वह किसी विधायक के यहां की हों चाहे इस तरफ के विधायक की हों या उस तरफ के विधायक की जिनका काम शुरू हो चुका था उनको न रोका जाये। क्योंकि गांव में एक विकास की किरण जा रही थी लेकिन सरकार ने विकास को छीन लेने का काम किया है। जो पैसा पी0एल0ए0 में पड़ा था उसको वापस नहीं लाना चाहिए था। क्योंकि उसमें पूर्वान्चल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विकास का उद्देश्य था। आज मैं इस दल का सदस्य यहां हूँ कल कोई और दल का सदस्य यहां हो सकता है। सदस्य चाहे किसी दल का हो लेकिन पूर्वान्चल के विकास का पैसा पूर्वान्चल के विकास के लिए था उस धनराशि को काट लेने का काम किया गया है। मेरे जनपद की चार सड़कें उसमें थी जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति की सम्पूर्ण धनराशि दी गयी थी, वित्तीय स्वीकृति उस समय की तत्कालीन सरकार ने केवल 10-10 लाख की दी थी। 10 लाख का कार्य हो गया था और कार्य-पूर्ति नियोजन को भेज दी थी कि बची हुई धनराशि अवभुक्त हो जाय लेकिन मान्यवर, पैसा न मिलने से काम नहीं हो सका। और भी जो योजनायें थीं जिनका पैसा जिले में चला गया था पी0एल0ए0 में रखा हुआ था, उसको भी आखिरी समय में सरकार ने वापस मंगा लेने का काम किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वान्चल की योजनायें जो पूर्वान्चल विकास निधि में स्वीकृत हैं और वित्तीय स्वीकृति जारी हैं, सबसे पहले उनको जारी करें क्योंकि आधे अधूरे काम रह गये हैं और इससे विकास प्रभावित होता है। सरकार कहती है कि उसकी करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं है और वह सबका विकास करना चाहती है तो उसे सबसे पहले जो स्वीकृत काम है, मान लीजिए कोई 40 लाख का काम है तो पहले 20 लाख दे दें और कार्य पूर्ति उसकी आ जाय तो बचा हुआ 20 लाख भी फिर दे दें। अगर सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो तत्काल इसको जारी करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें, आपकी सारी बात आ गयी है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की उस समय की जो योजनाएं स्वीकृत हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी है उनको जारी करने का काम करें। दूसरी बात यह है कि पूर्वान्चल विकास निधि से 2003-2004 में जो वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी उसको इस सरकार ने रोक कर पैसा वापस मंगाने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ जनहित में इनको तत्काल रिलीज करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शिवाकान्त ओझा द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा के बोलने के लिए खडे होने पर दो तीन और माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

महिला सदस्य बोलने के लिए खड़ी हो रही हैं। महिला सदस्य को एक बार तो बोलने दीजिए। आपके ही दल की सदस्य हैं।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, माननीय शिवाकान्त ओझा द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विधान सभा में दूसरी बार सदस्य चुन कर आई हूँ। पहली बार 1993 में जब मैं विधायक थी, उस समय सरकार 17 महीने चली थी। डेढ़ लाख रूपया हमको विधायक के नाते विकास के लिए मिला था। 1996 में मैं चुनाव हार गयी थी और 2002 में मैं चुनाव जीती। तब उस समय उस क्षेत्र में विकास की कोई किरण नहीं थी। ऐसे दूरगामी रास्ते हैं कि अपने मुख्यालयों तक ग्राम प्रधान नहीं पहुँच सकते। हमारे यहां सुमली नदी पर सरसवां घाट पर पुल बहुत चर्चित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्तमान मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव वहां पर सभा करने गये तो वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि सरसवां पुल का पैसा नहीं मिला जिससे इसका निर्माण नहीं हो सका। उन्होंने मन से कहा था मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, मुझसे मांगा ही नहीं गया मैं जाकर इसको देखूँगा।

मान्यवर, पिछली सरकार में मैंने एक पैकेज दिलवाया था क्योंकि पुल पर पहले क्षेत्रीय सांसद निधि से 10 लाख रूपये और 10 लाख रूपये जिला योजना से दिये गये थे। इस तरह से 20-25 लाख रूपये खर्च होकर खम्बे खड़े थे। इसको पूरा कराने के लिए पिछली सरकार ने 78 लाख का पैकेज दिलाया था ताकि यह पूरा हो जाय। अभी तक उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जाड़े के दिनों में वहां पर एक नाव उलट गयी थी दो लोग मर गये थे। ग्राम सभा ने डर के मारे थाने में इसकी सूचना नहीं दी कि हम इसमें फँस जायेंगे। मुझे 1.00 बजे टेलीफोन से सूचना दी, दो लोग डूब गये हैं थाने में सूचना दे दीजिए। जिला प्रशासन को सूचना दे दीजिए, बहुत बड़े क्षेत्र का गन्ना उसी माध्यम से जाता है और हर बार बहुत सारी बैलगाड़ियां डूब जाती हैं लोग डूब जाते हैं। फैजाबाद में प्रमुख सचिव ने विकास सम्बन्धी कार्यक्रम किया था उसमें भी मैंने यह मामला उठाया था कि इस कार्य को पूरा करने के लिए सीमेंट, ईंटा, सरिया आदि की जरूरत होगी तभी स्लैप पड़ सकती है पूर्वांचल निधि में पैसा गया है उससे पूरा करा दें। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है यह जनहित का मामला है।

इसी तरह से मान्यवर, हितनापुर घाघरा नदी के किनारे है, नदी का कटान होने पर बहुत कठिनाई होती है नियम 51 में भी मैंने इसको दिया था। पिछली सरकार ने तीन करोड़ बंधा के लिए स्वीकृत किया था उसकी एक किश्त गयी है एक टुकड़ा बना है टी0ए0सी0 की जांच चल रही है बार-बार मंत्री जी को लिखा लेकिन उसमें धन अवमुक्त नहीं किया जा रही है। मेरा क्षेत्र पिछड़ा है मेरे क्षेत्र से लोक निर्माण मंत्री पहले भी रहे हैं और आज भी हैं मेरा क्षेत्र इतना पिछड़ा है झंझरी से छेदामार्ग जहां चार क्षेत्र जुड़ते हैं वहां एक भी ब्लाक मुख्यालय तक साधन नहीं चलता है कोई साधन आवागमन का नहीं है उस पर 20 लाख रूपया अवमुक्त हुआ, कार्य अधूरा पड़ा है धन नहीं पहुँच रहा है। अमोली कला से ठकुरिया, दर्जनो गांव हैं इनके आवागमत का साधन नहीं है इसमें पूर्वांचल निधि से रूपया स्वीकृत हुआ 20 लाख रूपया अवमुक्त हुआ इसकी स्वीकृति हो गयी है लेकिन स्वीकृति के बाद धन नहीं पहुँचा है। रानी बाजार से दरारा लालूपुर सआदतगंज सम्पर्क मार्ग है 20 लाख का कार्य यहां होना है लेकिन धन अवमुक्त नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र के बगल में एक विधान सभा क्षेत्र है वहां कोई गांव बाकी नहीं है जो कई सड़कों से न जुड़ा हो। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र पड़े हैं जहां तहसील से मुख्यालय आने का कोई रास्ता नहीं है तो इस तरह से मेरे क्षेत्र में कोई धन अवमुक्त नहीं हुआ है कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन मेरे क्षेत्र में धन अवमुक्त नहीं किया जा रहा है जो धन अवमुक्त होकर जिले में गया भी है तो उसको रोक दिया गया है वहां जनता के हित में सड़क बनाई जाये ताकि वहां के किसानों वहां के मजदूरों, वृद्ध लोगों को आवागमन की सुविधा से वंचित न रहना पड़े। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री भरत सिंह-

मान्यवर, आपने शिवाकान्त ओझा जी की पूर्वांचल विकास निधि की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूर्वांचल विकास निधि का उद्देश्य, पूर्वांचल का विकास करना था। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि की वर्ष 2002-2003 की जो वित्तीय स्वीकृति हुई, उस पर धन गया और उस पर काम हुआ लेकिन जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आयी है, यह जानकर हम लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए यह निधि कायम की गयी है और एक पक्षपातपूर्ण तरीके से केवल रूलिंग पार्टी के विधायकों के सुझाव पर ही पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकृति जारी की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मान्यवर, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप पूर्वांचल विकास निधि में हमारे नये प्रस्ताव स्वीकार करें लेकिन जो अधूरे कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए सेकेण्ड किश्त जारी की जानी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वांचल विकास निधि में पिछले वित्तीय वर्ष में जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, चाहे वह रूलिंग पार्टी के हों या प्रतिपक्ष के हों, जो भी अधूरे कार्य पड़े हैं, उनको पूरा कराने के लिए सेकेण्ड किश्त जारी की जानी चाहिए। मान्यवर, हमारे बलिया का दोआबा विधान सभा क्षेत्र है। आजादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस मार्ग पर दो दर्जन लोग शहीद हुए थे, यह मार्ग बैरिया स्टेशन तक जाता है, 4-5 कि0मी0 लम्बा मार्ग है। इस शहीद मार्ग के लिए 99 लाख रूपये स्वीकृत हुए थे, 20 लाख रूपये चले गये थे और उसका कार्य हो गया था और उसकी कार्य-पूर्ति जमा कर दी गयी है, जियोजन में आ गया है लेकिन सेकेण्ड किश्त जारी नहीं की गयी। इसके पहले भी जब विधान सभा सत्र था, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने स्वयं इसी मार्च महीने में अपनी समस्या इस सेकेण्ड किश्त को जारी करने के सम्बन्ध में रखी थी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी सरकार में जो मंत्री हैं, माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी, हमारे दोआबा विधान सभा क्षेत्र के दो गांव, मानगढ़ और शिवालमठिया और मंत्री जी के क्षेत्र बांसडीह के दो गांव, गोपालपुर और वशिष्टनगर हैं, रेलवे लाइन के पास एक पुल जो यहां के 5 गांवों के लोगों के आने जाने का मात्र एक रास्ता था, पिछली भयंकर बाढ़ में बह गया, इसलिए मैंने पूर्वांचल के राज्यांश से इसका प्रस्ताव किया था और माननीय चौधरी जी ने भी प्रस्ताव किया था। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से चाहे हमारे प्रस्ताव पर या माननीय राम गोविन्द जी के प्रस्ताव पर बनाने का काम करें। मान्यवर, वह पुल बनाने का काम यह सरकार करे और साथ ही मैं मांग करता हूँ कि पूर्वांचल निधि के द्वारा प्रथम किश्त के जो अधूरे कार्य पड़े हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार सेकेण्ड किश्त जारी करने का काम करे।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ओझा जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहा हूँ जो इस प्रदेश में विषमताएं थीं, जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए इस पूर्वांचल विकास निधि का गठन किया गया था। मान्यवर, मुझे आज यह कहने में कोई संकोच नहीं है आज पूर्वांचल विकास निधि को लेकर गंभीर बातें कही जा रही हैं। पूर्वांचल विकास निधि का गठन इसलिए किया गया था कि जो बड़े ब्रिज हैं, बड़ी सड़कें हैं चाहे वह दो विधान सभा क्षेत्रों या जिलों को जोड़ने वाली हैं जिसके लिए जिलांश में पैसा नहीं है उनके लिए पैसा पूर्वांचल राज्यांश में स्वीकार करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ईमानदारी से सत्तापक्ष के लोगों के ही प्रस्ताव स्वीकार हों तो भी हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आज पूर्वांचल के जो ठेकेदार हैं वह किसी भी विधायक से पैड लिखाकर यहां योजना भवन से कमीशन देकर, धन निकलवाकर पूर्वांचल विकास निधि का राज्यांश ले जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 50-70 लाख रूपये का राज्यांश लिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल विकास निधि का पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा क्या पूर्वांचल के इन अमीर ठेकेदारों को अमीर बनाने के लिए है? ठेकेदार स्वीकार करते हैं कि हम योजना भवन से 5 प्रतिशत कमीशन देकर लाये हैं। आज विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, आज सामाजिक जीवन में रहने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर उंगली उठायी जाती है। संसदीय कार्यमंत्री जी आ गये हैं।

आज पूर्वांचल विकास निधि का पैसा योजना भवन से कमीशन देकर निकाला जा रहा है, कमीशन लेकर प्रस्तावों को स्वीकार किया जा रहा है आप इसको बंद करें। या तो इसको आज जिलांश में कर दीजिए, तो जो जनप्रतिनिधि हैं इसमें उनकी जवाबदेही होगी। वह अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अगर वह सही

इस्तेमाल नहीं करेगा तो चुनाव में जनता उसे हरा देगी। मान्यवर, दूसरी किश्त को भी निर्गत कराने के लिए यहां कमीशन चल रहा है। मान्यवर, हमें न तो उनकी सरकार में पूर्वांचल विकास निधि का पैसा मिला था और न इनकी सरकार में। लेकिन मान्यवर, 5 साल पहले जो किश्त जारी हुई थी, अब कई ठेकेदार कमीशन देकर दूसरी किश्त भी जारी करा रहे हैं। आज राज्य सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आज अगर प्रदेश की योजनाओं में बंदरबाँट हो रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, सार्वजनिक जीवन में हम लोगों को इन सारी चीजों को लेकर जो कलंक लग रहा है तो इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। जो पूर्वांचल के राज्यांश का उद्देश्य था अगर वह डिफीट हो रहा है तो माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण दें। आज निश्चित तौर पर सुचिता और स्वच्छता को बनाये रखने के लिए, राज्यांश में कई महीने काम होता है, लिखते हैं फिर एप्रूव होना है। फिर जिस तरह से सड़क की स्वीकृतियां होती हैं जिसकी आवश्यकता विधायक समझता है वह उसे देता है। लेकिन ठेकेदारी प्रथा से जिस तरह से काम हो रहा है यह गलत है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कुठाराघात करने की आवश्यकता है। इसमें सरकार को सोचने की आवश्यकता है। इसमें जिस तरह से बातें उठ रही हैं उसकी सुनवायी होनी चाहिए अन्यथा निश्चित तौर पर बदनामी होगी।

श्री अधिष्ठाता-

एक घण्टा चर्चा का समय निश्चित था। इस समय 3.40 मिनट हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी को भी बोलना है।

*श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, अगर पूर्वांचल विकास निधि केवल सत्ता पक्ष के लोगों को दी जायेगी केवल वही उसका उपयोग करेंगे तो मेरी कोई कम्प्लेन्ट नहीं है। लेकिन यह परम्परा नहीं है। प्रथम किश्त हमको मिल गयी है लेकिन द्वितीय किश्त अभी नहीं मिल पायी है इसे देना चाहिए। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का और शासन का यह सोचना है कि सार्वजनिक विकास करेंगे तो मेरा कहना यह है कि सत्ता पक्ष के श्री कमलेश पासवान विधायक हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सटा हुआ है, वहां पर पीपे के पुल की आवश्यकता है। मान्यवर, वहां पर सप्ताह में दो लोग ट्रेन से कटकर मरते हैं। पांच साल में पांच सौ लोग कटकर मर गये होंगे। आप इसका रिकार्ड निकलवाकर देख लें। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र सहजनवा में चालीस लाख देना है। यह कमलेश चौहान जी की भी और गोरखपुर की भी आवश्यकता है। हमारा आपसे निवेदन है कि द्वितीय किश्त ड्रा करा दीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, प्रोफेसर शिवाकान्त ओझा जी ने जो पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित विकास हेतु उसकी धनराशि तुरन्त अवमुक्त की जाय, यह प्रस्ताव किया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। श्रीमन् हमारे बहुत से सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। कुछ बिन्दु हमारे दिमाग में हैं, वह मैं रखना चाहता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि का जो गठन है, जैसा कि माननीय अम्बिका चौधरी जी कह रहे थे कि वर्तमान नेता सदन के कार्यकाल में इसकी शुरूआत की गयी थी यह बात सही है। लेकिन उनकी यह मंशा कि जो पूर्वांचल विकास निधि की स्वीकृतियां हैं वह अधूरी ही रखी जायेंगी, तो अगर माननीय राजस्व मंत्री जी होते सदन में, मैं उनसे पूछता कि प्रदेश के लिए वह कितने अशुभ राजस्व मंत्री साबित हुए हैं जब से इन्होंने पदभार संभाला है, तब से किसान न तो गेहूँ की फसल उपज को क्रय केन्द्रों पर बेंच पाये हैं न धान की फसल खेत में लगा पाये हैं। श्रीमन् राजस्व मंत्री जी को जितनी चिन्ता उन्हें इस बात की है कि मोती सिंह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विधान सभा क्षेत्र के लिए नौ करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी और प्रोफेसर शिवाकान्त ओझा जी के विधान सभा क्षेत्र को नौ करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी, लेकिन इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस निधि के तहत जो कार्य स्वीकृत हुए थे वह अधूरे पड़े हैं क्या वह अधूरे पड़े रहेंगे? वह पूरे नहीं होंगे तो जनता का क्या होगा? किसानों को नहर का पानी नहीं मिला, वह धान की फसल नहीं लगा सके। उनसे वसूली हो रही है। उनके आने-जाने के लिए सड़क नहीं है, अगर इसी तरह से उन्हें किसानों के हित की भी चिन्ता होती तो शायद आज विभाग की दूसरी छवि होती, जो काम आपने स्वीकार किया आपकी सरकार ने स्वीकार किया वह सब अधूरे पड़े हैं, उन्हें क्यों नहीं पूर्ण कराया जायेगा, शपथ लेते समय माननीय मंत्रीगण यह कहते हैं कि हम अपने कार्य में निष्पक्षता लायेंगे, सबके साथ समान न्याय करेंगे, अगर इसके बावजूद भी वह यदि भेद-भाव करते हैं तो कहीं न कहीं वह उस शपथ का उल्लंघन करते हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हमारे यहां जो पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत काम अधूरे पड़े हैं उन्हें वह पूरा करा दें अवशेष धनराशि अवमुक्त करा दें। हमारे यहां सड़कों के कार्य अधूरे पड़े हैं लोगों को यातायात में असुविधा होती है, उन सड़क पर सभी दलों के लोग, सभी वर्गों के लोग चलते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए शासन से यह मांग करता हूँ कि उस अवशेष धनराशि को दे दिया जाय ताकि वह कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं, पूरे हो सकें। मान्यवर, एक और बात की ओर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूँगा कि जो माननीय सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, मान्यवर, उनकी एक प्रक्रिया है, अगर उनके द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव में कोई संशोधन आवश्यक है तो सरकार को चाहिए कि उसमें संशोधन करने में कोई विलम्ब न करे। अभी तो माननीय अम्बिका चौधरी जी ने यह नहीं बताया कि एक त्वरित आर्थिक विकास निधि उन्होंने गठित की है वह भी पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड से डबटेल करके बनायी गयी है, पूरे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के 12 जनपद ऐसे हैं जहां से समाजवादी पार्टी के कुछ माननीय सदस्य आते हैं, उनके कोई भी काम, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे जो हों, सारे कार्यों की स्वीकृतियां केवल उत्तर प्रदेश के इन्हीं 12 जनपदों को दी जा रही हैं। मैं एक बार पुन: संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करता हूँ कि हमारे यहां जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा कराया जाय और जो सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आते हैं उन्हें पूरा कराया जाय और जो सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आते हैं उन्हें स्वीकृत किया जाये, इसी के साथ मैं प्रोफेसर शिवाकान्त ओझा जी द्वारा रखे प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, अभी शिवाकान्त ओझा जी ने पूर्वांचल विकास निधि के दुरूपयोग के बारे में प्रस्ताव रखा है, मैं प्रस्ताव पढ़ कर हैरत में पड़ गया, मैं ओझा जी से जानना चाहता हूँ कि जब हम लोग विगत दिनों विपक्ष में बैठे थे और इस पर कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हैण्डपम्प की मांग की जिसको उस समय की मुखिया कुमारी मायावती जी ने समाप्त कर दिया था और पूर्वांचल विकास निधि का बटवारा ठीक ढंग से सभी सदस्यों को प्राप्त होगा, यह मांग सदन में हम लोगों ने उठाई थी। मान्यवर, उस समय सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो आज विपक्ष में बैठे हैं उन लोगों ने हमारी मांगों को अस्वीकार कर दिया था। जब हम लोग पंचम तल पर पूर्वांचल के विधायक मांगों को लेकर जाते थे, तो वहां सौदा होता था। वरिष्ठ अधिकारी वहां के एक कहते थे कि कुछ बात हमारी मान लीजिए तो जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं वह स्वीकार हो जायेंगे। आप बहन जी से बात कर लें। चलिए जनेश जी के पास और समय निश्चित कर लीजिए और बहन जी से बात कर लीजिए। मैं मान्यवर, दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का कोई विधायक उस वरिष्ठ अधिकारी की बात को नहीं माना और बहन जी के आगे किसी ने गिड़गिड़ाने का काम नहीं किया। और उसका नतीजा था कि उस समय की सरकार में हमारा पार्टी के किसी सदस्य को एक पैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का भी प्रोजेक्ट देने का काम नहीं किया गया था। जब हम लोगों ने यह मामला यहां सदन में उठाया तो ब0स0पा0 के सदस्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। जब हमारे मुख्य मंत्री जी हुए तो हम लोगों ने उनसे यही अनुरोध किया कि आप तो उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। आप कम से कम सौतेलेपन का व्यवहार किसी के साथ न कीजिएगा।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ हमारे मुख्य मंत्री जी के मुख्य मंत्रित्व काल में ही पूर्वांचल विकास निधि का गठन हुआ था ताकि जो लोग गांव में रहते हैं और जिनका जीवन स्तर बहुत नीचा है और जहां अभी तक सड़कों का विकास नहीं हुआ है, पश्चिमांचल में तो बहुत विकास हुआ है लेकिन इधर बलिया, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, देवरिया आप चले जायें तो सड़कों की हालत खराब है। आज वहां विकास की बहुत सी जरूरतें हैं। पहले के मुख्य मंत्री लम्बी-लम्बी घोषणायें कर देते थे और वह सब कागज में होती थीं। केवल घोषणा हो गयी और कुछ पैसा नहीं दिया। यह सच्चाई है, माननीय जगदम्बिका पाल जी ने एक मामला उठाया था कि कुछ ठेकेदार लोग योजना भवन में जाकर कमीशन खोरी में पैसा लेने का काम करते थे, लेकिन जबसे मा0 संसदीय कार्य मंत्री आजम खां साहब आये हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी पदारूढ़ हुए हैं और उन्होंने वहां के उन भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया है, जो गलत काम कर रहे थे और जबसे वहां पर अमृत कुमार वर्मा जी और मिश्रा जी जैसे सचिव पहुँच गये हैं उन लोगों ने ठेकेदारी प्रथा पर लगाम लगाने का काम किया है। (सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) उन लोगों ने भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगाने का काम किया है। मान्यवर, यह आश्चर्य की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार में हम पूर्वांचल के विधायकों को एक पैसा भी देने का काम नहीं किया गया। परन्तु कोई भी विधायक ने बहन जी के सामने गिड़गिड़ाने का काम नहीं किया। हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है पैसा नहीं मिल रहा है कभी हमारी भी सरकार आयेगी। आप लोग मलाई खा रहे हो, खा लो। तो यह सौतेलेपन के व्यवहार की बात है इसमें व्यवस्था को ही ठीक कराया जाय और पूर्वांचल में विकास के कार्यों को गति दिलायी जाय और व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाया जाय। मान्यवर, अभी एक सदस्य कह रहे थे कि 9 करोड़ 25 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी तो यह केवल हवाई फायर था। इस सरकार में हवाई फायर और लम्बी चौड़ी घोषणायें होना बन्द हो गयी हैं और यह सरकार जमीन पर काम कर रही है और जो धन दिया जा रहा है उससे प्रगति के काम हो रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर एक घंटे की चर्चा निर्धारित थी अब वह समय पूरा हो गया है। आप लोग कृपया बैठें।

*नियोजन राज्य मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र)-

मान्यवर, सदन के नेता हम लोगों के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बजट भाषण में पहले ही बड़ी साफगोई के साथ कहा है कि प्रदेश के विकास में जात-पात, अगड़ा-पिछड़ा और दलगत भेद-भाव को कहीं दूर से भी नहीं रखा जायेगा और उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता है उपलब्ध धन और संसाधन को देखते हुए, उसमें से पूर्णत: को प्राप्त कराया जायेगा। श्रीमन् आप जानते हैं कि प्रदेश बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि एक राष्ट्र की जितनी विषमताओं और समताओं को अपने बीच में रखता है, इतना रखता है कि आप इसकी आर्थिक स्थिति को देखें। विन्ध्य का पठारी भाग, गंगा का मैदान, तराई और पहाड़ी क्षेत्र, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, पश्चिम का विकसित क्षेत्र और पूरब का पिछड़ा हुआ क्षेत्र, इसको ध्यान में रखते हुए 27 दिसम्बर, 1990 को पूर्वांचल निधि की स्थापना की गयी थी। इसमें प्रदेश के 8 मण्डल और 29 जनपदों को लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया था जिनका विकास संतुलित आधार पर प्रदेश के अन्य विकसित जनपदों के अनुसार हो लेकिन पाया गया कि जिस पवित्र मंशा के साथ इस निधि का निर्धारण किया गया वह उतना खरा नहीं उतर पाया। जैसा माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा है, जो कोई भी सत्ता में रहता है पूर्वांचल निधि का विशेष लाभ पाता है तो अभी-अभी सत्ता से हटे हैं, अपनी ईमानदारी की बात सामने रख दी है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चौधरी जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हम सदस्य की स्थिति में बोल रहे हैं लेकिन मंत्री की हैसियत जैसा बोल रहे थे, यह दोहरा चरित्र है। आपने कहा है मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में जिस किसी की भी हैसियत है अगर सदस्य नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सदस्य की हैसियत बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए वह प्रथम चरित्र की हैसियत से बोल रहे थे दोहरे चरित्र से नहीं बोल रहे थे। आपको सीवर के बारे में पता होगा, जल निगम के लोगों ने प्रस्ताव ही बदल दिया जिसकी जानकारी आपको होगी। प्रस्ताव बदल दिये जाने के नाते धन अवमुक्त करने में कठिनाई हो रही है। उनको निर्देशित किया गया है, मैंने मंगाया है। इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के जिलांश को अवमुक्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं। यह धारणा जो आपके मन में बैठी हुई है कि सत्ता पक्ष के लोग प्रतिपक्ष के कार्यों को उचित वजह देखते हुए भी होने नहीं दे रहे हैं, यह आपका पूर्वाग्रह हो सकता है, विकास तो विकास है और समूचा विकास पूर्वांचल का हो उतनी मजबूरी और उतनी मान्यता तो पूरब का होने के नाते मेरी भी होती है। डेढ़ सौ करोड़ रूपये पूर्वांचल विकास निधि का, 28 मार्च 1995 ई. शासनादेश आपका है, 75 करोड़ रूपये जिलांश के रूप में और 75 करोड़ रूपये राज्यांश के रूप में स्वीकृत किया गया। जिलांश के रूप में जाता है। माननीय सदस्य विधान सभा और विधान परिषद् में औसत के आधार पर जिलों में वितरित कर दिया जाता है जिनके कार्यों की प्राथमिकता क्षेत्रीय विधायक की स्वीकृति के आधार पर होता है, राज्यांश का धन जो होता है माननीय जनप्रतिनिधियों के आधार पर होता है। मण्डलायुक्त की संस्तुतियों के साथ शासन में जाता है और स्वीकृति प्रदान की जाती है। कोई भी माननीय सदस्य इसको अन्यथा नहीं लेगा, एक माननीय सदस्य 9 करोड़ की बात कह रहे थे। 29 जिले हैं और 29 जिलों से कितने माननीय सदस्य आते हैं, हिसाब लगायें कि 75 करोड़ के हिसाब से कितना आयेंगे। जरा मन के आइने में झांक कर देखें, आकड़ों के आइने में झांककर देख लें। चिन्ता इस बात की नहीं है कि रूपया जाता कहां है या स्वीकृति कैसे होती है। वल्कि चिन्ता इस बात की है कि जो धन स्वीकृत हुआ है, जिसकी प्रथम किश्त स्वीकृत हो गयी, उसका दूसरा धन अवमुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपकी बात से पूरी तरह अपने को जोड़ता हूँ, सहमत करता हूँ। सरकार की मंशा किसी भी कार्य को होने में अवरोध पैदा करने की नहीं है। कार्य की पूर्णता का जो नियम निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार हो जाने के बाद किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए विकास की दृष्टि से सरकार प्रतिबद्ध है, उससे वह कहीं हटने नहीं जा रही है। एक चिन्ता ओझा जी ने जताई है, जो हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी है। अधिकारी टेलीफोन अटैण्ड नहीं करता है और पत्रों के उत्तर नहीं मिलते। हमें लगता है कि अधिकारी टेलीफोन अटैण्ड नहीं करता, तो उसका निजी सचिव अटैण्ड करता होगा। कल तक आप लोग मंत्री रहे हैं, हो सकता है, आपने उसको बुला रखा हो।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पत्रों के उत्तर जाते हैं, कहीं कोई चूक हो गयी हो तो अलग बात है, इसमें सुधार किया जायेगा। यह आपके श्रेष्ठतम और उच्चतम विचार हैं। माननीय पाल जी ने एक चिन्ता जताई है कि पूर्वांचल के धन की स्वीकृति घूस के आधार पर हो रही है और माननीय जनप्रतिनिधिगण से कोई न कोई ठेकेदार चिट्ठी लिखवा ले रहा है। माननीय पाल जी हमारे मित्र हैं, बगल के रहने वाले हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा ठेकेदार है जो जबरन किसी माननीय सदस्य से पत्र लिखवा रहा है और यदि वह इतने कमजोर जनप्रतिनिधि

हैं, राह चलते पत्र लिख दे रहा है तो ब्लैकमेल तो होगा ही। उसमें न सदन का दोष है, न सरकार का दोष है, दोष उस कमजोर जनप्रतिनिधि का है, कमजोर-चरित्र का दोष है। उसको अपने मन में स्वयं झांककर देखना होगा और यदि वह झांककर देखेंगे तो इसका निराकरण स्वयं मिल जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता। हम समझते हैं कि हम सब माननीय सदस्यगण समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। अगर इस निधि के रूपये कमीशन के आधार पर बटेंगे तो सदन करेगा क्या? हम तो उस पर अवरोध लगाने के लिए बैठे हैं और पूरी तरह शुचिता को बनाये रखने के लिए बैठे हैं। हम ही अगर ऐसा मन पैदा कर रहे हैं तो यह शुचिता आयेगी कहां से? चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि होता हो, उसका दायित्व होता है कि वह मजबूती के साथ सदन में अपनी बात कहे, अपने लोगों के बीच में भी उस बात को रखे, इतना कमजोर न हो जाय कि जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, लिखा ले।

मैं राज्य का नियोजन मंत्री हूँ, हमारे पास भी कभी-कभी फाइलें आती हैं और बहुत सारी सिफारिशें ऐसी आती हैं, पत्र लगे होते हैं, उनसे मैं अपने को जोड़ता नहीं। उनके पीछे लगे हुए लोग भी आते हैं, हमारे आपके बीच में से लोग आते हैं। मैं पाल जी से कहना चाहूँगा और पाल जी के माध्यम से माननीय सदन से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि इन बातों पर मंथन किया जाय तो बहुत सारी बातें अपने आप सुलझ जायेंगी। मूल चर्चा जो हुई है, जिसने जितना बोला था, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कार्य जो प्रारम्भ हो गये हों, कार्य की पूर्णता की रिपोर्ट के लिए जो नीति निर्धारित की गयी हो, जो नियम बनाये गये हों, उसके अनुसार आयेगी। कोई भी मंशा सरकार की यह नहीं है कि विकास की सीढ़ी जो उत्तरोत्तर बढ़ रही है, उसको बाधित कर दें। लेकिन कार्य की पूर्णता हुई या नहीं। पहली किश्त दी गयी हो और दूसरी किश्त की मांग की जा रही हो, ऐसी स्थिति में दूसरी किश्त नहीं दी जायेगी, जिसको आप लोगों ने दूसरे अर्थों में ले लिया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि दूसरी किश्त निर्गत नहीं की जायेगी, दूसरी किश्त तभी निर्गत की जायेगी जब पहली किश्त जो कि निर्गत की गयी है उसका काम पूरा हो गया हो, आख्या आ गयी हो, तभी दूसरी किश्त दी जायेगी। हम इससे सहमत हैं और मुझे लगता है कि पूरा प्रतिपक्ष भी इससे सहमत होगा। अन्त में मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करूँगा जिन्होंने पूर्वांचल विकास निधि के बारे में अपने विचार यहां पर रखे, धन्यवाद।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, चर्चा में जो उत्तर आया, उससे मैं संतुष्ट हूँ लेकिन एक प्रकार की मेरे पास शंका है। मैं जानना चाहूँगा कि अगर जो पहली किश्त निर्गत की गयी थी उसका काम पूरा हो गया है, हमारे यहां वर्ष 2001-2002 की जो स्वीकृति थी उसका कार्य अप्रैल, 2003 में पूरा हो गया है, वर्ष 2003-2004 में पूर्ति की रिपोर्ट भी दे दी गयी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने आठ पत्र भी लिखे हैं, एक भी पत्र का जवाब आपके विभाग ने मुझे नहीं दिया है और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इसको दिखवा लें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

हम सभी पत्रों को निकलवा करके देख लेंगे और उस पर जो कुछ भी हो सकता होगा, रचनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित उपयोग हेतु उसकी धनराशि तुरन्त अवमुक्त की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाएं।"

इस समय पूरे प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की जो समस्या है, जिस दिन से सदन आहूत किया गया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने इस पर चिन्ता जताई है। मुझे खुशी है कि आज इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकृत की गयी है। मान्यवर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह जो कुछ भी करता है, अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों को बनाने में लगाता है और जब बच्चों का भविष्य ही अन्धकारमय हो तो अभिभावकों को चिन्ता होनी स्वाभाविक है। मैं देख रहा हूँ कि इस समय प्रदेश में जो प्रवेश की समस्या चल रही है, उससे सारे लोग चिन्तित हैं। चाहे नाइन्थ में, चाहे डिग्री क्लासेज में और चाहे इलेवेन्थ में हो हर जगह प्रवेश की समस्या है और इसकी वजह से जो पढ़ने वाले छात्र हैं वह भयभीत हो रहे हैं। गलत रास्तों को पकड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सरकार ने पिछले दिनों यहां पर घोषणा की कि डिग्री कालेजों में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ायी जायेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यहां पर घोषणा तो 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की गयी परन्तु मेरी जानकारी में है कि वह केवल 10 प्रतिशत की बढ़ायी गयी है। जिस विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करिये वह कहते हैं कि 10 प्रतिशत से ज्यादा सीटें नहीं बढ़ायी जा सकती हैं। विज्ञान विषय में कोई भी सीट बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं गया है ओर विज्ञान विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी भटकते फिर रहे हैं उनका भविष्य अन्धकारमय दिख रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो 10 प्रतिशत सीटें बढ़ायी गयी हैं तो 10 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत सीटें बढ़ायी जानी चाहिए। मैं इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि 31 जुलाई प्रवेश की अन्तिम तिथि थी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 15 अगस्त तक प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गयी है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों की तरफ से सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज 05 तारीख हो गयी है 10 दिन केवल शेष रह गये हैं। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी और अन्य सदस्यों ने मांग की है और मेरा भी शासन से अनुरोध है कि प्रवेश तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया जाये जिससे छात्रों का प्रवेश हो सके और अभिभावक चिन्ता से मुक्त हो सके। आपने दाखिले के लिए यहां से निर्देश तो निर्गत कर दिये लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि चाहे इण्टर कालेजेज हों या डिग्री कालेजेज हों, हर जगह पढ़ाने वाले स्टाफ की कमी है, लेबोरेटरी की कमी है। प्रवेश को लेकर ही हमसे एक प्रिंसिपल कहने लगे कि एक सेक्शन में 400 विद्यार्थी हो गये हैं, किस तरह से पढ़ा सकेंगे। मान्यवर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं चाहे सरकारी या प्राईवेट उन्हें दो शिफ्टों में चलाने का निर्देश जारी करें। अगर एक सेक्शन में 400 विद्यार्थी हैं तो एक शिफ्ट में नहीं हो सकते, अगर दो शिफ्ट चलायी जाये तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ कृषक महाविद्यालय पूरनपुर में जहां से मैं चुनकर आता है 42 लाख रूपये गन्ना किसानों ने कटौती कराकर एक डिग्री कालेज की स्थापना की और वहां की स्थिति यह है कि 4 अध्यापक वहां पर कार्यरत हैं और उसको मान्यता नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से अस्थायी मान्यता मिली है।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूँ कि कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर को स्थायी मान्यता प्रदान की जाये। दूसरे वहां पर 640 सीटें हैं और तमाम बच्चे प्रवेश के लिए वंचित रह गये हैं, जो बच्चे प्रवेश से वंचित हैं उनको प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जाये क्योंकि बार-बार सरकार कहती है कि एक भी बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं

रहेगा, इसलिए कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां राम लुकाई महिला डिग्री कालेज में लैब नहीं चल रहा है। तहसील बीसलपुर में है वहां एक डिग्री कालेज हैं जहां बी0एस0सी0 में 160 सीटें है जबकि 400 छात्रों का आवेदन प्राप्त हुआ है 160 छात्रों का प्रवेश हो गया है जबकि 240 छात्र मारे-मारे फिर रहे हैं। उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में बी0काम0 में 160 सीटें हैं जबकि आवेदन 300 छात्रों के प्राप्त हुए हैं इसी तरह से बी0ए0 में 640 सीटें हैं और आवेदन प्राप्त हुए हैं 800 छात्रों के। मान्यवर, बी0एस0सी0 में 240 सीटें आवंटित हैं लेकिन 532 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं उनको निश्चित रूप से प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, पूरनपुर में छात्राओं का एक इण्टरमीडिएट कालेज है, वहां पर बच्चियों के ग्यारहवीं क्लास में 50 प्रवेश हुए हैं और 10 आवेदन-पत्र लम्बित हैं इसी तरह से कक्षा 9 में 35 बच्चियों के प्रवेश हुए हैं 15 के नहीं हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बच्चियों के प्रवेश को सुनिश्चित कराया जाये। मैं पीलीभीत से चुनकर आता हूँ। बरेली में कमिश्नरी का हेड क्वार्टर है। बरेली कालेज में बी0ए0 में 1840 प्रवेश हुए हैं और 1007 बच्चों के प्रवेश नहीं हुए हैं। मान्यवर बी0एस0सी0 में 750 बच्चों के प्रवेश हुए हैं। 1750 बच्चों के प्रवेश नहीं हुए हैं मेरा निवेदन है कि इन बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराया जाय।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों का जो चयन मेरे यहां हुआ है उसमें बड़ी धांधली हुई है। मेरे यहां सबसे बड़ी धांधली हुई, जिस आरक्षित कोटे का प्रधान था उसमें सामान्य श्रेणी के शिक्षा मित्रों का चयन किया। ऐसे शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों की जांच करायें और जो शिक्षा मित्रों के पद पर नियुक्ति पाने के हकदार हैं उनको नियुक्ति दिलाने का कष्ट करें। जनपद शाहजहांपुर के 94 गांव, जनपद पीलीभीत में मैंने जुड़वाये थे, उन 94 गांवों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे यहां जो एकल विद्यालय अध्यापक हैं। कहीं पर हैं और कहीं पर नहीं है इन 94 गांवों में अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गयी है उनका मानदेय कम है। आज मंहगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए मानदेय कम है। इतने में शिक्षा मित्र अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। यदि उनको पर्याप्त मानदेय नहीं दिया जायेगा तो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। मान्यवर, मेरे यहां एस0एन0 इण्टर कालेज है वहां पर 1 करोड़ 25 लाख रूपया स्वीकार किया गया था, वहां बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर बच्चों का प्रवेश नहीं हो रहा है। वहां पर दो प्रबन्ध समितियां हैं जिनमें आपस में डिसप्यूट है, आपस में एक-दूसरे पर मुकदमें कायम हो रहे हैं। बच्चों का प्रवेश न होने से उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। मेरी मांग हैं कि डिसप्यूटेड कमेटियों को भंग किया जाय वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की जाय। जिलाधिकारी को या डी0आई0ओ0एस0 को वहां का प्रशासक बनाया जाय। सरकार का कोई व्यक्ति प्रशासक बनाया जायेगा तो वहां बच्चों का प्रवेश होगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ विद्यालयों की कमी की वजह से सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में विद्यालय खोलने की अनुमति दी है लेकिन इन प्राइवेट विद्यालयों में अध्यापकों और बच्चों का शोषण हो रहा है। अधिक फीस ली जा रहा है कि सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति उस फीस को नहीं दे सकता है। ऐसी प्राइवेट संस्थाओं की तरफ जिनका कार्य शिक्षण कार्य न होकर एक बिजनेस की तरह है ऐसे विद्यालयों पर निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। जिससे सामान्य वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। हमारे यहां पूरनपुर में सरस्वती विद्यामंदिर इण्टर कालेज है उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि एक सौ स्वीकृतियाँ जारी की है। मैं कहना चाहता हूँ कि 6 माह पूर्व वाणिज्य विषय में मान्यता के लिए सरस्वती विद्या मंदिर पूरनपुर की फाइल आ चुकी है आज तक उसकी स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। मैं शासन से मांग करना चाहता हूँ कि सरस्वती विद्या मंदिर पूरनपुर के लिए वाणिज्य वर्ग के लिए

मान्यता दिलाने का कष्ट करें। हमारे सामने चौधरी साहब बैठे हैं वह नोट भी कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि वह इस पर कार्यवाही करेंगे मैं माधव टांडा ग्राम सभा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वहां जमीदारों ने 18 एकड़ जमीन कृषक इण्टर कालेज खोलने के लिए उसके नाम रजिस्ट्री कर रखी है। वहां पर सालों से मांग चल रही है कि सरकार अपना एग्रीकल्चर इण्टर कालेज खोले। हमारे यहां जमीन की कीमत तीन चार लाख रुपये एकड़ है। इतनी बड़ी पूँजी लगी है। उन लोगों ने इतनी जमीन दे दी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं शासन से मांग करना चाहता हूँ कि वहां के बच्चों के भविष्य के लिए वहां राजकीय एग्रीकल्चर इण्टर कालेज खोलने की व्यवस्था करें, जिससे जमीन का सदुपयोग हो सके। अन्यथा आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूमाफिया हर जगह सक्रिय हैं और वह उस जमीन को न हड़प लें। आशा है कि इस सत्र में निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है छात्र संघों के चुनाव की घोषणा कर दी है जिन बच्चों के मन में बी0जे0पी0 कार्यकाल में पढ़ाई की तरफ जिज्ञासा आई थी अब पुन: वह राजनीति में हिस्सा लेने लगे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले दिनों राजनीति के कारण एक छात्र की हत्या कर दी गई। प्रवेश न होने की वजह से छात्र सड़कों पर भटक रहे हैं अगर 100 प्रतिशत छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ऐसे छात्र गलत रुख अख्तियार करेंगे और दिशा भ्रमित होंगे। चौधरी जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी एक शिक्षक भी हैं बाद में विधायक हैं, बाद में सांसद हैं और अन्त में मुख्यमंत्री हैं अगर एक अध्यापक बच्चों के कष्ट को नहीं समझ सकता है तो कौन समझ सकता है? मैं अपेक्षा करूँगा कि मुख्यमंत्री जी शिक्षक हैं अत: प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है उस स्तर को सुधारने के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही करेंगे और इस प्रदेश में नया संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राम इकबाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा जैसे अभूतपूर्व, अमूल्य विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, यह एक ऐसी समस्या है जो इस प्रदेश की ही नहीं दुनियां की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा के माध्यम से हम समाज का निर्माण करते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीयता को पैदा करते हैं, एक सच्चा इंसान पैदा करते हैं इसलिये जरूरी है कि उचित और उपयुक्त शिक्षा हमारी नई पीढी और बच्चों को मिलनी चाहिए। आज शिक्षा के नाम पर राजनेता राजनीति कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। मुझे भी बहुत दिनों तक शिक्षण संस्थाओं में काम करने का अनुभव रहा है। आज शिक्षण संस्थाओं का दुरूपयोग किया जा रहा है। आज हमारे युवाओं का प्रयोग अपने हित में करने के लिये राजनेता तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

ऐसे में इस सदन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सदन को इस विषय पर गम्भीर होना चाहिए। शिक्षा जैसे विषय पर बहस हो रही है और सदन अव्यवस्थित है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। हम किसी भी पार्टी में हो सकते हैं लेकिन हममे से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। जिस ढ़ग की व्यवस्था आज है। आज आप सुबह उठकर दौरा कर लें, इस सरकार के जमाने में हाई स्कूल या इण्टर के किसी कालेज में आप चले जायं तो 10 प्रतिशत ही अध्यापक उपस्थित रहते हैं। 10 प्रतिशत छात्र ही कालेज जाते हैं छात्र यह मानकर चलते हैं कि पढ़ने का औचित्य ही क्या है। हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने राष्ट्रीय नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर ली है स्वकेन्द्र प्रणाली बनाकर बोर्ड की परीक्षाओं में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। जब से यह स्वकेन्द्र प्रणाली लागू हुई है रिकार्ड टूट गया है सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहे हैं। पहले बोर्ड की परीक्षा में कोई दो-चार लड़का फर्स्ट आता था तो उनको देखने के लिए रिश्तेदार नातेदार आते थे। उन छात्रों की उस समय से शादी ब्याह की तैयारी चलने लगती थी। आज कोई बच्चा ऐसा नहीं है तो फर्स्ट क्लास से नीचे पास हो। इतनी प्रगती आपकी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में हुई है। आज कोई बच्चा सेकेण्ड थर्ड क्लास पास नहीं होता है। शिक्षा राज्य मंत्री बैठे हैं वे बतायेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? यह बहुत गम्भीर सवाल है। बहुत कम लोग बचे होंगे जिनके बेटा-बेटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में पढ़ते होंगे। हमने आपने तो अपने बच्चों को वहां से निकाल कर दूसरी जगह डाल दिया लेकिन समाज के किसान, मजदूर, ग्रामीण अंचल के बच्चों को हमने उस भट्ठी में झोंकने का काम किया जहां बच्चे चोर बनने की तैयारी करेंगे। जिस देश के नौजवान चोर बनने का प्रयास करेंगे उस देश का भविष्य असुरक्षित हो जायेगा। स्वामी विवेकानंद जी के बताये रास्तों पर बच्चों को चलना सिखाना है तो उन्हें सही शिक्षा देने की आवश्यकता है। मैं इस बात का जबरदस्त विरोधी हूँ कि शिक्षा संस्थाओं में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो। अबोध मासूम बच्चों को.....

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आज अच्छे नेताओं को इसमें लगाइये। आप राजनीति को बुरा कैसे कह सकते हैं? यह सदन राजनीतिज्ञों का है, पार्लियामेन्ट राजनीतिज्ञों की है। पूरा देश राजनीतिज्ञों का है। धार्मिक फैसले तक इस सदन में होते हैं। आप राजनीतिज्ञों को इतना बूरा मानकर क्यों चल रहे हैं। वी आर द बेस्ट परसन्स आफ द सोसाइटी। वी आर इलेक्टेड परसन्स आफ द सोसाइटी।

श्री राम इकबाल सिंह-

आप एक मिनिस्टर हैं। कितनी भारी संख्या में राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

रोकिये, इसको रोकिये।

श्री राम इकबाल सिंह-

जो एस0पी0 कल गिरफ्तारी के लिए घूमते थे उससे आज गेट खुलवाये जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बहस होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में यूनियन का चुनाव लड़ रहा था सेक्रेट्री शिप का, वहां के एक सीनियर से रिक्वेस्ट की थी। वह संयुक्त इलेक्शन यूनियन में हिस्सा नहीं लेते थे कहते थे, छात्रों का स्तर बहुत गिर गया है इसलिए यूनियन में हिस्सा नहीं लेंगे तब हमने कहा था कभी कोई जगह हवा के कम हो जाने से वह खाली नहीं रहती है वहां दूसरी हवा आ जायेगी। इस सदन में जनता से चुने हुए लोगों को आना है यह जनता पर आधारित है कि कैसे लोग चुनकर यहां आयें जो लोग चुनकर आयें वह मेहनत करें इसके लिए भले ही कुछ लोगों को राजनीति छोड़नी पड़े, समाज के समस्त बुरे लोगों का मुकाबला करें, बुरे लोगों को इस सदन में चुनकर न आने दें। यह तभी हो सकता है जबकि हम अपने ऊपर यह इल्जाम न आने दें। राजनीति करने वाले लोग और सदन में आने वाले लोग प्रदेश और देश को चलाने वाले लोग इस देश की क्रीम हैं, क्रीम अच्छी आनी चाहिए सड़ी हुई क्रम नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस सदन में बैठने वाले लोगों की उपेक्षा न करें कुछ अच्छे भी हैं, जो बुरे हैं उनको उससे छांटकर निकालना है यह मेरा सुझाव है।

एक सदस्य-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी की जगह अभी नरेश चन्द्र अग्रवाल जी बैठे थे सदन में पान खाकर बैठे हैं और वहीं नीचे थूक रहे थे जबकि पूरे विधान सभा में मना है...

श्री अधिष्ठाता-

जाकर देख लें ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था पता ही नहीं लग रहा था कि आप पब्लिक मीटिंग को ऐड्रेस कर रहे हैं या सदन को ऐड्रेस कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर बहस बहुत जनरल हो गयी है राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में आलोचना कोई करें तो हम लोग भी खुश होते हैं एक दृष्टिकोण बनता जा रहा है हम विपक्ष में बैठें तो कहेंगे कि बड़ा मंत्रिमण्डल है सरकार पर बड़ा खर्चा हो रहा है पब्लिसीटी के लिए कहेंगे। शिक्षा के स्तर में सुधार करना है शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो शिक्षक को कहा जाता है क्योंकि शिक्षा प्रभावित होती है। नरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं हमारे जनपद के हैं हमें सब विन्दुओं पर विचार करना चाहिए खाली आलोचना के लिए वह न करें, कहा जाता है शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है सरकारी स्कूल या किसी और स्कूल के यदि राजनीतिक लोग प्रबन्धक होते हैं तो वह शिक्षा का प्रबन्धन अच्छा ही करेंगे, खराब नहीं करेंगे हम राजनीतिक व्यक्ति योग्य होंगे। अभी विनोद तिवारी जी शिक्षकों की भर्ती पर बोल रहे थे। वह सब बिंदुओं को लाये अगर कोई माइनस प्वाइंट.है तो अच्छा फार्मूला निकालेंगे। सरकार का समर्थन करना हमारा कर्तव्य नहीं है। सरकार में बैठकर जो चीज सही हैं उस पर डिस्कशन हो तो ज्यादा अच्छा होगा अच्छा रिजल्ट आयेगा जो सुझाव दिये मात्र यह राजनीतिकरण शब्द हर चीज में जोड़ दिया नेता को गाली के रूप में कहा जाये यह सही नहीं है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी नेता कहलाते हैं इसलिए नेता शब्द बुरा नहीं लगता है नेता शब्द की गरिमा है, वरना हम अपने को नेता न कहलवायें। हम चाहते हैं कि हेल्दी डिस्कशन हो जिससे हम उसे स्वीकार कर इस स्थिति को ठीक करें। सिर्फ हम अधिकारियों को बचाने के लिए नहीं बैठे हैं, सुधार के लिए हैं, हम जनता में अच्छा सन्देश देना चाहते हैं। जैसा आजम खां जी ने कहा, मैं भी स्टूडेण्ट रहा हूँ, कालेज का प्रबन्धक भी हूँ और चाहता हूँ कि इस पर भी क्रिटिसाइज करिये कि प्रबन्धकों के अधिकारों में पूरी तरह कटौती कर दी गयी है। इस पर भी तो बोले होते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री राम इकबाल सिंह-

मुझे खुशी है कि शिक्षा पर लगता है, थोड़ा आप सोचने लगे हैं। श्रीमन् जो मैं बात रख रहा था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, वह सही है लेकिन बुराई काफी दूर तक फैल गयी है। अगर एक अच्छा वातावरण नहीं बन पायेगा तो सुधार कैसे होगा? जब मैं यूनीवर्सिटी से राजनीति में गया तो एक प्रिंसिपल साहब खुद मेरे से पैरवी किये कि सेन्टर डलवा दीजिये फिर मैंने पूछा कि क्या इन्ट्रेस्ट है, पता चला कि एक सेन्टर पर 10 लाख 15 लाख रूपये मिल रहा है। मैंने कहा कि यह पाप मैं कर नहीं पाया, मुझे राय क्यों दी? मान्यवर, बच्चे किसी के भी हों, अगर एक बच्चा भी ठीक हो गया तो वह लाल बहादुर शास्त्री हो जायेगा। कठिन, नियंत्रण, कठिन अनुशासन का जो समय होता है, अगर उसे हम लापरवाह बना देंगे तो इससे राजनैतिक लाभ तो मिल सकता है, इस देश के नौजवान जिधर झुकते हैं, उसी की सरकार बनती है। जब हम लोग पढ़ते थे बी0ए0 में, पंखा नहीं था, अधिष्ठाता जी जानते हैं। हम लोग 60 रूपये महीने पर किराये में ले आते थे। यदि सही ढ़ग से विकास नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। केवल हाई-वे बना देने से विकास नहीं होगा। जब तक हम अच्छे इन्सान नहीं बना पायेंगे, अच्छे

अनुशासित छात्र नहीं बना पायेंगे, तब तक विकास नहीं होगा। आज पूरे का पूरा हमला है पश्चिमीकरण का, आधुनिका की हवा चला दी गयी है, पूरी युवा पीढ़ी खतरे में है तो इससे राज्य और देश खतरे में पड़ गया है। मूल्य ओरिएण्टेड चीजों को छोड़ें नहीं, कड़ाई के साथ क्लासेस होनी चाहिए।

मान्यवर, शिक्षा माफियाओं को रैकेट हो गया है, 5 हजार, 1 हजार, 3 हजार रूपये ब्लैक बोर्ड पर लिखने के और प्रिंसिपल के घर में लिखकर जमा होने के अलग रेट हैं। चिट पहुँचाने वाले के अलग रेट हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा कि 7 वर्ष का एक बच्चा अपने बड़े भाई को चिट पहुँचा रहा था, कितने अफसोस की बात है। हम एम0पी, एम0एल0ए0 तो हो सकते हैं लेकिन ऐसी परिस्थितियों के कारण जो इतिहास लिखा जायेगा वह कलंकित होगा, गौरवान्वित नहीं हो सकता है। एक बच्चा यदि अपने घर जाकर यह कहे कि बाबू जी व्यवस्था करा दीजिए और बाबू जी इसके लिए चक्कर लगाते हैं तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप पास कराने की अनिवार्यता कर दीजिए कि कोई फेल नहीं होगा। मान्यवर, दो महीने प्रशासन, गार्जियन, स्टूडेण्ट अपना काम बन्द रखेंगे। हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो 66 प्रतिशत अटेण्डेंस होती थी। अध्यापक कापी दे देते थे और कहते थे कि घर से लिखकर लाना। लेकिन घर में भी कोई नकल नहीं करता था। श्री भरत सिंह जी चले गये। श्री भरत सिंह जी लॉ की पढ़ाई इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी अटेण्डेंस 66 प्रतिशत हुई ही नहीं। आज की स्थिति यह है कि आज छात्र कट्टा, पिस्तौल लेकर टीचरों को डराते हैं। टीचरों के आचरण में भी गिरावट आई है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसको सुधारे। कालेजों में पढ़ने वाले छात्र डाक्टर, इंजीनियर, व्यवसाई, अच्छे किसान बन सकें इसके लिए जरूरी है कि अच्छी शिक्षा हो। मान्यवर, एक बात और कि आज प्रवेश की मारामारी हो गयी है। लाखों पढ़े लिखे छात्र सड़कों पर हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वह तो एडमीशन नहीं पाते हैं, गरीब एडमीशन नहीं पाते हैं लेकिन जो शहर में रहते हैं, अमीर हैं वह 3-4 हजार रूपये देकर पढ़ रहे हैं। जो लोग रिटायर हो गये हैं वह यही शहर में बस जाते हैं। गांव के सम्पन्न लोग शहरों में बस रहे हैं। गांवों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था न होने से गांवों का नुकसान हो रहा है। गांवों की पोजीशन अगर ठीक करनी है तो इस व्यवस्था को सही करना होगा। इधर आप जो सांध्यकालीन कक्षाएं चला रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन इसमें मेरा एक अनुरोध यह है कि इन सांध्यकालीन कक्षाओं में जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको भी घण्टा-दो घण्टा पढ़ाने का मौका दिया जाये तो इससे उनको रोजगार भी मिलेगा। आप सांध्यकालीन कक्षाएं चलायें लेकिन ध्यान रखें कि युवाओं के द्वारा आप राजनीति न करें। उनका भविष्य बनाने के लिए आप गम्भीरता से उपाय करें नहीं तो यू0पी0 का भविष्य ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, और मेरा विशेष आभार होगा जब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे।

*श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज स्कूलों में एडमीशन नहीं हो रहे हैं। जिन बच्चों के मां-बाप नहीं हैं। जो बच्चे आवारा घूम रहे हैं, नंगे हैं, जिनके पास नेकर नहीं है। होटल पर काम कर रहे हैं। भूखे हैं....

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, आवारा शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी इधर से आवाज आई कि यह शब्द कार्यवाही में शामिल न किया जाये। मान्यवर, यह शब्द कार्रवाही में शामिल होगा, और यह आवारा शब्द गुण्डे अपराधियों के लिए नहीं है। आवारा शब्द तो बहुत अच्छा है। मिजाज लखनवी ने इस पूरी नज्म लिखी है कि-

ऐ गये दिल क्या करूँ ऐ वहशते दिल क्या करूँ

रात हंस हंस कर ये कहती है कि वीराने में चल

फिर किसी शहनाजे लालारूख के काशाने में चल

ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल

ऐ गये दिल क्या करूँ

ऐ बहशते दिल क्या करूँ।

मान्यवर, मेरी राय है कि आवारा शब्द को कार्यवाही से न निकाला जाय।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो गरीब बच्चा है वह स्कूल जाता नहीं है, वह होटल में पहुँच जाता है और कहता है कि एक रोटी का टुकड़ा दे दो और होटल वाला उसे डंडा मारकर भगा देता है। हमसे भी कहता है कि रोटी का टुकड़ा दे दो केवल उसका दोष यह है कि वह रोटी मांग रहा है, लेकिन हम भी उसे धक्का मारकर भगा देते हैं। इस तरह से जब वह बड़ा हो जाता है तो वह आई0एस0आई0 का एजेन्ट बन जाता है। उसने स्कूल नहीं देखा, शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो क्या होगा? मान्यवर, आज प्राइमरी स्कूल की स्थिति क्या है। अध्यापक गांव में रहते हैं या अगर ट्रांसफर हुआ तो पास के गांव में करा लेते हैं। सुबह नौ बजे तक हल चलाया, खेतों में काम किया और उसके बाद थक गये। स्कूल में पहुँचे तो एक बच्चे से कहा कि गिनती लिख और दूसरे से कहा कि इमला बोल और स्वयं खराटा मारकर सो रहे। बच्चे मास्टर जी-मास्टर जी कहते रहे। कभी मास्टर जी मिठाई कहते हैं। आज प्राइमरी स्कूलों का स्तर गिर गया है। जूनियर हाईस्कूलों में गणित के अध्यापक हैं नहीं। अध्यापक इनके शहर के किनारे रहते हैं। वह गांवों में नहीं रहते हैं और अपने बच्चों को कान्वेंट में पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। आज जो स्कूल के प्रबन्धक हैं उसमें गुटबाजी है। उसके आधार पर अध्यापक गुटों में बंटे हैं इसलिए शिक्षण कार्य में बाधा हो रही है। बिलिडग्स फीस का प्रचलन हो रहा है। इससे यह होगा कि गरीब बच्चे पढ़ने से रह जायेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पहले बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लालटेन की रोशनी में पढ़ा देता था। आज बड़ों का सम्मान घट गया है, गुरूओं का सम्मान घट गया है। पहले छोटेपन में माता पिता अपने बच्चों को गोंद में बिठाकर सिखाते थे कि यह तेरे चाचा हैं, यह नाना हैं, यह नानी हैं, यह बाबा हैं, यह दादी हैं, यह ताऊ हैं इनको नमस्ते करो, राम-राम करो, असलाम वाले कुम करो, खुदा हाफिज करो लेकिन आज इन चीजों का अभाव हो गया है। इसलिए शिक्षा का स्तर घट रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में जो डिप्टी जाते थे तो बच्चे अपने नाखून काटकर जाते थे, नेकर अगर फटी है तो सिलवाकर जाते थे, कपड़े ठीक से प्रेस करवाकर जाते थे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जहां पर केन्द्र है यह लोग वहीं तक जाते हैं, स्कूलों में नहीं जाते हैं, जिससे छात्रों में अनुशासन नहीं बन पा रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं जो हाईस्कूल में हैं, हमारे दद्दू प्रसाद जी नहीं हैं, इनके दल वाले पहचान बना दिये हैं। इनके छात्र राजनीति में आ

गये हैं। चाहे स्कूलों में हो, चाहे दावत में हो सब जगह राजनीति करेंगे। अगर इनकी नौकरी नहीं लग रही है तो यह चर्चा करें, लेकिन यह पढ़ेंगे नहीं तो इनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। जो व्यक्ति आई0ए0एस0 या पी0सी0एस0 बनेगा वह कैसे बनेगा। अगर वह नकल नहीं करेगा तो कैसे पास होगा। कैसे इस देश का विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे यहां राजकीय इण्टर कालेज, बुलन्दशहर में वहां के प्राचार्य हैं। मान्यवर, अभी एक मिनट चाहूँगा, मान्यवर, यहां का राजकीय कालेज सुधर गया है, हमारे जिले बुलन्दशहर के जज का बच्चा भी उसमें पढ़ रहा है और जिले के तमाम अधिकारियों के बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं। मान्यवर, हमारे यहां राजकीय इण्टर कालेज शिकारपुर है, उसकी हालत बड़ी जर्जर है, उसको ठीक कराया जाये, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

*श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे डा0 विनोद तिवारी द्वारा रखे हुए प्रस्ताव पर छात्रों की प्रवेश समस्या और शिक्षा के गिरते स्तर पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मान्यवर, प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की जो समस्या है यह अकारण नहीं हुई है अभी बड़ी चर्चा हो रही थी हाऊस में कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है, मान्यवर मैं सहमत हूँ कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में शिक्षा और ज्ञान का भी विकास बड़ी तेजी से हुआ है और इतनी तेजी से हुआ कि हाईस्कूल और इण्टर में अधिकांश छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अगर इसी तेजी से ज्ञान का विकास होता रहा तो अध्यापक और विद्यार्थी का स्तर एक बराबर हो जायेगा, न कोई पूछने वाला होगा और न कोई उसका उत्तर देने वाला होगा। मान्यवर, यह परिणाम स्ववे न्द्र प्रणाली की वजह है, छात्रों को नकल कराई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष-

जो विषय आ चुके हैं, उनको छोड़ कर बोलें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, यहां सरकार ने फरमाया कि कक्षा एक से लेकर उच्च कक्षा तक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है कि अनिवार्य रूप से पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी और जो सवर्ण आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी छात्रवृत्ति दी जायेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अभी तक सवर्णों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं किया गया है, एक घोषणा उन्होंने यह की है कि जो छात्रा इण्टरमीडिएट पास करेगी उसको 20 हजार रूपये पेन्शन देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पेन्शन नहीं दे रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह-

पेन्शन नहीं अनुदान दिया जायेगा, लेकिन मान्यवर इस व्यवस्था के तहत अभी तक प्रदेश में किसी भी छात्रा को 20 हजार रूपये का अनुदान नहीं दिया गया। यह केवल घोषणा मात्र है। यहां पर जो सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकगण बैठे हुए हैं उनमें से अधिकांश के बच्चे तो कान्वेण्ट में पढ़ते होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी है, जिनको इस उम्र में आराम करने की आवश्यकता है उनसे कहा जाता है, कि अभी दो साल और पढ़ाओ, इस उम्र में वह छात्रों को क्या शिक्षा दे पायेंगे। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अध्यापक नहीं हैं जैसे देवकोला, राममेठा आदि।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, आंवला में राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज है उसमें विज्ञान भवन बना हुआ है लेकिन छात्रों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। वहां बी0एस0सी0 की कक्षायें प्रारम्भ करा दी जायें। इस प्रकार से शिक्षा का जो माहौल है वह वहां बन नहीं पा रहा है। मैं एक बार पुन: आंवला डिग्री कालेज में बी0एस0सी0 की कक्षायें संचालित करने पर बल देता हूँ और डा0 विनोद तिवारी जी ने छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने सम्बन्धी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, डा0 विनोद तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, बहुत दिनों से इस सदन में चर्चा चल रही थी कि प्रदेश के डिग्री कालेजों में और इण्टर कालेजों में सीटें बढ़ायी जा रही हैं। मेरा कहना है कि लखनऊ में जितने भी डिग्री कालेज हैं उनमें केवल स्ववित्त पोषित सीटें ही बढ़ायी गयी हैं और उन पर मैनेजमेन्ट के लोग मनमाने ढंग से 7 हजार, 8 हजार तथा 9 हजार रूपये लेकर बच्चों का एडमीशन कर रहे हैं और जो बच्चे गरीब परिवार के हैं वे उसमें एडमीशन नहीं ले पा रहे हैं यह जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वे उन गरीब बच्चों की आंखों के आंसू को पोछने का काम करें, नही तो उसमें उन गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जायेंगे। मान्यवर, मैं लखनऊ में कई डिग्री कालेज से सम्बद्ध हूँ मैं कई कालेजों में गया हूँ। वहां कई समस्यायें हैं जो सेल्फ फाइनेन्स सीटों पर प्रवेश हुए हैं। वहां वे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं क्यों कि स्थान की कमी है और उनका कहना है कि हमारे पास ऐसे ही प्रवेश लेकर अधिक छात्र आ गये हैं हम उन लोगों को कैसे बिठायेंगे, उन लोगों के लिए अलग से अधिक व्यवस्था होनी चाहिए। जो सीटें बढ़ायी गयीं हैं उनमें उन बच्चों के बैठने के लिए स्थान नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। मान्यवर, लखनऊ के अन्दर कई राजकीय कन्या महाविद्यालय हैं, मेरी जानकारी है कि वहां पर अभी तक शासन के द्वारा बढ़ायी गयी सीटों का आदेश नहीं गया है और सीटें नहीं बढ़ायी गयी हैं। मान्यवर, यह सरकार बार-बार कह रही है कि हमने डिग्री कालेजों में कई नई कक्षाओं की मान्यता दी है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में राजाजीपुरम में राजकीय कन्या महाविद्यालय है जो पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर बना है वहां पर मेरे लगातार प्रयास करने के बाद भी अभी तक बी0एस0सी0 की कक्षायें प्रारम्भ करने की मान्यता नहीं दी गयी है। मेरी मांग है कि वह मान्यता दी जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप लोग बैठिये, मैंने विनोद तिवारी जी को बुला दिया है। मा0 विनोद तिवारी जी के अलावा किसी की बात नहीं सुनी जायेगी।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री उपाध्यक्ष-

कुछ लिखा नहीं जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बोल चुका हूँ मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी से इसका जवाब दिलवाने की कृपा करें।

*उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य डा0 विनोद तिवारी ने नियम 103 के अन्तर्गत यहां पर चर्चा की शुरूआत किया, जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे और जिन माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र के कालेज की समस्या के बारे में या और किसी बारे में सुझाव रखे हैं या उन्होंने लिखकर दिया है निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। अगर उनके यहां दिक्कत है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। छात्रों के प्रवेश की समस्या को लेकर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और सरकार का स्पष्ट जवाब भी आ चुका है। जितनी यहां पर चर्चा हो रही है हम समझते हैं कि कहीं उतनी प्रवेश की समस्या नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल सदन में, इसके पहले हमने, सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा। यह बात सही है कि बड़ी संख्या में छात्र उत्तीर्ण हुए हैं इस बार, लेकिन अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो सरकार का संकल्प है हम सबको उच्च शिक्षा में जितने भी लोग प्रवेश लेना चाहते हैं, हम प्रवेश करायेंगे और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे। यहां एक बात जो बार-बार कही जानी है कि स्वकेन्द्र प्रणाली की वजह से छात्र बड़ी संख्या में उत्तीर्ण हुए हैं। मान्यवर, आपके घरों के भी बच्चे पढ़ते होंगे और हमारे घरों के भी बच्चे पढ़ते होंगे और अधिकांश बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, सीबीएससी बोर्ड है, और पब्लिक स्कूलों में सब स्वकेन्द्र होता है लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि जो भी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां स्वकेन्द्र है और वहां पर जो बच्चे पास हो रहे हैं वह नकल करके बच्चे पास हो रहे हैं वहां नहीं होना चाहिए। जो गांव के गरीब, दूर के देहात के क्षेत्र के जो बच्चे हैं और सच्चाई है, उनके दुख दर्द को किसी ने समझने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समझने का काम किया है। यह सही है कि उनको इतना तनाव रहता था, 100-100 किमी0 दूर जिले के दूसरे कोने में परीक्षा केन्द्र में भेज दिया जाता था और वहां पर न रहने की जगह न दूसरी कोई सुविधा। मार्च और अप्रैल के महीने में कुछ बच्चे तो टूटी मड़ई में अगर उनको मकान में जगह नहीं मिली, तो उसी के नीचे या पेड़ के नीचे रहकर लालटेन जलाकर परीक्षा देने का काम किया है। इस तनाव की वजह से अपनी परीक्षा अच्छी तरह वह दे भी नहीं पाते थे। उन गरीबों के दर्द को क्या किसी ने समझने का काम किया है, उन छात्रों की पीड़ा को समझने का काम हमारी सरकार ने किया है और यह भी सही है कि सभी बच्चे पढ़कर, मेहनत करके पास हुए हैं। यह आरोप बेबुनियाद है कि नकल करके बच्चे पास हुए हैं।

मान्यवर, अब ललक बढ़ी है, शिक्षा के प्रति। पिछले दिनों आप भी सरकार में बैठे हुए थे, आपने शिक्षा को कितना मंहगा कर दिया था। शिक्षा को केवल चंद बड़े लोगों के हाथ में सीमित करने का काम आपने किया था। संविधान में 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है, लेकिन हमारी सरकार ने इण्टर तक की शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छात्रों को नि:शुल्क देने की व्यवस्था की है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को सदन में बधाई देना चाहते हैं। इसी तरह छात्राओं के लिए बी0ए0 तक की शिक्षा नि:शुल्क देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार के जमाने में उच्च शिक्षा में कितनी ज्यादा फीस ली जाती थी, कभी आपने उसको कम करने के बारे में सोचने का काम किया। हमारी सरकार ने उस बढ़ी हुई फीस को 95 के स्तर पर लाने का काम किया है और यह तय किया है कि 1995 में जितनी फीस ली जाती थी, वही फीस आज छात्रों से ली जायेगी। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में यह संदेश गया है कि यह सरकार अब गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, के लिए काम कर रही है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

आप यह बता दें कि पहले क्या फीस ली जा रही थी और आज क्या ली जा रही है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

केवल ट्यूशन फीस कम की गयी है, बाकी सब तो वहीं ली जा रही है?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

जो फीस कम की गयी है, वह ट्यूशन फीस, महँगाई फीस और प्रयोगशाला फीस, इनको कम किया गया है। यह शासनादेश है और वह मैं आपको दे दूँगा। माननीय बाजपेयी जी कह रहे थे, वह सही सुझाव दे रहे थे, जितने भी शासनादेश इस सम्बन्ध में जारी किये गये हैं, वह मैं उनको उपलब्ध करवा दूँगा।

प्रदेश के छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने की चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

चर्चा का समय पूरा हो चुका है, कृपया समय बढ़वा लें। संसदीय कार्य मंत्री इसका प्रस्ताव रख दें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चर्चा के लिए 10 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

(क्रमागत)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मैं इसीलिए कह रहा था कि सरकार ने जो प्रयास किया है 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का जो सवाल है, पिछले शैक्षिक सत्र 2003-2004 में इसके लिए सांध्यकालीन कक्षाएं चलाई गई थीं और उनको बन्द कर दिया गया था इसीलिए सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी और हमारी सरकार ने 22 जुलाई को शैक्षिक सत्र 2004-2005 के लिए 25 प्रतिशत सीटों को बढ़ाने के लिए शासनादेश जारी किया, मैं उसकी भी कापी आपको दे दूँगा। और उस तरह से करीब सवा लाख छात्रों को सभी विद्यालयों में प्रवेश मिल पायेगा। इस वर्ष हमने ढ़ौर 800 सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम के तहत मान्यता दी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह जो सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम है, इसमें क्या गरीब छात्र पढ़ सकेंगे?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

बिना किसी भेदभाव के जिस किसी ने भी महाविद्यालय खोलने के लिए अप्लाई किया और उन्होंने मानक पूरे किये, सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबको मान्यता देने का काम किया है। इस प्रकार से करीब 30-40 हजार अतिरिक्त बच्चों को प्रवेश मिल जायेगा। इसके अलावा हमने बताया कि सांध्यकालीन कक्षाओं को चलाने का भी निर्णय लिया जा चुका है। सांध्यकालीन कक्षाएं सभी राजकीय महाविद्यालयों, अशासकी महाविद्यालयों में चलाई जायेंगी और विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध किया गया है कि वह भी इन कक्षाओं को चलायें। इस तरह से कहीं भी प्रवेश की समस्या नहीं है और अगर कहीं है तो मुझे बतायें मैं करा दूँगा। सरकार की प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो छात्रसंघ के चुनाव होते थे उनको बहाल करने का काम हमारी सरकार ने किया है छात्रसंघ के चुनाव एक तरह से नौजवानों के लिए राजनीति की पौधशाला है, नर्सरी है। आज हिन्दुस्तान के 100 से अधिक नेता जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में हैं, वह छात्रसंघों से ही निकले हुए हैं, जो देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। आपकी भी पार्टी में हैं और हमारी भी पार्टी में हैं। यह जो आजम साहब हैं वह स्वयं युनिवर्सिटी से निकले हैं। छात्रसंघ की परिकल्पना एक स्वस्थ राजनीति के लिए की गयी थी, इसके चुनाव के लिए आचार संहिता बनी हुई है, उसमें किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होगा, अपराधी लोग नहीं होंगे, उसी के तहत चुनाव कराया जा रहा है, यह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। आज जो राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसके लिए सामूहिक रूप से सभी की जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा आपकी सरकार में अपराधियों का प्रवेश हुआ है और मंत्री जैसे बड़े-बड़े पदों पर नवाजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है। मान्यवर, आपकी सरकार में अपराधियों का असली प्रवेश और मंत्रिपद से नवाजने का काम हुआ है इसलिए आपको अपनी गिरेवान में झाँककर देखना चाहिए। लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो रहा है उसको सभी लोग मिलकर रोकने का काम करें जिससे अपराधियों का प्रवेश न हो नहीं तो आने वाले दिनों में राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ पायेंगे।

जहां तक स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्कूलों का सवाल आया। मैं बताना चाहता हूँ कि असेवित ब्लाकों के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट कालेज और गवर्नमेण्ट डिग्री कालेज खोलने की भी व्यवस्था है। सरकार ने 20 लाख रूपये इण्टरमीडिएट के लिए और 30 लाख रूपये डिग्री कालेज खोलने के लिए धन का प्राविधान कर रखा है। इस प्रकार 2 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का प्राविधान है। जहां तक प्रवेश समस्या की बात है, यह सरकार पूरी तरह से सजग है, कहीं पर भी प्रवेश की कोई समस्या नहीं है, केवल शोर-शराबा ज्यादा है। शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने का लगातार प्रयास जारी है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात आयी तथा यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है। मेरी जानकारी है कि अभी आपकी बात डिग्री कालेज भी नहीं माने हैं। 25 प्रतिशत तो आपके आदेश के हिसाब से सीट बढ़ गयी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा जहाँ 100 छात्र बैठते थे, अब 125 छात्र बैठेंगे तो क्या उनके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था सरकार करेगी। सेल्फ फाइनेन्स कोर्सेस की बात आयी तथा यह भी कहा गया कि शुल्क कम कर दिया है तो मैं यह जानना चाहूँगा कि उसके शुल्क क्या रहेंगे?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, जो सेल्फ फाइनेन्स स्कीम के तहत है उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फीस का स्ट्रक्चर तय करने के लिए अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है वह सारी चीजों को देखेगी और उसके अनुसार तय करेगी। लेकिन सरकार इस बात पर सजग है और फीस के नाम पर जो मनमानी की जाती है वह नहीं होने देगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि प्रवेश के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जितने शासनादेश जारी किये गये हैं 'उनको पिजन होल' में उपलब्ध करा दें जिससे माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में कम्पलायन्स को देख लेंगे और कोई शिकायत होगी तो बता देंगे। दूसरे जो अतिरिक्त सेक्शन स्वीकृति की मांग आ रही है तो मेरा यह कहना है कि डिग्री कालेजों के प्रकरण में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को अधिकार दे दें और वह अस्थायी आधार पर तत्काल मान्यता दे दें और इण्टरमीडिएट कालेजों के लिए डी0आई0ओ0एस0 को अधिकार दे दें जिससे दिक्कत न हो।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, अब इसके बाद मद संख्या-36 आयेगी। मेरा एक निवेदन था कि मद संख्या-37 को पहले ले लिया जाये क्योंकि श्री नरेश अग्रवाल जी को एक मीटिंग में जाना है ताकि वह जवाब देकर वह जा सके।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जो सायंकालीन कक्षाएं खोलने की बात है, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में इनके प्रवेश के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक एवं डी0आई0ओ0एस0 को निर्देश चले जायं जिससे कि छात्रों का प्रवेश हो सके।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मैं इसको देखवा लूँगा।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो कृषक महाविद्यालय हैं उसको स्थाई मान्यता देने के लिए मेरी मांग है। दूसरे शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष-

क्या अपना प्रस्ताव आप वापस लेते हैं?

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने प्रवेश समस्या तथा शिक्षा के गिरते स्तर के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूँ और उस पर जितने माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जिन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है, उनका जवाब दिलवा दें।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, यह लिखकर दे दें तो हम इसको दिखवा लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायं," विषयक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(मद संख्या-37 पुकारे जाने पर)

राष्ट्रीय सहारा टी0वी0 चैनल तथा दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' के विरुद्ध, गलत सूचना प्रसारित व प्रकाशित किये जाने के कारण, विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, दो सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूँ जिसको लिखकर दे दूंगा। मान्यवर, राष्ट्रीय चैनल "सहारा" बराबर यह प्रसारित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का आज अन्तिम उपवेशन है, यानी कल विधान सभा की बैठक नहीं है। उनके इस प्रसारण से प्रदेश के जनमानस में विधान सभा के बारे में भ्रम फैला है। मैं उनके विरुद्ध नियम-63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूँ। दूसरी मेरी विशेषाधिकार की सूचना यह है कि दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के 5 अगस्त के अंक में लिखा है कि माननीय सदस्यों को कुछ भी पूछने की आजादी है। मान्यवर, माननीय सदस्य सदन में चुनकर आते हैं और वह प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रश्नों के निर्धारित करने और तय करने की प्रक्रिया विधान सभा में है। जब प्रश्नों का वर्गीकरण हो जाता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वह सरकार को भेज दिये जाते हैं और सरकार द्वारा वह उत्तरित होते हैं। 5 अगस्त, के "हिन्दुस्तान" में है कि माननीय विधायकों को कुछ भी पूछने की आजादी है। यह भी लिखा है कि विधायक, मंत्री और अधिकारी मिलकर जनता के धन और समय का अपव्यय करते हैं। मान्यवर, यह सदन के भीतर जो कार्यवाही होती है उसके सम्बन्ध में लिखा गया है। प्रश्न पूछने का अधिकार, विधान सभा सचिवालय द्वारा कार्य संचालन नियमावली प्रक्रिया के अन्तर्गत उसको स्वीकृत करने का अधिकार और शासन को भेजने का अधिकार है। यह सदन का विशेषाधिकार है। मैं इन दोनों प्रकरणों की मौखित रूप से आपको सूचना दे रहा हूँ लिखित रूप से मैं बाद में दे दूँगा।

श्री उपाध्यक्ष-

आप लिखकर भेज दीजिए। इसको दिखवा लिया जायगा।

आगरा के ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में अपूर्ण विद्युत कार्यों को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल वर्मा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

*श्री छोटे लाल वर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आगरा की बिजली की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल होने के कारण आगरा जनपद के लगे हुए आस पास के जिलों में 45 कि0मी0 की दूरी पर जहां भी स्मारक बने हैं उनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्पूर्ण ईट भट्टे एवं फैक्ट्रियां हैं उनको बन्द कर दिया गया उसका कड़ाई से पालन किया गया। आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा जनपद के उद्योग धन्धे चौपट हो गये हैं आज वहां पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आगरा से 45 कि0मी0 की दूरी पर प्रदूषण मुक्त का एक आदेश दिया गया था कि ताजमहल से 20 कि0मी0 की परिधि में जितने गांव हैं चाहें राजस्व गांव हों या मजरे हों वहां विद्युतीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इसी सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 39 करोड़ के समतुल्य की योजना आगरा जनपद में बनायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वहां पर 29 करोड़ रू0 के लगभग कार्य पूर्ण करा दिये गये। लेकिन बगल के गांवों में आज भी स्थिति सोचनीय बनी हुई है। बगल के गांव आज भी अंधेरे में है। आगरा जनपद के जितने किसान थे उनके सारे धन्धे बन्द करने के बाद उनको बिजली के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गयी वहां के लोगों को अन्य जगह से सामान लाना पड़ता है किसानों की जो फसल है उसके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था नहीं की है। अलग से बिजली देने की कोई नीति निर्धारित नहीं की है जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। इसी बीच में सरकार ने जो काम कराये हैं 29 करोड़ में कुछ काम ऐसे हैं जो हमारी सरकार में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने शासनादेश लागू किया था जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उपर्युक्त विषय महाप्रबन्धक पारेषण परिकल्पना, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ के पत्र सं0 566-म0प्र0पारे0 परि0, दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के सन्दर्भ में रिट पिटीशन संख्या 13381/84-एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासनादेश सं0यू0ओ0 10/55-पर्या-2001-33पी/98 टी0सी0 ऊर्जा-1, दिनांक 15 मार्च, 2001 तथा संख्या:2197/55-पर्या-2001-33(पी)/98 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2001 के अनुक्रम में आगरा स्थित 'ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार हेतु विद्युत कार्यों सम्बन्धी प्रायोजना' के अन्तर्गत रू0 9,98,50,000/- (रूपये नौ करोड़ अट्ठानवे लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जितनी धनराशि वर्ष 2001 में शासनादेश द्वारा जारी हुई और अवमुक्त की गयी उससे पहले 29 करोड़ के धन से कार्य कराया गया और उस जिज्ञासा से मैंने कहा कि 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है सिर्फ 30 प्रतिशत कार्य अधूरा पड़ा है। 30 प्रतिशत में भी हालत यह है कि किसी गांव के अन्दर खम्भे खड़े हैं तो कहीं खम्बे और तार लगा दिये गये हैं। कहीं पर भी काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है। यह सरकार का पैसा वेस्टेज हुआ है और जनता को कोई फायदा नहीं जा रहा है। बड़ी बुरी स्थिति है। गांवों में बिजली नहीं है। मजरों का विद्युतीकरण हो गया है लेकिन जो बड़े गांव हैं, राजस्व वाले गांव हैं वहां विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है ऐसे में वहां के किसानों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह सरकार जो किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बड़ी हितैषी है, इनके प्रति बड़ी चिन्तित है तो माननीय मुख्य मंत्री जी जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, किसानों के प्रति बड़ी उदारता है तो उनके लिए विद्युतीकरण की व्यवस्था करें। मान्यवर, इसी के साथ मैं यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने नियम-300 में लगातार प्रश्न उठाया है विद्युत विभाग से सम्बन्धित कि सम्पूर्ण प्रदेश में इससे पहले अन्य सरकारों द्वारा किसानों को सब्सिडी सिंचाई के लिए ट्यूबवैल लगाने के दी जाती थी। आगरा में 290 किसान ऐसे हैं जिन्होंने मई, 2002 से पहले अपने ट्यूबवल के कनेक्शन के लिए सरकार के नियमों, नीतियों और निर्देशों के अनुसार लगभग 12-12 हजार रूपये जमा कर दिये हैं लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उन किसानों को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में यह स्थिति होगी। पैसा जमा करने के बाद भी कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। सारे किसानों के सामने एक धर्म संकट पैदा हो गया है। उन्होंने किसी तरह से कर्ज लेकर अपने खेत गिरवी रखकर किसी तरह से पैसा जमा किया लेकिन यह सरकार जो किसानों की सरकार है, किसानों के हित की सरकार है, उनकी चिन्ता करने वाली सरकार है,

उनके सोच की सरकार है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे किसानों के लिए आप सदन में घोषणा करें कि जिन किसानों ने अपने ट्यूबवैल लगाने की लिए पैसा जमा किया है उनको कनेक्शन दिया जायेगा। सरकार ने 13 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, मुझे खुशी है कि आगरा भी उसमें है। आगरा में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं अगर किसानों को ट्यूबवैल के लिए कनेक्शन दे दिये जायं तो वे अपने संसाधनों से खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसमें आगे आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आगरा की पर्यावरणीय सुरक्षा की व्यवस्था हेतु ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। ताजमहल का विश्व में अपना स्थान है। इसकी पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु करोड़ों रूपये वर्ष में खर्च किये जाते हैं। कभी धुलाई हो रही है जो मिट्टी है जिसे लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी, कभी उसको ताजमहल पर पोता जाता है, कभी साबुन और सर्फ से धोया जा रहा है लेकिन जब तक प्रदूषण की व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक सरकार चाहे किसी से धुलवा दे ताजमहल साफ नहीं हो सकता है। 200 मीटर के एरिये में आगरा से आने वाले वाहन जो सड़क के किनारे से गुजरते हैं, जमुना के किनारे होकर पूरा ट्रैफिक जाता है, फिर कैसे ताजमहल प्रदूषण मुक्त रह सकता है? मान्यवर, एन0एस0 3 और एन0एस0 2 का करोड़ों का मार्ग बना है इसकी वजह से ताजमहल को प्रदूषण झेलना पड़ता है अगर यहां पर पुल बन जाता है तो जो ताजमहल पर करोड़ों रूपया खर्चा किया जा रहा है वह बच सकता है। ताजमहल प्रदूषण से बच सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वहां बिजली कनेक्शन किसानों के विद्युतीकरण के लिए दिये गये हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिल रही है 132 के0वी0 का सब स्टेशन हमारे क्षेत्र राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। गंगा यमुना नदी के किनारे चम्बल खारी नदी के किनारे है। ऊँचा-नीचा क्षेत्र है। राजस्थान के नीचे आगरा की सीमा रेगिस्तान बन गयी है। मान्यवर, 132 के0वी0 बिजली का सब स्टेशन वहां बनवायें। कहा गया था कि 9 करोड़ 98 लाख का तत्काल काम करायेंगे लेकिन आज तक 132 के0वी0 का सब स्टेशन वहां नहीं बन पाया है। शहरी लोगों और किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो गाँव के विद्युतीकरण का पैसा था उसको वहां के जो अधिकारी हैं उससे उन्होंने शहरों में विद्युतीकरण करा दिया है ट्रांसफार्मर शहरों में लगवा दिये हैं किसानों के लिए जो विद्युतीकरण का पैसा था उसको शहरों में लगा रहे हैं। वहां का किसान तबाह हो रहा हैं खाने पीने को मोहताज हैं उद्योग धन्धे बन्द हैं, किसानों के पास कोई रोजगार नहीं है। अगर विद्युतीकरण का कार्य हो जाता है तो किसानों की रोजी-रोटी का कार्य चल सकता है। वहां छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोल दिये गये हैं लेकिन सरकार की मंशा तभी पूरी हो सकती है जब किसानों को वहां बिजली उपलब्ध हो वहां विद्युतीकरण का कार्य कराया जाये। शासन का जो जी0ओ0 है उसके आधार पर पैसा वितरित कराया जाये। मेरा नियम-56 के अन्तर्गत सवाल था नियम-52 में कन्वर्ट कर दिया है। सरकार तत्काल आदेश दे और मेरे द्वारा जो बिन्दु उठाये गये हैं उन पर कार्यवाही करे आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

*डा0 राम बाबू हरित-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आगरा की विद्युत समस्या पर ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उसका ठीक प्रकार से सरकार द्वारा अनुपालन नहीं हो रहा है, इस सन्दर्भ में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम श्री छोटे लाल वर्मा जी ने जो अपना वक्तव्य यहां प्रस्तुत किया है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। आगरा, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और यदि हम यह कहें कि यह पूरे भारत वर्ष की आत्मा है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। दुनिया के किसी भाग से कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान आता है तो वह ताजमहल और जो अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, उनको देखने के लिए लालयित रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीजों को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि आगरा को पूर्णतया विद्युत कटौती से मुक्त किया जाये और 24 घण्टे वहां विद्युत उपलब्ध करायी जाये।

जब प्रदेश में नरेश अग्रवाल जी विद्युत मंत्री थे, हमारी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने काफी प्रयास भी किये थे, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता चाहता हूँ। लेकिन अब आप पर्यटन पंत्री होने के बाद ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आगरा में आप गये थे, आपने पैकेज की घोषणा भी की थी। आप वहां की विद्युत समस्या की जानकारी रखते हैं इसलिए सरकार को उसके लिए आप बार-बार प्रेरित करें कि आगरा की विद्युत व्यवस्था को ठीक करायें। इससे केवल प्रदेश की ही नहीं, पूरे भारत वर्ष की इज्जत बढ़ेगी। विशेष ट्रेपेजियम जोन के अन्तर्गत आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा की 60 कि0मी0 एरिया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सम्बन्धित किया था कि इसके अन्दर विद्युत व्यवस्था ठीक रहेगी लेकिन उस समय के विद्युत अधिकारियों ने जो पैकेज भेजा था वह अपूर्ण था, जितने धन की जरूरत थी, उतनी मांग नहीं की थी। इससे जो काम होने चाहिए वह पूर्ण नहीं हो पाये। जब हमने क्षेत्रीय अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि जो पैकेज वह भेज रहे हैं, उसके लिए पैसा मिल पायेगा। मान्यवर, बाद में शासन से व्यवस्था हुई कि जो अपूर्ण कार्य रह गये हैं उसके लिए नया पैकेज बनाया जाये। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बिजली मंत्री जी सदन के अन्दर यह घोषणा करें और वहां के विद्युत अधिकारियों और शासन के अधिकारियों को निर्देश दिये जायें कि पुन: एक पैकेज बनाया जाये। बहुत से कार्य होने हैं, नये पोल लगाने के लिए, नये तारों की व्यवस्था के लिए और जगह-जगह जो तार टूट गये हैं, उसके लिए पुन: एक नया पैकेज बनाया जाये और सरकार इसके लिए धन उपलब्ध कराये और सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी है और यह हम सबके सम्मान की बात भी है। क्योंकि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति आगरा ही जायेगा, सैफई नहीं जायेगा। मान्यवर, आज के जीवन में विद्युत की आवश्यकता अहम हो गयी। बच्चा जब पैदा होता है, जब सेक्शन किया जाता है तो सेक्शन मशीन भी विद्युत से चलती है, विद्युत शव दाह मशीन के लिए भी विद्युत चाहिए। आगरा में विद्युत शव दाह को भी विद्युत नहीं मिल पाती है। विद्युत की सही व्यवस्था न होने के कारण लोग शव दाह गृह में शवों को नहीं ले जाना चाहते। वे सोचते हैं कि इससे शव की दुर्दशा होगी। इस कारण शवों को लकड़ी से जलाया जाता है। यदि विद्युत की व्यवस्था हो जाये तो इससे हम पेड़ों को बचा पायेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन कर पायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह आज इस सदन में घोषणा करेंगे। प्रदेश की 17 करोड जनता देख रही है कि सदन में क्या हो रहा है? आज ऊर्जा मंत्री यहां घोषणा करें कि यहां से सरकार का निर्देश जायेगा, और टीटी के अन्तर्गत जो क्षेत्र रह गये हैं उसके लिए विशेष पैकेज बनेगा। शासन से तत्काल धन उपलब्ध कराकर आगरा की विद्युत व्यवस्था ठीक करायेंगे।

(श्री अजीम भाई तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

पहले माननीय सदस्य को बोल लेने दीजिए फिर आप बोल लीजिएगा।

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी जब माननीय ऊर्जा मंत्री थे तो जो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं उनके क्षेत्र में विद्युत विकास के लिए उनको 20-20 लाख रूपये के काम कराने की घोषणा की थी। अगर उसका अनुपालन यह सरकार करा दें तो जो शहरी विधायक हैं उनसे शहरी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। हमने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन के पास भेजा है, क्षेत्रीय अधिकारियों को भी भेजा है लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं आगरा की विद्युत व्यस्था के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप वहां पर किसी भी दिन का अखबार

देखें तो उसमें होगा कि कहीं बिजली का पोल गिर गया कहीं पोल में करंट उतर गया कहीं बिजली के तार जल गये। विद्युत के तारों की स्थिति बहुत खराब है और विद्युत कार्यों के लिए अधिकारी वहां पर सक्षम नहीं हैं। यह कहते हैं कि संसाधनों की कमी है। आगरा जैसे महत्वपूर्ण शहर के लिए तो विद्युत व्यवस्था सही करायें। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश की सरकार के स्तर से ही सारे सामान खरीदे जाते हैं जबकि पूर्व में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता जो हुआ करते थे उनको भी कुछ सामान परचेज करने की अनुमति होती थी। मेरा कहना है कि इसका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। सरकार इसको भी संज्ञान में ले। एक बात और यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर छोटे-छोटे लगाये जाने चाहिए। आप अगर एक साथ 500 कि0 वाट का ट्रांसफार्मर लगायेंगे तो एक ट्रांसफार्मर फुकने से छोआ इलाका ही प्रभावित होगा। सरकार इसको भी संज्ञान ले तो लाभ मिलेगा। मान्यवर, आगरा की विद्युत व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। क्योंकि आगरा में जो विदेशी पर्यटक आयें तो वह आगरा की अच्छी छवि लेकर यहां से जायें। इसलिए आगरा हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। इससे हमारा तथा देश का सम्मान भी बढ़ेगा।

*श्री अजीम भाई-

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां तक टीटी की बात है उसमें फिरोजाबाद भी आता है और फिरोजाबाद के बाहर एक कस्बा मक्खनपुर भी उसमें आता है। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि माननीय विधायक जी बार-बार अभी आगरा और टी0टी0 जोन की बात कर रहे थे, इस मसले में मेरी विद्युत अधिकारियों से फिरोजाबाद और आगरा में बात हुई है। उन्होंने कहा कि यह टी0टी0 जोन है और उस नाते चौबीस घंटे बिजली मिलनी चाहिए, इसमें विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए। इसको बने हुए काफी वक्त हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो टी0टी0 जोन में गांव आते हैं उसमें विद्युतीकरण हो जाना चाहिए था। लेकिन ग्राम सभा और कुछ मजरे रह गये हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि आगरा के साथ-साथ जो आगरे का ताजमहल वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, हमारी शान है और हिन्दुस्तान में जो पर्यटक आते हैं वह ताजमहल देखने जरूर आते हैं। यह टी0टी0 जोन ताजमहल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बना। अभी माननीय उर्जा मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय पर्यटन मंत्री जी भी बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि यह टी0टी0 जोन पूरा ले लें। फिरोजाबाद, मथुरा और मक्खनपुर तक वहां का पूरा विशेष पैकेज इसके अन्दर है, वह ले लें। सिर्फ आगरा तक ही सीमित न रहें। धन्यवाद।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय सदस्य श्री छोटे लाल वर्मा जी हमारे पूर्व मंत्री डा0 राम बाबू हरित जी और हमारे फिरोजाबाद के साथी एम0एल0ए0 श्री अजीम भाई जी ने टी0टी0जेड0 और विशेषकर आगरा की बात उठायी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो गौरवान्वित होना चाहिए कि कम से कम हमारे प्रदेश में ऐसी जगह है जो विश्व भर में जानी जाती है और विश्व के नौवें आश्चर्य में एक ताजमहल भी है। यह अलग बात है कि इस सरकार ने इस बात को जताने का प्रयास किया है कि यह ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। अभी जितनी भी केन्द्र में सरकारें रहीं, मुझे तो केन्द्र सरकार के तत्कालीन मंत्री जिनके पास टूरिज्म था उनसे विशेष शिकायत रही। भारत सरकार ने यह प्रचारित किया था कि ताजमहल हिन्दुस्तान का अंग है लेकिन कभी भी उन्होंने उसे उत्तर प्रदेश का अंग नहीं माना। ए0एस0आई0 ने तो हमारी और उपेक्षा की है। उन्होंने यह कहा कि इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। अभी तीन सौ पचास वर्ष ताजमहल के पूरे हुए हैं। गत साल 27 सितम्बर को विश्व टूरिज्म दिवस मनाने की घोषणा की। आपके दल ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन बाद में वहां की जनता के आक्रोश को देखते हुए आपने विरोध को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वापस ले लिया। हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि पूरे टी0टी0जेड0 को पूर्ण रूप से विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाय। वहां को हम मार्डननाइज करें। हमारी सरकार नें निर्णय लिया कि ताजमहल को निजी क्षेत्र को देंगे और सहारा इण्डिया को देने का निर्णय लिया। वहां के इनफास्ट्रक्चर को वह इस तरह से डेवलेप करे.....

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि सहारा इण्डिया विकास करने के लिए वचनबद्ध है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, उसकी अवहेलना करके इसे एक प्राइवेट एजेन्सी को देना कहां से ठीक है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम जहां भी निजी क्षेत्र के माध्यम से कुछ विकास करने की बात सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करने लगती है, कल लालजी टण्डन जी ने बिजली के क्षेत्र में एक निजी कम्पनी को आगे बढ़ाने पर आपत्ति की थी आज आप आपत्ति कर रहे हैं, जबकि आपका दल पूँजीवादी व्यवस्था पर विश्वास करता है, तो श्रीमन् उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, वह माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्णय को देख करके ही लिया है। मान्यवर, मैं तो कन्फ्यूज रहा कि माननीय छोटे लाल वर्मा जी चाहते क्या हैं? यह तो ठीक हुआ कि राम बाबू हरित ने उसे स्पष्ट कर दिया। मान्यवर, इन्हीं लोगों के विरोध के चलते छः महीने के अन्दर उस इलाके के सारे उद्योग बन्द हो गये, वहां के सारे लोग बेरोजगार हो गये।

श्री लाल जी टण्डन-

आपने तो वहां मुजरा करवाने की बात कही थी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मुजरा करने वाले कहां से जाते, आखिर उन्हें आपके ही क्षेत्र चौक से ले जाते। श्रीमन , मैं कह रहा था कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए ही लिया। श्रीमन् हमें पूर्ण रूप से ऊर्जीकरण कार्य के लिए 93 करोड़ रूपये रिलीज हुए थे और 132 के0वी0 का आगरा में सब स्टेशन बना और 33 के0वी0 का मथुरा में बना और सेकेण्ड फेज में जो हमें 39 करोड़ रूपये रिलीज हुए थे पूर्ण रूप से ऊर्जीकृत करने के लिए यह ठीक है कि उस एरिया में 396 गांव और 928 मजरे पड़ते हैं, जिसमें 158 ग्राम और 333 मजरे ऊर्जीकृत हो चुके हैं, जो 39 करोड़ रिलीज हुए थे जिसमें 39 करोड़ खर्च हो चुके हैं 10 करोड़ का चेक गलती से निगम को चला गया, उसको वापस पावर कारपोरेशन में ला रहे हैं।

श्रीमन्, जो गांव और मजरे ऊर्जीकृत करने के लिए अवशेष रह गये है, अभी आगे बहुत से पुराने काम अधूरे छूटे हैं जब हम उन्हें पूरा करेंगे तो उन्हें भी ऊर्जीकृत कर देंगे, अधूरे पड़े कार्यों के लिए आपकी सरकार भी उत्तरदायी है, वैसे हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम 2010 तक सारे गांवों को ऊर्जीकृत करेंगे, सरकार ने कुछ पैसा दिया है, कुछ पैसा एम0जी0आर0वाई0 से हमें मिला है, हम बाकी को भी ऊर्जीकृत करा रहे हैं। वैसे भी हम लोगों ने पांच-पांच गांव हर विधायक को देने के लिए योजना शुरू की थी, आप सबको याद होगा, हम आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे।

श्री देवनारायण ऊर्फ जी0एम0 सिंह-

जिन पांच गांवों की योजना की बात आप कर रहे हैं आपके अधिकारियों ने कहा है कि इसको निरस्त कर दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कोई निरस्त नहीं किया है, जो आप नाम 5 गांव का देंगे जो रेस्ट्रेक्शन था। नम्बरी गांव, वर्जिन गांव, तो वर्जिन डीलक्स की परिभाषा थी, उसको निकाल दिया गया है।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि जो यह आपकी स्कीम है 5 गांवों की विद्युतीकरण के लिए उसमें बड़े गांव नहीं लिये जा रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ। 5 गांव की घोषणा विगत वर्ष की थी। क्या आप इस बार 5 गांवों से ज्यादा की सीमा बढ़ायेंगे हम लोगों के लिए?

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी अपनी बात कह लें, उसके बाद स्पष्टीकरण हो जायेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, कल ही मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के विधायकों के साथ नाइन्साफी नहीं होगी क्योंकि सभी विधायक सम्मानित हैं और सब बराबर हैं। यद्यपि शहरी क्षेत्र में बराबर वितरण का काम होता है जो पैसा है वह सबके क्षेत्र में लग रहा है। कौन विपक्ष में है और कौन सत्ता पक्ष में, यह नहीं देखा जा रहा है। मगर पिछली सरकार में तो कह दिया गया था कि हम सत्ता पक्ष के ही विधायक का काम करते हैं। हमारी सरकार समान रूप से काम करती है और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। यद्यपि हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम साम्प्रदायिक शक्तियों की मदद कर रहे हैं और साम्प्रदायिक शक्तियां हमारी मदद कर रही हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी बात आपत्तिजनक है। विधायक निधि की शुरूआत यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी और सारे लोगों के लिए की गयी थी।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, एक गांव के विद्युतीकरण में यदि 10 लाख रूपये लग रहा है और यदि उसमें 5 लाख रूपया ही मिल रहा है तो आधा गांव रह जा रहा है, पूरे गांव का विद्युतीकरण करने की बात आप करिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मेरा मान्यवर, छोटे लाल वर्मा जी से अनुरोध है कि अपनी शंकाओं को निकाल दें। कोई ऐसी बन्दिश नहीं है कि आप मंत्री जी के यहां आ जा नहीं सकते हैं। एक दल ने तो रोक लगा रक्खी है। लेकिन मा0 टण्डन जी आपने तो नहीं लगायी होगी। वैसे भी आपके यहां असन्तोष ज्यादा है। अब तो राम इकबाल जी का भी बयान पढ़ा उनका असंतोष दूर हो गया है। मा0 छोटे लाल वर्मा जी मैं भले ही परिवहन विभाग देख रहा हूँ लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी काम होगा, आप हमें बतायेंगे, हम उस कमी को दूर करायेंगे। मान्यवर, टी0टी0जेड एरिया के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय की जो मंशा है और आदेश हैं और इस सरकार की जो मंशा है कि हमारा ताजमहल सुरक्षित रहे और आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद का वह क्षेत्र डेवलप हो तो उसमें हमारी सरकार जो कर सकती है, हम उसमें अवश्य करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस प्रस्ताव को जनहित में वापस ले लेंगे। मा0 राम बाबू हरित जी तो धन्यवाद दे ही रहे हैं आप भी इसको वापस लें और सरकार जो काम कर रही है आप उसकी प्रशंसा करें।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, यह कार्य जो है यह 9 करोड़ 58 लाख 50 हजारा का शासनादेश जारी हुआ था। जो आपने 2010 तक सब गांवों को बिजली देने की योजना बतायी है वह बात हमने मान ली है। मान्यवर, ताजमहल विश्व

प्रसिद्ध स्थान है जिसके लिए पूरे भारत का सम्मान है लेकिन उस अवधि तक वह तब तक पीला हो जायेगा। हम चाहते हैं कि आप पैसा रिलीज करने की घोषणा करें ताकि एक माह दो माह के अन्दर यह काम प्रारम्भ करा दें क्योंकि आपके पास पैसा है। दूसरा आपने बताया कि बात चल रही है उसकी हम चेक कटवा रहे हैं। उसमें हम चाहते हैं कि उनको निर्देशित करें तो तुरन्त काम हो जायेगा। कल चेक कट जायेगी और परसों काम शुरू हो जायेगा। हम चाहते हैं कि इसकी घोषणा करें कि यह तत्काल हो।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय छोटे लाल वर्मा जी ने एक आशंका व्यक्त की, चलो कुछ रास्ते पर आये। जो 9 करोड 58 लाख की बात है वह उत्पादन निगम में जमा हो गया उसको पावर कार्पोरेशन में आना है। उसके लिए पर्यावरण मंत्री जी से बात हो रही है। उस पर चार बैठकें हो चुकी हैं और बहुत जल्द कुछ ही समय में वह पावर कार्पोरेशन में आ जायेगा और उससे काम शुरू हो जायेगा और शेष जो काम बचा है उसको अगले फेस में ले लेंगे। आपने कहा कि वहां पर बहुत से काम अधिकारियों ने भेज दिये सामान नहीं भेजा तो उनको निर्देश दे दिये जायेंगे।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

मुख्य सूखे की बात है और यह भी इन्होंने कह दिया कि कई सौ ट्यूबवेल के कनेक्शन एप्लाइड हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिला है तो निश्चित रूप से उसको दिखवा लीजियेगा।

श्री नेरश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, सामान्य योजना है, उसमें एप्लाई करें कनेक्शन मिल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

एप्लाइड है।

श्री दिनेश सिंह-

मान्यवर, कोरम के अभाव में सदन चल रहा है, यह ठीक नहीं है। इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, मैंने यह कहा कि जिन किसानों ने अपना पैसा जमा करा लिया है उनको ट्यूबवेल का कनेक्शन दे दें।

विधायक निधि के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे चर्चा करने की अनुमति दी है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण न हो लेकिन कम से कम हम लोगों के लिए जो पहली बार चुनकर आये हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा माननीय आजम साहब कह रहे हैं राजनीति में सुचिता की बात, आदर्श की बात, सिद्धान्तों की बात, मैं जानता हूँ। मैं पहली बार चुनकर आया हूँ हो सकता है हम लोगों के पास व्यवहारिक अनुभव न हो लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन दो सालों में निर्माण कार्य को लेकर जो कुछ हुआ है यह निहायत शर्मनाक हो सकता है और सदन को इसको बहुत गम्भीरता के साथ सोचना होगा। माननीय जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि पूरे नियोजन विभाग में कमीशन पूरी चरम सीमा पर है। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण बात इतने वरिष्ठ सदस्य ने कही और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि यह सच्चाई है, ठेकेदार हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग लिखकर नहीं देते हैं यह दूसरी बात है। न केवल अपनी विधान सभा बल्कि प्रदेश की किसी भी विधान सभा के लिए प्रस्ताव लेकर लिखवाना चाहते हैं और कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए हम लोग नियोजन विभाग से पास करवा लेंगे और पास भी होते हैं। जो कुछ हम लोगों का गोरखपुर में अनुभव है उसको हम लोग आपके बीच में रख सकते हैं। मान्यवर, मेरा अनुभव बहुत खराब है, जब से विधायक निधि का कार्य हो रहा है, मेरे ऊपर लगातार दबाव इस बात का है। हम कमीशन लें या न लें लेकिन अधिकारियों/अभियंताओं को कमीशन देना ही पड़ेगा। यह सच्चाई है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को इस सदन में कह रहा हूँ और इस गारन्टी के साथ कह रहा हूँ कि मैं कोई कमीशन नहीं लेता हूँ। इसलिए हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि विधायक निधि से अधिकारियों/अभियंताओं को 15-20 प्रतिशत कमीशन दिया जाय। अब स्थिति यहां तक आ गयी है कि वह अब हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, अब वह हमारे कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं कि ऐसा काम न करो। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं कि हमारा कोई कार्यकर्ता न आगे आये, न कोई जे0ई0 आगे जायें और ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायं कि हम थक हारकर समर्पण कर दें, या भ्रष्ट हो जायें।

मान्यवर, हमारे यहां 23 जनवरी को यशवंत राव कल्याणकारी भवन का 4 लाख 83 हजार का इस्टीमेट था और निर्माण संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट ट्यूबवेल कारपोरेशन थी। इस संस्था का चयन कोई मैंने नहीं किया था। आज तक मैंने किसी को अपने पैड पर लिखकर नहीं दिया कि फलां संस्था से काम कराओ। इसका चयन स्वयं डी0आर0डी0ए0 करता है और डी0आर0डी0ए0 ने यू0पी0 प्रोजेक्ट ट्यूबवेल कारपोरेशन को काम दिया, उसके जे0ई0 पहले ही 40 हजार रूपया लेकर बैठ गये और निर्माणकर्ता को स्पष्ट कह दिया कि 15 प्रतिशत कमीशन देना पड़ेगा और जब तक उसने कमीशन नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया गया। आखिर में हारकर मैंने 40 हजार रूपया अपने पास से उसको दिया और लिखित शिकायत करायी, उसके बाद फिर 22 मई को लिखित शिकायत की, कमिश्नर से कहा, डी0एम0 से कहा, सबसे कहा कि कोई काम करने को तैयार नहीं है। मान्यवर, मैंने इस कारपोरेशन के महानिदेशक से गोरखपुर में बैठक में इस बात को कहा। स्थिति यहां तक आ गयी कि जे0ई0 मेरे क्लीनिक में कमीशन का पैसा लेकर आ गया, मैंने वह पैसा लौटाया। मैंने सब जगह कहा कि इस पर कार्यवाही किया जाय, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने फिर मिस्टर सामंत को गोरखपुर से फोन करके कहा कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस जे0ई0 पर कार्यवाही करें बताइये, डी0एम0 को 5 बार फोन किया, मैंने उनसे यहां तक कहा कि अगर आप इस पर कार्यवाही नहीं करती हैं तो उसका मतलब कि आप भी इसमें हिस्सा लेती हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि न तो डी0एम0 ने कोई कार्यवाही किया, न कमिश्नर ने किया और न महानिदेशक ने किया और न प्रमुख सचिव, सिंचाई ने किया। मैंने कहा कि मैं यह मामला विधान सभा में उठाऊँगा। मैं सदन से मांग करता हूँ कि जो विधायक चोर होंगे, वह होंगे, मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, मुझे संरक्षण मिलना चाहिए। अगर मैंने विधायक निधि में कमीशन नहीं लिया है तो किसी अभियन्ता, अधिकारी को इसकी छूट नहीं दी जानी चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि के प्राविधानों में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय विधायकों की समिति बनायें जो बैठकर निर्णय ले विधायक निधि के कार्यों के बारे में या फिर विधान सभा का अध्यक्ष या विधान सभा का उपाध्यक्ष स्वयं निर्देशित करे कि निर्माण इकाई कौन बनायी जाय? यदि भ्रष्टाचार होता है, यदि विधायकों को कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जिस प्रकार हम यहां विशेषाधिकार का प्रश्न लाते हैं, अपमानना का प्रश्न लाते हैं।

उसी प्रकार से हम इस विधान सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के सामने अवमानना का प्रश्न कर सकें। अन्त में मैं यही कहूँगा कि विधायकों को इसमें सहयोग देना चाहिए और व्यवस्था ऐसी बनायी जाये जिसमें हम जैसे लोग भी काम कर सकें।

नेता, विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, अगर एक सुनिश्चित प्रकरण सदन के संज्ञान में आया है, जिसमें कमीशन मांगने की बात कही गयी है अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इससे सदन की कोई सार्थकता नहीं रह जायेगी। इस पर मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाये। जैसे कि पार्लियामेन्ट में समिति बनी है उसी तरह की एक समिति विधायक निधि की यहां पर भी बना दी जाए, जिससे कि कोई डेवीयेशन हो तो यह प्रकरण समिति के सामने आये, कोई काम हो रहा हो तो समिति उसकी समीक्षा करे। पार्लियामेन्ट में अगर सांसद निधि का दुरूपयोग साबित हो जाये तो यह सदन की अवमानना के बराबर दोष है। अध्यक्ष जी चाहें तो उसकी नौकरी खत्म हो सकती है, अगर एक बार ऐसा करके दिखा दें तो जो सबके ऊपर कलंक लगता है, बच जायेंगे। सभी विधायक ऐसा करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता लेकिन यह कलंक सबके ऊपर लगता है। इसमें एक समिति बनाकर इसकी जांच करा ली जाए, जब यह कमीशन वाले अधिकारी का नाम बता रहे हैं तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और कोई नमूना नहीं हो सकता। इसलिए मान्यवर, पीठ से यह निर्देश दिये जायं कि उसके ऊपर कार्रवाई करके कल सदन में यह सूचित करें।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)-

मान्यवर, एक मिनट गलत बात सदन में बतायी जा रही है। जहां तक मैं समझता हूँ कि नेता विरोधी दल को सही फैक्ट्स नहीं बताये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो बाद में दीजिएगा, अभी चर्चा हो जाने दीजिए।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने किसी फैक्ट्स का वर्णन इस सदन में नहीं किया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक घटना का वर्णन किया है उस घटना में उन्होंने कहा कि क्लीनिक पर जाकर उन्हें पैसा देने का प्रयास किया गया। नेता विरोधी दल ने कोई वर्णन नहीं किया है केवल इतना माना है कि सदन में किसी माननीय सदस्य के द्वारा कोई स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक घटना में, स्पेसिफिक व्यक्ति के खिलाफ कही गयी है, तो आज सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की बात कहें। नेता विरोधी दल का कहना था कि शिकायत जिलाधिकारी से की गयी और मीटिंग में भी शिकायत की गयी है। माननीय सदस्य ने जिलाधिकारी और कमीश्नर से मीटिंग में कहा है कि इसके विरूद्ध कार्रवाई की जाय, जिलाधिकारी और कमिश्नर ने कार्रवाई नहीं की, उसके पीछे क्या तात्पर्य है, यह सदन के संज्ञान में आने के बाद जांच का विषय है।

श्री राजपाल त्यागी-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि यह विधायक निधि से सम्बन्धित प्रश्न है। डा0 अग्रवाल साहब ने थोड़ी देर पहले मुझे भी एक पत्र दिया है, मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद माना है कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट एवं ट्यूबवेल कारपोरेशन है।

श्री उपाध्यक्ष-

यह स्पष्टीकरण आप राधामोहन दास अग्रवाल को दे रहे हैं। चर्चा पूरी हो जाये उसके बाद इकट्ठे अपनी बात रखिये। माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी है उसका संज्ञान लेते हुए उत्तर देना है।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, यह सुनिश्चित भ्रष्टाचार का विषय आया है इसलिए उसको बचाने की कोशिश न करें। कृपा करके सदन में आश्वासन दें कि कल ही कार्रवाई करके सदन को सूचित करेंगे, तब इस सदन की महत्ता दिखाई देगी।

श्री आलमबदी-

आप जो कहेंगे वहीं सुना जायेगा, मंत्री जी जो कहेंगे वह नहीं सुना जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने उठाया है। तीन बातें हैं- पहली बात यह कि स्पैसिफिक घटना का उल्लेख है, दूसरे डी0आर0डी0ए0 की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से विधायक निधि के नियमों की व्यवस्था है उसके परिवर्तन की मांग। यह बहुत गम्भीर मामला है। उसमें कुछ गाइड लाइन्स दी हैं कि किसके ऊपर विधायक निधि खर्च होना चाहिए। मैं पहली दो मांगों का समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से स्पैसिफिक घटना है, उस पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। दूसरी बात नियमों के परिवर्तन की है। आज पूरे सदन के संज्ञान में है, नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। अगर माननीय अध्यक्ष जी यह निर्णय करें, जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी के अन्डर में विधायक निधि की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मिट्टी का काम एलाऊ नहीं होना चाहिए। (सत्तापक्ष की ओर से मिट्टी का काम बन्द हो गया है की आवाज आने पर) मेरी सुनिश्चित जानकारी है अभी मिट्टी का काम बन्द नहीं हुआ है। बहुत से विधायकों ने अपने क्षेत्रों में मिट्टी का काम नहीं कराया होगा। मैंने स्वयं 6 साल के विधायक निधि में मिट्टी का कार्य कभी नहीं कराया।

श्री उपाध्यक्ष-

यह चर्चा 6.08 मिनट पर शुरू हुई थी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ समय बढ़ायेंगे?

श्री राजपाल त्यागी-

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, बड़े दुःख की बात है चाहे इधर के माननीय विधायकगण हों या उधर के हों, वे 20-20 साल तपस्या, संघर्ष व आन्दोलन करते हैं, अपने परिवारों को छोड़कर जनहित की चिन्ता करते हैं। परन्तु एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात का कि डा0 अग्रवाल जी मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। हमारी सरकार दोषियों को बचाने के लिए नहीं है, दोषियों को दण्ड देने के लिए तैयार है। मान्यवर, हमारे पास जितनी शिकायतें आयी हैं उन पर सख्त कार्यवाही की है। गाजीपुर के बारे में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह ने जांच रिपोर्ट पर वहां के सी0डी0ओ0 को सस्पेण्ड किया गया है। मान्यवर, 6 जिलों की जांच रिपोर्ट आयी है उनके रिकवरी से लेकर दूसरे दण्ड जारी किये गये हैं। हमारे अग्रवाल साहब ने जिस दोषी इंजीनियर के बारे में कहा है उसको बचाने की बात नहीं है। मगर विधायक निधि को बदनाम न करें। यह जो कार्य कराया गया है यह यू0पी0 प्रोजेक्ट ट्यूबवेल कारपोरेशन द्वारा कराया गया था उसका उद्घाटन भी हो चुका है और लोकार्पण हो चुका है और विधायक निधि से उसका भुगतान भी हो चुका है।

मैं आदरणीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करता हूँ कि विधायक निधि को चन्द लोग बदनाम कर रहे हैं। गांवों के अन्दर जो गांव की जरूरतें हैं, गांव के विकास कार्य हैं विधायक निधि से वह कार्य कराये जाते हैं। गांव के

गरीब आदमी को सुविधा देने का यह एक अच्छा हथियार है। विधायक निधि बहुत जरूरी चीज है और प्रदेश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें सुधार के लिए जो सुझाव दिये जायेंगे उसका हमेशा स्वागत किया जायेगा। माननीय विधायक जी ने जो कार्य करने के लिए कहा था वह पूरा हो गया है उसका लोकार्पण हो चुका है और उसका पूरा पेमेण्ट हो चुका है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सारे काम लोकार्पण के बाद हो रहे हैं।

श्री राजपाल त्यागी-

मेरा माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है इसमें जो दोषी हैं जो दण्ड का भागीदार है उसको दण्ड दिया जायेगा उसको विधायक निधि से न जोड़िये। विधायक निधि को माननीय कल्याण सिंह जी के जमाने में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के बाद लागू किया गया था। इसमें शहरों में कौन काम करेगा, देहातों में कौन काम करेगा यह निश्चित है। सी0डी0ओ0 दस प्रतिशत कामों का निरीक्षण करते हैं बाकी के कामों के निरीक्षण की जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की होती है। जहां-जहां से शिकायतें आयी हैं उनके बारे में कार्यवाही की गयी है और जो कार्यवाही की गयी है कुछ की मैंने आपके सामने बताया है। जो विधायक निधि में बेइमानी करेगा उसको दण्डित किया जायेगा और उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जायेगा। जो सुझाव आयेंगे उनका स्वागत किया जायेगा। जो शिकायते आयेंगी, उनकी जांच कराने के लिए मैं तैयार हूँ। सदन के सदस्यों का त्याग तपस्या का लम्बा इतिहास रहा है। इस तरह का माहौल मत बनाइये। जो लोग दोषी हैं उनको दंडित किया जायेगा, जो भी सुझाव आयेगा मैं उनका स्वागत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बात कही थी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय डाक्टर साहब ने गम्भीर प्रकरण उठाया है और भी सदस्य इस पर बोलना चाहते थे मानो तो गंगा मैया न मानो तो बहता पानी इस बुराई के बारे में अगर थोड़ा सा भी सोचे तो पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं रह जायेगा। एक साल से कम हुआ है सरकार बने सत्ता में आये मैं यह भी नहीं कहता कि उधर बैठे हुए हमसे कितने जमाने तक सत्ता में रहे फिर उनका ज्यादा दायित्व था इसको रोकते। जब मैं आपकी कुर्सी पर बैठता था तब मैंने आपसे विधायक निधि से होने वाले कामों के बारे में एक शिकायत की थी। एक कार्यदायी संस्था की शिकायत की थी। मेरे अपने क्षेत्र में जहां से मैं विधायक हूँ अगर हम अपने क्षेत्र के काम की गुणवत्ता को शुद्ध नहीं करा पाते तो उत्तर प्रदेश में कोई सही काम नहीं हो सकता है। मैं इतना सख्त हूँ कि मैं हर जगह पर खुद जाता हूँ काम देखता हूँ कि काम सही है या नहीं उसके बावजूद अगर गुणवत्ता नहीं तो फिर मैं यही कहता हूँ कि कहीं भी गुणवत्ता नहीं हो सकती है। मैंने शिकायत की और उस शिकायत की सजा यह मिली कि मुझे तकरीबन 8 माह तक मेरी विधायक निधि से एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं हुआ और उस कार्यदायी संस्था की यूनियन ने ऐ रेजोल्यूशन पास किया और वह रेजोल्यूशन शासन में आया। रेजोल्यूशन यह था कि मो0 आजम खां नेता प्रतिपक्ष कामों में गुणवत्ता चाहते हैं और जितनी वह गुणवत्ता चाहते हैं उतनी गुणवत्ता नहीं दे सकते हैं। इसलिए जना ` आपकी सरकार में यह रेजोल्यूशन आया कि हम नेता विरोधी दल का काम नहीं करेंगे और मेरा काम नहीं हुआ। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ बात कहां तक पहुँच गयी है कि वहां से वापस आना नामुमकिन सा लग रहा है। सिर्फ गुणवत्ता की बिना पर डामर की सड़क अच्छी नहीं दे सकते। सीमेंट की रोड अच्छी नहीं दे सकते।

हमारे यहां सीमेंट रोड के लिए पैसा दिया जाता है वह जो पैसा दिया जाता है यह किसी अधिकारी का पैसा नहीं है, किसी पूँजी पति का पैसा नहीं है यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। यह आम हिन्दुस्तानी का पैसा और उस आम हिन्दुस्तानी के पैसे पर डाका पड़ रहा है। गली में 10-10 इंच मोटा रोड़ा और 8-8 इंच मोटी कंक्रीट और उसके बाद साल में तीन तीन बार वहीं पर रोड बनायी गयी और उखड़ गयी। मोटाई इतनी हो गयी घरों से ऊँची रोड हो गयी नालियां नीचे हो गयी। रोड तीन-तीन फुट घरो से ऊँची हो गयी। एक विधायक के जमाने में एक एक गली में तीन-तीन बार रोड बनती है। मुझे मजबूर होकर यह निर्णय लेना पड़ा कि हम सीमेंट रोड नहीं बनवायेंगे। इसके लिए मैंने खुद प्रदेश के ज्यादा हिस्सों में कंप्रेस्ड ईंट और सीमेंट लगाने के आदेश दिये। गुणवत्ता क्यों नहीं आती है उसका कारण आप भी जानते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि हमारे अन्दर कितनी कमियां हैं।

यहां पर नेता सदन ने कहा था अगर हम लोग अपने आपको सुधार लें तो अधिकारियों और कर्मचारियों की खुद व खुद सुधरना पड़ेगा। इसलिए इसमें आज पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। मैंने जो मसला आपके सामने रखा है आप स्वयं महसूस करेंगे। डा0 साहब के दर्द को मैं महसूस करता हूँ। यह पीड़ा आज के जमाने की नहीं है। यह बड़ा मालिक का करम है कि इस सदन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके गिरेबां में दाग नहीं है लेकिन दु:ख इस बात का है कि जिसके गिरेबां में दाग है वे अपने को ज्यादा सम्मानित महसूस करते हैं, यह है पीड़ा। पहले अच्छे को अच्छा कहा जाता था लोग अच्छे को अच्छा मानते थे लेकिन आज अच्छे को अच्छा मानना दूर की बात है, बुरे को सम्मान मिलता है अच्छे को नहीं मिलता है इसलिए मैंने कहा कि इसको बदलना होगा कुछ लोगों को राजनीति छोड़कर यह पार्ट लेना होगा। बहुत बदनाम हुई विधायक निधि इसलिए अब इसका नाम बदलने का प्रस्ताव है। हम जिन्दगी के किस मैदान में बेईमान नहीं हैं, कहां पर ईमानदारी कर रहे हैं? इसलिए हम इसका सुधार करेंगे। जैसी बात चल रही थी, आज हर व्यक्ति राजनीतिज्ञों को कोस रहे हैं। आज जो फिल्में बनती हैं वे फिल्में क्या संदेश देती है। आज का एम0एल0ए0, रामऔतार। एक मुख्यमंत्री और बाकी सारे उप मुख्यमंत्री। मैं कभी कभी उस जमाने में पिक्चर हाल जाता था, आज से करीब 20-25 साल पहले गया था। मैं खुद पीछे बैठे लोगों की गालियां सुन रहा था। कौन क्या कह रहा था। इस तरह की फिल्में बनना रोकना चाहिए, ऐसी फिल्में क्यों बनती हैं? आज आजादी के 56 साल बाद भी इस तरह की फिल्में बनती हैं जिनसे दंगे भड़कते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? यह डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। देश में साम्प्रदायिक आग फैलाना चाहते हैं। यह ऐसे विचारणीय सवाल हैं जो बहस से हल नहीं होंगे।

श्री लाल जी टण्डन-

यह जो आप कह रहे हैं उसमें तो शायद हमारी और आपकी जिन्दगी बीत जायेगी और तब भी यह ठीक हो पायेगा कि नहीं। लेकिन जो मसला आपके सामने है और एक विधायक अपने सुबूतों के साथ कह रहे हैं क्या आपके इतना कहने से वह बात खत्म हो जायेगी। ऐसी बात हो कि वह बात खत्म हो जाय और दूसरा विषय हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं वहीं अपनी बात खत्म करूँगा। यह तो मंत्री जी कह चुके हैं।

श्री आलम बदी-

यह जो कह रहे हैं सच है। अपने गिरेबां में झांक कर देखिये हम कहां जा रहे हैं? सब एक गंगा में नहा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से एक आग्रह करना चाहूँगा कि विधान सभा और लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाहियों पर पहले नहीं होता था यह काम लेकिन आज रिसर्च होती है, लोगों को पी0एच0डी0 एलाट

होती है। यहां के कामों को आने वाले जमाने में और आने वाले जमाने में नहीं बल्कि 2-4 साल में विधान सभा की कार्यवाहियां को पढ़ा जायेगा। जहां विधान सभा की कार्यवाहियों में बहुत सी बुरी बातें पढ़ी जायेंगी, यह बातें भी पढ़ी जानी चाहिए कि यहां पर इस बात पर विचार रखे गये। आने दीजिए इन बातों को, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि हमने क्या खोया और यह गलती हमारी आने वाली नई नस्ल न करे। कितने अच्छे व्यक्ति डाक्टर साहब। यह कितने साम्प्रदायिक हैं। मैं जानता हूँ एक ऐसा शख्स जिसने जिन्दगी में कोई बुरी बात नहीं की हो, जिसने कभी कमीशन न लिया हो, कभी रिश्वत न ली हो, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब वह अपनी आंखों के सामने पाप होते देखता हो, अपनी जिन्दगी की गाढ़ी कमाई को लुटते हुए देखता हो। मेरी यह सारी बातें सरकार के सरकिस तक पहुँच रही है। जहां चोट देना चाहता हूँ, चोट पहुँच रही है। चोट तो पड़ेगी हाँ यह बात अलग है कि इतना सुधार न हो सके जितना मैं चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वे खुद बखुद सक्षम मंत्री हैं। ईमानदार लोगों में हैं, मजबूत लोगों में हैं। इनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं है बचाने की। मैं मंत्री जी से कहूँगा और सरकार की तरफ से भी कहना चाहूँगा कि सुविधा के साथ जो चीज मुहैया है उसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

(मेजें थपथपाई गयी)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जब मैंने बहस शुरू की थी कतई मेरे दिमाग में यह बात नहीं थी, यह पक्ष और विपक्ष या दल का प्रश्न है। यह सम्पूर्ण सदन का प्रश्न है सबको मिलकर समर्थन नहीं करना है कहीं इसमें विधायक निधि की बदनामी करने की बात नहीं है मैं स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर कालिदास की संज्ञा नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ न कहकर सम्पूर्ण चीजों को आंखें मूंदकर भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं आभारी हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी का और मंत्री जी का, जैसा प्रतिपक्ष नेता ने कहा कुछ न कुछ प्रयास होना चाहिए व्यवस्था में इस तरह से रोना और मजबूर न होना पड़े।

श्री राजपाल त्यागी-

डा0 साहब मैंने शुरू में ही कहा था जो कठिनाई है उसकी जांच करायेंगे, सख्त कार्यवाही होगी, कोई भी चीज आई है शिकायत के रूप में, मैंने खासतौर से सी0डी0ओ0 का उदाहरण दिया जिसको मुख्यमंत्री जी ने मेरी संस्तुति पर सस्पेंड कर दिया मैं सदन को पुन: आश्वासन देना चाहता हूँ विधायक निधि में कोई शिकायत किसी माननीय सदस्य की मिले, वह हमें दे, उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही क .ी दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा। विधायक निधि, अच्छी निधि है जिससे प्रदेश का विकास होगा, और ज्यादा विकास होगा पूरे सदन के सदस्यों की सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि विधायक निधि में बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुरूप न होने से बड़ी मात्रा में अधोमानक दवायें उपलब्ध होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सामान्य जनता के स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री उपाध्यक्ष-

हम चाहते हैं एक बार बात आ जाये, बहुत सारी चीजें हैं, इसको कल ले लेंगे, चर्चा जारी रहेगी।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

ठीक है चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 51 ले रहा हूँ। आज दिनांक 05 अगस्त, 2004 को नियम-56 की तीन सूचनाओं को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया गया है इस प्रकार नियम-51 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनाएं प्राप्त हुई:-

पहली सूचना श्री डा0 विनोद तिवारी की जो जनपद पीलीभीत स्थित आवंतीबाई जिला पंचायत इण्टर कालेज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री सलिल विश्नोई की जो कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा सुश्री मनमोहन कुमारी मल्होत्रा विकलांग व वृद्ध महिला के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ 'मोती सिंह' की जो जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूर्व घोषित विभिन्न निर्माण कार्य, पेयजल एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जो जनपद हरदोई के ढकपुरा गांव के पास कुंडा नाले पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्रीमती माया प्रसाद की जो जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से गांव को बचाने हेतु बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जो जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित करने एवं सरकारी देयों की वसूली माफ किये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी की जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अप्रेन्टिसशुदा नौजवानों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 पी0के0 राय की जो जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज अन्तर्गत बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ से विस्थापित गांवों को आवासीय भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जो कानपुर रोड, इलाहाबाद शहर के मोहल्ला कहारगल्ला के लिए नये विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन लगाये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री मदन चौहान की जो जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में गंगा के किनारे शव दाह स्थल के सुधार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री रामकृपाल की जो प्रदेश की कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 12वीं सूचना श्री राजेश कुमार की जो जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 13वीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जनपद रायबरेली के मुराईबाग-जगतपुर मार्ग पर कन्धरपुर मोड़ स्थित क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 14वीं सूचना श्री रामहेत की जो जनपद सीतापुर में सीतापुर से गोला मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 15वीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की जो वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास खण्ड के अन्तर्गत ड्रेन की सफाई व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 16वीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जो जिला चिकित्सालय सदर आजमगढ़ में सरकारी दवाई न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 17वीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जो आगरा शहर में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 18वीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह की जो जौनपुर नगर की विद्युत वितरण व्यवस्था ठीक कराने हेतु अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। 19वीं सूचना श्रीमती राजरानी रावत की जो जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर अन्तर्गत सिल्ट की सफाई न होने से नहरों में टेल तक पानी न पहुँचने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, 20वीं सूचना श्री मुंशी

लाल गौतम की जो प्रदेश में हो रहे दलितों के उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। 21वीं सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की जो जनपद झांसी स्थित मऊ रानीपुर नगर व देहात के गांव में विद्युत की जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। 22वीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की जो प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगमों के अन्तर्गत गृह कर हेतु स्वकर प्रणाली को आयुक्त मेरठ द्वारा मेरठ नगर निगम में लागू न कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईः-

1.श्री राम प्रताप सिंह, 2.श्री श्याम सिंह अहेरिया, 3.श्री हरि प्रताप सिंह, 4.श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, 5.श्री श्याम देव राय चौधरी, 6.श्री राम करन आर्य, 7.श्री शिशुपाल सिंह यादव, 8.श्री बीजू पटनायक, 9.श्री सुशील चौधरी, 10.श्री लल्लू सिंह, 11.डा0 अरूण कुमा मेहरोत्रा, 12.श्री नवाब सिंह नागर, 13.मो0 जिआउद्दीन रिजवी, 14.श्री आलम बदी, 15.श्री अनुग्रह नारायण सिंह 'अखोखा सिंह', 16.श्री प्रमोद गौड़, 17.श्री अक्षयवर लाल गौड़, 18.श्री अरूण वीर सिंह, 19.श्री सुरेश कुमार खन्ना, 20.डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, 21.श्री इन्द्रजीत सरोज, 22.श्री श्रीराम भारती, 23.श्री आर0एस0 कुशवाहा, 24.श्री रिजवान अहमद, 25.श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना', 26.श्री महेन्द्र कुमार सिंह, 27.श्री राम इकबाल सिंह, 28.प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर, 29.श्री कौशल किशोर, 30.श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, 31.श्रीमती विद्या चौधरी, 32.श्री प्रागी लाल अहिरवार (दूसरी सूचना) और 33.श्री मुंशी लाल गौतम (दूसरी सूचना)।

जनपद प्रताप गढ़ के पट्टी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृत किये जाने की घोषणा के उपरान्त भी पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी से इस मद को स्थगित किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, अतः इसे स्थगित किया जाता है।

जनपद सुल्तानपुर में सांसद निधि द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण में कार्यदायी संस्था और डी0आर0डी0ए0 सुल्तानपुर की मिलीभगत से किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री ओ0पी0 सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि वर्ष 2003-04 में जनपद-सुल्तानपुर में.....

.डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वक्तव्य पढ़ा मान लें।

श्री उपाध्यक्ष-

पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सांसद निधि से 05 सड़कों के निर्माण हेतु इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन नाम एन0जी0ओ0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था, जिसमें बढ़ैयावीर नाले के बगल से श्री मनीराम पाण्डेय के घर तक जाने वाली सड़क के लेपन स्तर तक का कार्य भी है, इस मार्ग के कुछ कार्य को संस्था द्वारा कराया गया परन्तु अवशेष कार्य उसी तरह पड़ा हुआ है, जिससे जनता को आवागमन में परेशानी होती है। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अभियन्ताओं व अधिकारियों की मिली भगत से घोटाला किया गया है तथा मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण न होने पर भी कार्यदायी संस्था को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, जबकि प्राविधान यह है कि 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने एवं उसके सत्यापन के पश्चात् ही जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दूसरी किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाती है।

2- मा0 सदस्य द्वारा इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 31 जुलाई 2004 द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रकरण में जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया था, किन्तु चूँकि सांसद निधि की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जाती है, अतः उक्त शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2004 द्वारा श्री राजीव अग्रवाल, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस निर्देश के साथ जांच अधिकारी नामित किया गया है कि वह तत्काल मौके पर जा कर प्रकरण को प्रस्तुत करेंगे। उक्त जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।]

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)-

उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यह भी विधायक निधि से सम्बन्धित मामला है, जिसमें मैंने कल ही अपने सचिव को जांच के आदेश दिये हैं। जिससे सम्बन्धित मामला है, वही जांच करे यह जैसे ही यह मेरी जानकारी में आया, मैंने जिलाधिकारी से जांच वापस लेने के लिए आदेश दिये हैं। उक्त मामले में विशेष सचिव को जांच कर रिपोर्ट देनी है, जांच रिपोर्ट आते ही आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद डा0 राघवराम, अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ की नियुक्ति का कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री हरि प्रताप सिंह.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक: 02-8-2004 को यह सूचना दी गयी थी कि डा0 राघव राम, अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंशरी का लखनऊ जनपद में नियुक्ति का कार्यकाल 12 वर्ष 06 माह से अधिक हो गया है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन न होने की वजह से सरकार की मंशा संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

2- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सरकारी चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति शासनादेश सं0-2711/सेक-2-पांच-04-6[2]/04, दिनांक: 10-6-2004 तथा आदेश संख्या-3138/सेक-2-पांच-04-6[21]/04, दिनांक: 05-7-2004 द्वारा निर्धारित की गयी है। उक्त स्थानान्तरण नीति में चिकित्सा सेवा के उप मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर श्रेणी-"क" के अधिकारियों की एक जनपद में अधिकतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गयी है।

3- स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आने वाले चिकित्साधिकारियों के प्रस्ताव सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा प्राप्त हुए थे जिसमें डा0 राघव राम, अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंशरी, लखनऊ की जनपद लखनऊ में कुल तैनाती की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं दर्शायी गयी थी। महानिदेशक की सूचना के अनुसार डा0 राघव राम, अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी को लखनऊ जनपद में कुल तैनाती की अवधि 12 वर्ष 06 माह है। अतः इनके स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है तथा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बनध में अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।]

लखनऊ महानगर की अविकसित कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि लखनऊ उ0प्र0 की राजधानी होने के साथ साथ उसे महानगर का दर्जा भी प्राप्त है। लखनऊ महानगर के विकास के साथ अनेक ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिए गये एवं इन ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि सहकारी आवास समितियों के माध्यम से खरीद कर जरूरत मन्द लोगों द्वारा उस पर भवन निर्माण कराया गया। लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत ऐसी अविकसित कालोनियों को अवैध कालोनियों की संज्ञा दी गयी है और नगर निगम द्वारा यहां कोई मूलभूत सुविधा

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदान नहीं की जाती है। इन कालोनियों को वैध घोषित न किये जाने तथा मूलभूत सुविधायें प्रदान न किये जाने के कारण जनमानस में आक्रोश है।

2- उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि लखनऊ नगर निगम की सीमा में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न सहकारी आवास समितियों व कालोनाइजर्य द्वारा भूमि खरीदकर प्लाटिंग की गयी है, किन्तु उन्हें न तो विकसित किया गया है, न कोई अवस्थापन सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं और न ही लखनऊ विकास प्राधिकरण से भू-विन्यास स्वीकृत कराकर विकास शुल्क आदि जमा किया गया है। ऐसे अस्वीकृत एवं अनियोजित कालोनी में नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराने में अत्यधिक धनराशि अपेक्षित होने के कारण नगर निगम द्वारा नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराया जाना नियमानुकूल नहीं है। ऐसी कालोनियों को वैध घोषित कराना तथा समुचित विकास सुनिश्चित कराना उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास योजना, 1973 के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में आता है।

3- अनियोजित कालोनियों का भू-विन्यास स्वीकृत कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। इन अनियोजित कालोनियों को नियमित/विकसित करने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के बाद ही नगर निगम द्वारा अनुरक्षण कार्य कराया जाता है।]

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची न बने होने की जो सूचना प्राप्त हुई है, वह त्रुटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि विभाग में आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची शासनादेश संख्या-2807/71-2-2001-सी0डब्लू-11/98, दिनांक 13-8-2001 द्वारा जारी कर दी गयी है किन्तु उक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-920/2001 डा0 श्याम किशोर उपाध्याय व अन्य बनाम राज्य सरकार में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 14-6-2002 द्वारा उक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी के पदों पर नियमित चयन की कार्यवाही हेतु रोक लगायी गयी है, जिसके कारण उक्त सूची के आधार पर कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाहक रूप से क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी के पद पर तैनाती की जा रही है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन के आदेश संख्या-2607/71-2-2004, दिनांक-1-6-2004 द्वारा डा0 दिनेश कुमार अग्रवाल, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पहाड़पूर जनपद अलीगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद का पदभार सौंपा गया। उक्त आदेश डा0 भाष्कर प्रसाद राय, कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद के दिनांक-30-6-2004 को सेवानिवृत्त होने के बाद दिनांक-1-7-2004 से लागू किया गया।

शासनादेश संख्या-2807/71-2-2001-सी0डब्लू-11/98, दिनांक-13-8-2001 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार डा0 दिनेश कुमार अग्रवाल जनपद फर्रूखाबाद के वरिष्ठतम् चिकित्साधिकारी हैं, जिनका वरिष्ठता क्रमांक-212 है। डा0 अग्रवाल वर्ष 1985 के लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित चिकित्साधिकारी हैं। डा0 सुरेश चन्द्र भाष्कर, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सरांय प्रयाग, कन्नौज की सेवायें शासनोदश संख्या-385-सेक-9/पाँच-305/90, दिनांक-21-1-1991 द्वारा विनियमित की गयी हैं। इस प्रकार डा0 भाष्कर डा0 अग्रवाल से कनिष्ठ हैं।

उक्त के अतिरिक्त जनपद फर्रूखाबाद में तैनात अन्य सभी चिकित्साधिकारी डा0 अग्रवाल से कनिष्ठ हैं। अत: डा0 अग्रवाल को निर्धारित नीति के अन्तर्गत ही वरिष्ठता के आधार पर कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद का पदभार सौंपा गया जिसके कारण उक्त पदभार किसी अन्य चिकित्साधिकारी को दिये जाने का औचित्य नहीं है।]

जनपद मऊ के सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज भदाँव से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला हलधरपुर के सहायक अध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह का वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में छोटे लाल यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय सदस्य के द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत प्रेषित सूचना में.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह उल्लेख किया गया है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज, भदाँव जनपद मऊ से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशालया में श्री अशोक कुमार सिंह की नियुक्ति वर्ष 1998में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी तब से वह लगातार सेवारत हैं, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं परन्तु अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। श्री अशोक कुमार सिंह के द्वारा मा0 न्यायालय में रिट दायर की गयी। न्यायालय ने आदेश दिया परन्तु उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2- मा0 सदस्य की सूचना के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज, हलधर पुर, मऊ एक सहायता प्राप्त विद्यालय है। इसमें कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों का भुगतान राजकोष से हो रहा है। सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज हलधरपुर से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के 12 शिक्षकों का वेतन भुगतान वर्ष 1989 से राजकोष से हो रहा है। कालान्तर में तथाकथित स0अ0 श्री अशोक कुमार आदि के द्वारा वेतन भुगतान हेतु उक्त विद्यालय में पद सृजन एवं नियुक्ति के फर्जी आदेश के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गयी तथाकथित सहायक अध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह के द्वारा उक्त याचिका में जिन प्रपत्रों को संलग्नक के रूप में लगाया गया है वह प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किये गये हैं न हीं डिस्पैच पंजिका पर उनका अंकन है। मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में विभाग की ओर से प्रतिवाद किया जा रहा है। प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।]

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन की मरम्मत तथा सड़कों का उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री मुंशीलाल गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य, द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[बुलन्दशहर में स्थिति राजकीय कन्या इण्टर कालेज, के भवन में कुल नौ कक्षा कक्ष निर्मित हैं, जिनमें से छः कक्षा कक्ष सामान्य स्थिति में हैं तथा तीन कक्षा-कक्षों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है। प्रधानाचार्या को निर्देश दिये गये हैं कि जीर्ण-शीर्ण कक्षा कक्षों मे छात्राओं को न बिठायें तथा जीर्ण-शीर्ण कक्षा-कक्षों में अध्यापन कार्य न करायें।

नगरपालिका शिकारपुर द्वारा सड़कों के उच्चीकरण/सुदृणीकरण के कारण विद्यालय परिसर सड़क स्तर से नीचे हो गया है। प्रधानाचार्या को निर्देश दिये गये हैं कि जल निकासी के लिए तकनीकी निर्माण इकाई से परामर्श कर जल निकासी हेतु आगणन प्रस्तुत किया जाय।

विद्यालय में नवनियुक्त प्रधानाचार्या ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब शिक्षिकाओं की उपस्थिति सन्तोषजनक रहती है। शिकारपुर में अन्य माध्यमिक विद्यालयों में भी छात्राओं के शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है, जिससे छात्राओं के शिक्षण कार्य में कोई बाधा नहीं है।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जालौन में ए0डी0ओ0 विद्युत कालपी द्वारा तार टूटने से जले व्यक्ति की शिकायत करने गये नागरिकों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (वितरण), झांसी.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[क्षेत्र ने अपने कार्यालय पत्रांक-1912 म0प्र0/झांसी/पी0एफ0/ दिनांक 27-7-2004 से उपरोक्त प्रकरण की जांच हेतु श्री ओ0डी0 भार्गव, उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, झांसी को जांच समिति का अध्यक्ष नामित किया। जांच समिति की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकला है कि उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध शिकायत सही पायी गयी तथा उपखण्ड अधिकारी के खिलाफ निम्न कार्यवाही की गयी:-

1- महा प्रबन्धक (वितरण), झांसी क्षेत्र द्वारा प्रबन्ध निदेशक, आगरा को महा प्रबन्धक कार्यालय के पत्रांक-2034 म0प्र0/झांसी/पी0एफ0/ श्री आगा हसन सलमान/ ए0ई0, दिनांक 02-08-2004 को श्री आगा हसन सलमान, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, कालपी को निन्दा प्रविष्टि तथा स्थानान्तरण की संस्तुति की गयी है।

2- उपखण्ड अधिकारी द्वारा दायर मुकदमा के विषय में विवेचना अधिकारी द्वारा की गयी जांच के आधार पर ही न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3- जनहानि, पशुहानि के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा नियमानुसार जांच एवं संस्तुति के आधार पर विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

जनपद आजमगढ़ में तहबरपुर ब्लाक के अन्तर्गत टोंस नदी पर बनेहरा नियाउज घाट पर पुल निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में भी राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद आजमगढ़ में तहबरपुर.....

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ब्लाक के अन्तर्गत, आजमगढ़ फूलपुर बेलवाई प्रमुख जिला मार्ग के कि0मी0-25 से, लाहीडीह नियाउज लोक निर्माण विभाग के तारकोल लेपित 3 कि0मी0 मार्ग से जुड़ा हुआ है। ग्राम बनेहरा से ढाई कि0मी0 खड़न्जा मार्ग उपलब्ध है जो समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत निर्माणधीन पण्डिताइन की पुलिया से चकिया दुबे रामपुर 5.50 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग को जोड़ेगा। इस प्रकार यह ग्राम सोफीपुर मसलम पट्टी मार्ग के कि0मी0-8 से जुड़ जायेगा।

2- मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियाउज घाट से बनहरा के बीच टोन्स नदी पर सेतु निर्माण का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित 5x25 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 सेतु की आवश्यकता होगी जिसकी अनुमानित लागत पहुँच मार्ग सहित 374.00 लाख आयेगी। प्रस्तावित सेतु स्थल से लगभग 10.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम में समसाबाद खुरासों मार्ग पर 5x25 मीटर स्पान का आर0सी0सी0 पुल उपलब्ध है तथा डाउन स्ट्रीम पर 15.00 कि0मी0 पर 5x25 मीटर स्पान का आर0सी0सी0 पुल उपलब्ध है। अत: प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रस्तावित स्थल पर लगभग रू0 374.00 लाख का सेतु निर्माण सम्प्रति सम्भव नहीं है।]

बहराइच जिले के राजस्व विभाग में व्याप्त अराजकता से उत्पन्न स्थिति पर श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष-

इसमें माननीय सदस्य श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी का इसको स्थगित करने का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है। अत: स्थगित किया जाता है।

जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड रोहनिया में ग्राम परसीपुर में अम्बेडकर ग्राम सराय अखितयार तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद रायबरेली में सलोन-ऊँचाहार.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मार्ग के कि0मी0 14 में उमरन से परसीपुर सम्पर्क मार्ग 4.50 कि0मी0 की लम्बाई में लेपि सतह तक स्वीकृत है। उमरन बाजार से परसीपुर की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है, जिसका लेपन कार्य पूर्ण है। यह कार्य जलनिगम द्वारा किया गया है। परसीपुर से सराय अख्तियार अम्बेडकर ग्राम, मार्ग की लम्बाई लगभग 4.50 कि0मी0 है। इस मार्ग के शुरू के 600 मीटर भाग से पत्थर स्तर तक का कार्य जल निगम द्वारा किया गया है। परसीपुर से सरायं अख्तियार अम्बेडकर ग्राम मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में 132 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[निर्माणाधीन 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तथा उससे सम्बन्धित 132 के0वी0 प्रतापगढ़-पट्टी पारेषण लाईन का निर्माण कार्य पावर फाइनेंस कारपोरेशन से स्वीकृतऋण योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। उपकेन्द्र के कन्ट्रोल रूम का कार्य प्रगति पर है। लगभग सभी आक्जलरी एवं मेन फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। अर्थमेट का कार्य प्रगति पर है। उपकेन्द्र हेतु उपकरण के आवंटन की व्यवस्था की जा रही है। 132 के0वी0 प्रतापगढ़-पट्टी लाइन के 80 नग फाउण्डेशन में से 71 नग फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है। उपकेन्द्र के उर्जीकरण का लक्ष्य मार्ग 2005 है।

जनपद प्रतापगढ़ के ढकवा में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र पावर कारपोरेशन के द्वितीय प्रणाली के अनुमोदित कार्यों में सम्मिलित था। उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित 33 के0वी0 लाईन की अनुमानित लागत लगभग रू0 106.00 लाख है। लागत रूपये 1.00 करोड़ से अधिक होने के कारण इसकी परियोजना नियमाक आयोग को स्वीकृति हेतु वर्ष 2001-02 में प्रस्तुत की गयी थी। किन्तु उन्होंने अनुमोदन प्रदान नहीं किया। उक्त परिप्रेक्ष्य में ढकवा में अनुमोदित 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। वर्तमान परिस्थितियों में सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत भार बढ़ने के कारण क्षेत्रीय तकनीकी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर विद्युत नियामक आयोग को उपकेन्द्र के अनुमोदन हेतु पुन: प्रस्तुत किया गया है। इस उपकेन्द्र के जनपदीय कार्य लगभग पूर्ण होने, सम्बन्धित 33 के0वी0 लाईन के सभी खम्भे खड़े किये जाने के कारण इसमें सामग्री की चोरी की संभावना बढ़ती जा रही है। अत: इस उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य पुन: प्रारम्भ कराया जा रहा है। इस हेतु पावर कारपोरेशन द्वारा मार्च 2004 में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। उपकेन्द्र को शीघ्रातिशीघ्र चालू कराया जायेगा।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकर नगर में बिसुही, महरूवां आदि कतिपय घाटों पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद अम्बेडकर नगर (फैजाबाद).....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मैं महरूवा से मिझौड़ा होते हुए गोसाई गंज मार्ग पर बिसुही नदी के नरायनपुर घाट पर 70.40 मीटर लम्बाई के सेतु निर्माण हेतु रू0 164.36 लाख की लागत का आगणन प्राप्त हुआ था। जिसे प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से परीक्षण कराया गया। प्रभाग द्वारा उक्त आगणन रू0 145.63 लाख की लागत पर मूल्यांकित किया गया है। प्रश्नगत सेतु का प्रस्ताव आर0आई0डी0एफ0-7 योजना में अनुमोदित नहीं है बल्कि आर0आई0डी0एफ0-9 योजना के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषण की सहमति का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर सहमति न मिलने के कारण प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति का प्रस्ताव नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया, परन्तु त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।]

प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों से लिया जाने वाला शुल्क राजकीय अस्पतालों के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में दि028 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-12 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 26 जुलाई को मेरे दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसलिए मैंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा के लिए आग्रह किया था। मान्यवर, हम सब अवगत हैं कि प्रदेश के अन्दर सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कालेज चलते हैं, सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं और निजी क्षेत्र के भी नर्सिंग होम, तथा निजी अस्पताल चल रहे हैं यह देखने में आता है कि जब कोई मरीज या रोगी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती होने के लिए जाता है अगर कोई सामान्य बीमारी है तो उसे भर्ती कर लेते हैं लेकिन यदि एक्सीडेण्टल केस है तो कोई प्राइवेट नर्सिंग होम या निजी अस्पताल एडमिट नहीं करता है। क्या यह सही है कि कोई मरणासन्न व्यक्ति पहुँचे और नर्सिंग होम उसे भर्ती न करे और जब नर्सिंग होम के अन्दर कोई मरीज भर्ती होता है तो उससे मनमानी फीस वसूल की जाती है। अगर कोई मरीज एक सप्ताह किसी नर्सिंग होम में भर्ती हो जाये तो सामान्य केस में 20-30 हजार रूपये खर्च आता है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इस तरह के पेमेण्ट के सम्बन्ध में कोई रास्ता निकाला जाये। इसकी व्यवस्था की जाये। मैं भी एक साल तक चिकित्सा शिक्षा मंत्री था तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ हम लोगों

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ने विचार विमर्श किया कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मेरा सुझाव है कि निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स बहुत ज्यादा शुल्क लेते हैं, चाहे वह बैड, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड हो इन सबका शुल्क बहुत ज्यादा होता है। अगर इसकी सीमा तय कर दिया जाये तो रोगियों और उनके अभिभावकों का शोषण कम होगा। इतना ही नहीं अस्पताल के अन्दर भर्ती रोगी से तमाम प्रकार के परीक्षण कराये जाते हैं तथा जहां से वह टेस्ट करवाते है वहां से उनका कमीशन बंधा होता है। यह भी गंभीर समस्या है। इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक डाक्टर है, तीन डाक्टर अगर विजिट करेंगे तो सभी का शुल्क उस रोगी से उसके अभिभावक को देना पड़ता है। जो दवाएं उपलब्ध हैं वह दी जाती हैं और मनमाने ढंग से पैसा लिया जाता है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं इसमें आग्रह करना चाहता हूँ कि जो निजी नर्सिंग होम हैं, अस्पताल हैं इनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, इनका शुल्क निर्धारित किया जाय जिससे शोषण न हो सके। मान्यवर, दूसरे नामों से कितने नर्सिंग होम चलाये जाते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में डाक्टर्स प्रेक्टिस करते हैं। कहां पर संकोच है। मैं तो कहता हूँ कि कड़ाई के साथ इसमें कार्यवाही की जानी चाहिए। आज हमारे मेडिकल कालेज की व्यवस्था को ठीक नहीं करा पाये हैं। आज उसकी व्यवस्था चरमरायी है। जो गरीब व्यक्ति हैं वह सरकारी अस्पताल में जाता है। जो वी0आई0पी0 हैं उनको तो वहां के डाक्टर देख लेंगे और दवा बता देंगे। आज सामान्य व्यक्ति के अलावा और कोई व्यक्ति मेडिकल कालेज में जाना पसन्द नहीं करेगा। उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। यही विन्दु मैं इस चर्चा के माध्यम से उठाना चाहता हूँ और सरकार से जवाब चाहता हूँ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री.(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, सरकार ने कोशिश की है इन चीजों को खास तौर से देखने की। हालांकि यह तस्करा करने की जरूरत नहीं है कि चिकित्सा पर कितना जोर है। पर्चा सस्ता किया गया, जांच का पैसा कम किया गया यह तो मुखतलिफ है। बात वही आती है कि देने वाला भी मुजरिम और लेने वाला भी मुजरिम। यह बात यही विभाग की नहीं है हर विभाग में यह हरकत हो रही है। यह सरकार के संज्ञान में आया है हम इसको दिखवाते हैं। दिखवाना क्या है जितनी बेहतर कार्यवाही होगी उतनी बेहतर कार्यवाही हम करेंगे। सरकार को बहुत बुरा हाल मिला है थोड़ा वक्त लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर करके दिखायेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

निजी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक कराना है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

निजी नर्सिंग होम में गरीब कहां जाता है। आम आदमी जिसकी आमदनी सौ, पचास रूपया है वह तो जाता नहीं है। वह जिला अस्पतालों में जाता है। जो सम्पन्न व्यक्ति हैं वहीं जाते हैं और उससे वह मांगते हैं। हम उस पर अंकुश लगायेंगे। जितना बेहतर हो सकता है वह किया जायेगा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना विषयक दिनांक 27 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या-96 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

इस पर मैंने प्रश्न दिया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना किये जाने का, उसी के सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का

प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। चार प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद भी है। इसकी पुरानी ख्याति थी और आज भी है। मुझे सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। 1991-92 में पांच सौ से अधिक शिक्षकों के बैठने के लिए चर्चा करने के लिए सांस्कृतिक केन्द्र का कोई प्राविधान नहीं था। 91-92 में सात लाख रूपया स्वीकृत किया था। मान्यवर, फिर 1997-98 में 42.99 लाख रूपये इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ, वह भवन अभी तक बन कर तैयार नहीं हुआ है। मान्यवर, जब किसी कार्य के लिए कोई भी पैसा सरकार से स्वीकृत किया जाता है तो पहले उसका स्टीमेट बनता है, आंगणन बनता है फिर वह सरकार के पास आता है तब वह पैसा दिया जाता है, मैं इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1991-92 में जो स्टीमेट बना था उसके अनुसार पैसा दिया गया था और कार्य कब से प्रारम्भ हुआ, फिर 1997-98 में रिवाइज स्टीमेट आया था और उसके लिए 42.99 लाख दिया गया लेकिन आज 2004 चल रहा है, इतने वर्ष हो गये अभी तक वह भवन पूर्ण नहीं हुआ है। यह सीधे-सीधे अनियमितता का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है कि जब इसका स्टीमेट बनाया गया था तभी समय के अन्दर निर्माण क्यों नहीं किया गया और इसके लिए मैं मानता हूँ कि सीधे निर्माण एजेन्सी ही दोषी है, वह रिवाइज स्टीमेट मांगते जायें और हम देते जायें यह उचित नहीं है। मान्यवर, समय-समय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए सरकार द्वारा अनेक बार धनराशि स्वीकृत की गयी है और दी गयी है, मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ जैसे- इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर्मचारियों के आवासीय सुविधा के लिए 47.05 लाख रूपये 97-98 में दिये गये थे, इसी तरह से एक अन्य कार्य के लिए लगभग 61 लाख रूपये 97-98 में ही दिये गये।

मान्यवर, यहां पर तीन पीठ बने हुए हैं इसके लिए भी सरकार ने 98-99 में श्री मेघनाथ चेयर के लिए 70 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं, संस्कृति विभाग में पण्डित गंगा नाथ झा पीठ के लिए 50 लाख रूपये, हिन्दी विभाग में सूर्य कान्त त्रिपाठी 'निराला' के लिए 70 लाख रूपये स्वीकृत किये, मान्यवर, अभी तक इन तीनों पीठों पर नियुक्तियां नहीं की गयी हैं, हमने भी इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जितने भी पैसे उस कार्य के लिए दिये गये हैं, उसकी पूरी जांच करवा लें, आखिर कार्य समय से क्यों नहीं हुआ और उसकी गुणवत्ता क्या है? जहां तक तीनों पीठों को भरने की बात है तो इसके लिए मैंने कुलपति महोदय से कहा कि इनको तत्काल भर दिया जाये जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, डा0 गौर साहब की जो चिन्ता है वह वाजिब है और चिन्ता होनी भी चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए 1992 में 07 लाख रूपये स्वीकृत किये गये थे, माननीय गौर साहब ने स्वयं स्वीकार किया है। इनकी सरकार थी और यह मंत्री थे, इसके बाद 1998 में रिवाइज स्टीमेट 42.99 लाख रूपये का था, 1998 में भी आपकी ही सरकार थी और शिक्षा मंत्री के रूप में शायद आप ही थे, लेकिन उस समय आपको चिन्ता नहीं हुई कि 07लाख रूपये का स्टीमेट बढ़कर 42.99 लाख रूपये कैसे हो गयी, इसको किसने बढ़ने दिया? तब उसकी चिन्ता आपको नहीं हुई मान्यवर। मान्यवर, 1998 के बाद सरकार ने 42 लाख रूपये स्वीकृत कर दिये बिना कुछ जाने हुए। स्वीकृति करने के बाद यह जो कार्यदायी संस्था थी सी0 एण्ड डी0एच0 विभाग है जल निगम का, उसकी रिपोर्ट आयी और उसमें 1995-96 के इस्टीमेट के आधार पर स्वीकृति हुई है, 1997 में निर्माण दरों में वृद्धि हो गयी है इसलिए उसका रिवाइज्ड इस्टीमेट रूपये 59 लाख हो गया है। मान्यवर, सरकार के सामने मजबूरी थी कि इसमें कितना पैसा दें क्योंकि हमने 42 लाख रूपया स्वीकृत किया तो हमने उसमें कहा कि शेष जो 16 लाख रूपये का अन्तर है उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से देकर कार्यों को पूरा कराये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कहा कि यह विश्वविद्यालय घाटे में चल रहा है हम पैसा नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर, आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें सिविल कार्य पूरा हो चुका है। उसमें फर्नीशिंग, विद्युतीकरण और सैनेटरी का काम बाकी है जो हमें 16 लाख रूपये में पूरा करना था। मान्यवर, अब उसका फिर रिवाइज्ड स्टीमेट 34 लाख का आ गया। यह सब आपकी सरकार के समय का है। तो मान्यवर जो काम बाकी है सरकार को उसे पूरा कराना है क्योंकि हम 42 लाख रूपये दे चुके हैं। जो कुछ भी बचेगा, हम माननीय गौर साहब से अनुरोध करते हैं कि आपको इसमें चिन्ता है कृपया थोड़ा सा अपना विधायक निधि से पैसा देकर के इसको पूरा करा दीजिए। आप दे दीजिये तो हम फर्नीशिंग का काम करा देंगे। मान्यवर, इस देरी को करने के लिए कौन दोषी है जो इसमें बराबर रिवाइज्ड स्टीमेट आता रहा, हम उसकी जांच करायेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है अब हम मद संख्या-55 लेते हैं।

प्रदेश सरकार को राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण के अधिकार को बहाल कर दिये जाने के फलस्वरूप गन्ना किसानों को सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की भांति निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा गन्ना मूल्यों का भुगतान कराने विषयक दिनांक 29 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-7 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मा0 उपाध्यक्ष जी, यह विषय पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों से सम्बन्धित है जो लगभग उत्तर प्रदेश के अन्दर 30 लाख है। एक प्रश्न आया था उसमें चूँकि उत्तर संतोषजनक नहीं था इसलिए हम लोगों ने चर्चा के लिए अनुरोध किया था जिसे आपने स्वीकार किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर 1997 से 2002 तक जब बी0जे0पी0 की सरकार रही। एस0एम0पी0 गन्ने का 1997-1998 में जो भारत सरकार ने 48.45 रूपये तय किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सामान्य प्रजाति के लिए 75 रूपये और अग्रेती के लिए 80 रूपये तय किया। इसी तरह से 1998-99 में एस0एम0पी0 52.70 रूपये उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य प्रजाति के लिए 80 रूपये और अग्रेती के 85 रूपये तय किया। मान्यवर, 1999-2000 में एस0एम0पी0 56.10 रूपये की, उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य प्रजाति के लिए 85 और 90 रूपये तय किया। 2000-2001 में भारत सरकार ने एस0एम0पी0 59.50 रूपये तय की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य प्रजाति के लिए 90 रूपये और अग्रेती प्रजाति के लिए 95 रूपये मूल्य घोषित किया। मान्यवर, 2001-2002 में 62.05 एस0एम0पी0 निर्धारित की गयी। उस समय बी0जे0पी0 की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 रूपये अग्रेती प्रजाति के लिए और 95 रूपये सामान्य प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य निर्धारित किया। मान्यवर, अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक गन्ना मूल्य जो तय किया गया वह बीजेपी की सरकार में किया गया है। 2001-2002 में। 2002-2003 में जब बसपा की सरकार थी, उस समय निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का भुगतान जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य था उससे कम किया। इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार है। इस सरकार में गन्ने का मूल्य 95-100 रूपया निर्धारित किया गया लेकिन चीनी मिल सहकारी चीनी मिल द्वारा मात्र 95 रूपया प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है।

(टोका-टाकी से व्यवधान)

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है? इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बहन सुश्री मायावती को दोषी ठहराया है लेकिन यह भी बराबर के दोषी हैं, गन्ना विभाग इनके पास था।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष जी, 2003-2004 में इस पेराई सीजन में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा जो गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है बहुत ही कम किया जा रहा है। मेरे पास जो 52 निजी क्षेत्र की चीनी मिले हैं उनका आंकड़ा है। मैं कुछ चीनी मिलों का नाम लेना चाहता हूँ। नवाबगंज में 78.72 रू0 प्रति कुन्तल का भुगतान किया गया, सरदार नगर गोरखपुर में 78.72 रू0 प्रति कुन्तल का भुगतान किया गया, मलकपुर बागपत में 83.80 रू0 प्रति कुन्तल का भुगतान किया गया, धामपुर बिजनौर में 86.46 रू0 का भुगतान किया गया, स्योहारा बिजनौर में 88.05 रू0 का भुगतान किया गया, मझावली मुरादाबाद में 82.16 रू0 प्रति कुन्तल का भुगतान किया गया, अगवानपुर मुरादाबाद में 82.95 रू0 का भुगतान किया गया, धनौरा जे0पी0 नगर में 83.88 रू0 का भुगतान किया गया, असमौली मुरादाबाद में 85.60 रू0 का भुगतान किया गया और पीलीभीत में 85.50 रू0 प्रति कुन्तल का भुगतान किया गया। इसी तरह से 95 रू0 जो चीनी निगम और सहकारी चीनी मि: के लिए सरकार ने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है उसकी तुलना में निजी क्षेत्र का बहुत ही कम गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। मान्यवर, पहले कहा जाता था कि कोर्ट से स्टे है। उच्चतम न्यायालय ने 5 मई, 2004 को निर्णय दिया कि राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश के अन्दर अपना एसएपी निर्धारित करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार को इससे अधिकार प्राप्त हो गया कि वह निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर जो चाहे गन्ना मूल्य लगा सकती है। मेरा सीधा कहना यह है कि सरकार निजी क्षेत्र के चीनी मिलों से मिली हुई है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस जब हम लोग साथ में थे तो हम लोगों से ये मांग करते थे कि हरियाणा में यह गन्ना मूल्य है वही गन्ना मूल्य दिलाने की बात करते थे। लेकिन इस समाजवादी सरकार ने तो बहुत ही कम गन्ना मूल्य का भुगतान निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से कराया है। मान्यवर, जो एस0ए0पी0 का अवशेष 196.81 करोड़ रूपये, यह सरकार को निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से दिलाना है। 542.77 करोड़ रूपया और 2003-2004 का 232.68 करोड़ अन्तर दिलाया जाना है।

मान्यवर, मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि इस सरकार ने 2003-2004 का जो अन्तर है, उसका एक भी पैसा अभी तक गन्ना किसानों को भुगतान नहीं कराया है। यदि यह सरकार गन्ना किसानों के हित को सोचती तो निश्चित रूप से निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से पूरा गन्ना मूल्य दिलाती। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि 75 प्रतिशत गन्ना निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को जाता है और 25 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को जाता है। आपकी तरफ से भी बहुत से लोग मेरी बात से सहमत हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि गन्ना क्षेत्र से आते हैं इनको अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा। आज तो स्थिति यह है कि कोई गन्ना मंत्री पश्चिमी क्षेत्र में चला जाय तो लोग उसको दौड़ा लेंगे। हम लोग जब मंत्री थे तो किसानों के बीच में जाते थे और इस सरकार द्वारा 23 हजार गन्ना किसानों का सीधा शोषण किया जा रहा है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

आप यह बता दें कि कितना गन्ना बोये हैं?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं वैसे तो इलाहाबाद शहर से विधायक हूँ, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन मेरा गृह जनपद हरदोई है और मैंने ढाई साल गन्ना विकास मंत्री के रूप में काम किया है। और गन्ना किसानों की सेवा किया है। हमने अपने समय में 5093.77 करोड़ का भुगतान कराया है, जबकि इनकी सरकार ने मात्र 4 हजार 97 करोड़ का भुगतान ही किया है। इस चर्चा के माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से भी आम 100 रूपया प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करायेंगे?

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण गन्ने की चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने क्षेत्र की बात को कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर जनपद-पीलीभीत में है। वहां पर एक सहकारी चीनी मिल है, पिछले साल न चल पाने के कारण प्राइवेट चीनी मिल, बजाज चीनी मिल, पलिया और लीला सागर फैक्ट्री, पीलीभीत को गन्ना डायवर्ट किया गया था। सहकारी चीनी मिल 100 से 105 रूपये तक भुगतान करती है और इन मिलमालिकों ने कम रेट दिये थे। जब सरकार ने निर्णय ले लिया है और सुप्रीमकोर्ट ने निर्देश भी दे दिये हैं तो पूरनपुर क्षेत्र का जो पैसा बकाया है उसे तत्काल दिलाने की कृपा करें। पिछले साल को-आपरेटिव चीनी मिल के बन्द होने के आसार थे इसलिए गन्ना डायवर्ट किया गया था लेकिन इस बार पूरी क्षमता के साथ कार्य करने वाली है इसलिए मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि पूरनपुर चीनी मिल का रिजर्व एरिया, जो गांव उसके अन्दर आते हैं उन्हें कहीं और न भेजा जाये। मैं निवेदन करूँगा कि प्राइवेट चीनी मिलों के चंगुल से किसानों को बचाने का कष्ट करें। मैं सरकार से यह अपेक्षा करूँगा कि पूरनपुर क्षेत्र के किसानों के हित में उन्हें प्राइवेट चीनी मिलों के शोषण से बचाने का काम करें।

श्री मोहम्मद रिजवान-

मान्यवर, पूरी प्रक्रिया इन्होंने ही बिगाड़ी है, रेट भले ही बढ़ाया हो लेकिन जो पेमेंट रोका है, वह बहुत गलत है। किसानों का फायदा तभी होगा जब उसे हाथ के हाथ पेमेंट हो। पेमेंट बाद में देने की जो प्रक्रिया है अगर यह चलती रहेगी तो किसान का फायदा नहीं हो सकता। यह सारी स्थिति इन लोगों की बिगाड़ी हुई है, चाहे कहें गा न कहें। मैं सरकार को एक सुझाव देता हूँ कि सरकार मिल वालों को रेट-पेमेंट के बारे में रियायत न दें चाहे पांच रूपये कम मिलें लेकिन उसी दिन मिले। अगर इसमें गवर्नमेंट ने ढील बरती तो यही परेशानी फिर आयेगी। मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। एक काम गवर्नमेंट ने अच्छा किया है जो कि गन्ने के रेट बढ़ाये हैं क्योंकि बी0जे0पी0 सरकार ने हमेशा रेट गिराये हैं और मिलों से सांग-गांठ की है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप सभी लोग बैठ जायं और इस पर माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दे दें।

श्री कौशल किशोर-

डा0 गौर साहब गन्ने पर बोल रहे थे और अपने मुँह मियां मिट्ठू बन रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि शासन कांग्रेस का था तो माननीय नेता जी का जिस दिन शासन आया उसी दिन 4 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। पहले भाड़ा 2 रूपये कट रहा था उसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया लेकिन माननीय नेता जी ने उसे फिर से 3 रुपये के स्थान पर 2 रुपये कर दिया अर्थात बढ़ाया 4 रुपये लेकिन दिलवाया 5 रुपये। उसके बाद शासन आ गया आपका आपने रुपया बढ़ाया केवल 2 और भाड़ा बढ़ाकर 3 कर दिया अर्थात बढ़ाया 2 रुपया लेकिन दिलाया मात्र 1 रुपया। उसके बाद फिर नेता जी का शासन आया तो बढ़ाया 11 रुपये और जो भाड़ा 3 रुपये कर दिया था उसे फिर कम करके उन्होंने 2 रुपये कर दिया। उन्होंने 2 रुपये कर दिया। उन्होंने बढ़ाया 11 रुपये लेकिन दिलवाया 12 रुपया। एकदम से 12 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ा था। यह नेता जी के शासन काल में हुआ था उसके बाद शासनकाल आया आपका, आपने विदेश से शकर खरीदी और गन्ना मिलों को बिकवा दिया, तमाम किसानों ने गन्ना खेतों में जला दिया।. . . .

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, शक्कर विदेश से नहीं मँगवायी, पाकिस्तान से मँगवायी, पाकिस्तान से ही नहीं मँगवाई बल्कि नवाज शरीफ और उनकी प्राइवेट मिल से। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री से याराना निभाई।

डा0 कौशल किशोर-

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि-

कथनी मीठी खाँड़ सी, करनी विष की लोय,

कथनी छोड़ करनी करें, तो अमृत तुल्य होय।

गन्ने को छोड़ दीजिए आपके शासन काल में गेहूँ का कोई दाम नहीं रहा, धान का दाम नहीं रहा। जब जनता का ख्याल इस तरफ गया तो उसने आपको उधर बैठा दिया। आपने तो गन्ना किसानों पर गोली चलवायी। माननीय उपाध्यक्ष जी, गन्ने पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समयाभाव है इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

उपाध्यक्ष जी, मेरा सुझाव यह है कि खासतौर से गौर साहब ईटामारी न करें, छीटें बहुत आती हैं।

श्री राजेश कुमार-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने गन्ने की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान लखीमपुर खीरी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में दो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, एक गोला बाजाज ग्रुप में, बजाज शुगर मिल दूसरा बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, पलिया। मान्यवर, वहाँ पर क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना न ले करके जनपद पीलीभीत का गन्ना लिया जा रहा है और लखीमपुर के किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। मान्यवर, मेरी किसानों की तरफ से माँग है कि पहले लखीमपुर के किसानों के गन्ने की पेराई हो बाद में बचता है तो दूसरे जनपद का लिया जाए। दूसरी बात यह है कि माननीय गौर साहब ने बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहिन मायावती के ऊपर सीधा-सीधा आरोप लगाने का काम किया है। उनके शासन काल में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कौन गन्ना मंत्री था, किसकी जिम्मेदारी थी? भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में भी सरकार थी और माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनको गन्ने का रेट 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा चाहिए था, इसके लिए कौन दोषी है? . . . . .

बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनी उसमें जो ऊर्दू अनुवादकों को रखा गया था उसका सारा-सारा का सारा श्रेय समाजवादी पार्टी को गया था। उसी प्रकार से किसानों के साथ धोखा करने का काम जो भा0ज0पा0 ने किया था उसका सारा श्रेय भा0ज0पा0 को जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बलिया में एक ही चीनी मिल हैं, दि सहकारी चीनी मिल रसड़ा। बलिया में यह ही एक उद्योग है। यह सरकार कहती है कि किसानों की हितैषी हैं गांवों के गरीब की हितैषी है लेकिन इसका यह दावा खोखला है। पूरा सीजन बीत गया। शादी-ब्याह हुए किसान अपनी बेटी के लिए मंगलसूत्र भी नहीं खरीद

पाया क्योंकि किसान को मिल से पेमेण्ट नहीं मिला। दि सहकारी चीनी मिल रसड़ा में पेराई हुई 7 लाख 11 हजार क्विंटल की वर्ष 2003-04 में, जिसकी कीमत 6 करोड़ 55 लाख 47 हजार हुई, लेकिन पेमेण्ट हुआ केवल 2 करोड़ 63 लाख 89 हजार का, बाकी पैसा किसान का बाकी है। हमारे यहां एक कताई मिल थी जिसको बन्द कर दिया गया। माननीय संसदीय कार्यमंत्री उसको खोलेने नहीं दे रहे हैं। मिल के बन्द हो जाने से 5 हजार लोग बेरोजगार हो गये है, उस मिल को खुलवा दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। जिस जिले ने आजादी की लड़ाई में इतनी कुर्बानियां दी हैं और जिस जिलें में केवल एक ही उद्योग है वहां के किसानों का पेमेण्ट सरकार नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि पैसे के अभाव में किसान अपने बेटे-बेटियों का एडमीशन नहीं करा पायेंगे। मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गयी होंगी,
यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का।
जिन्होंने रौंद डाला सारी कलियों को,
वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का।।

नेता विरोधीदल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, इसका फैसला नहीं होगा कि हमारी सरकार ने क्या किया और आपकी सरकार ने क्या किया। असल बात यह है कि गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है यह यथार्थ है। सरकार ने स्वीकार किया है कि सितम्बर तक करा देंगे, सवाल है रेट का। लोक दल के अजीत सिंह ने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो 110-120 रूपये मूल्य दिलवाऊंगा। इसी तरह से हमारी सरकार ने घोषणा की और हमारे नेता सदन ने भी घोषणा की है, प्रश्न यह है कि गन्ना मूल्य किसान को मिलना चाहिए या नहीं। अगर मिलना चाहिए तो समय पर नहीं मिल रहा है और वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। यह सरकार की ड्यूटी है कि सही और समय पर मूल्य भुगतान करायें। प्राइवेट मिलें इतनी शक्तिशाली हो गयी है कि सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है। हालांकि हम यह दावा करते थे कि हमारा नियंत्रण है, हमने मिल मालिकों को पकड़कर जेल भेजा था। भुगतान के बारे में केवल दावों से कुछ नहीं होगा।

बीती हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इधर गन्ना मिल मालिकों की दशा में काफी सुधार हुआ है चीनी का मूल्य बढ़ गया है और मूल्य निर्धारण का आपको सुप्रीम कोर्ट से भी अधिकार मिल गया है। अब क्यों विलम्ब हो रहा है इसको करके छुट्टी करें। आप भले ही किश्तों में दे, लेकिन मूल्य का निर्धारण आप कर दें।

गन्ना मूल्य विषयक दिनांक 29 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-7 नत्थी (ख) पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी 10 मिनट समय बढ़ा दिया जाय।

संसदीय कार्यमंत्री, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)-

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 10 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

प्रदेश सरकार को राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण के अधिकार को बहाल करने के फलस्वरूप गन्ना किसानों को सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की भांति निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कराने विषयक 29 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या-7 नत्थी (ख) के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा

(क्रमागत)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूँ कि आपने समय दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा गौर साहब ने काफी बातें कहीं हैं। मैं देवरिया से चुनकर आता हूँ हमारे यहाँ 14 सरकारी चीनी मिल थी उस समय भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार थी। गौरी बाजार चीनी मिल के बारे में इन लागों ने ऐसा कुकर्म किया है कि वह न तो केन्द्र सरकार के अधीन है न उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। आज वहाँ सैकड़ों मजदूर भूखों मरने लगे हैं। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह चीनी मिल जो सबसे पुरानी चीनी मिल है मजदूर और किसानों का उससे रिश्ता जुडा है इनकी सरकार के काल में रामकोला में गोलियाँ चलवाई गई यह किसानों के कितने हमदर्द हैं। इनके शासन में पडरौना और बस्ती में मुंडेरवा में गोलियॉ चलवाई गई। तीन तीन बार गोलियॉ चलवाई गई। गौरीबाजार मिल केन्द्रिय वस्त्र निगम नई दिल्ली के अधीन चल रही है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मिल का बटवारा कर दीजिए। वह चीनी मिल हिन्दुस्तान में रहेगी कि पाकिस्तान में जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रहेगी तो गन्ना किसानों का भुगतान भी हो जाएगा और इस मिल का भी कल्याण हो सकेगा।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वामी ओइमवेश)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना की समस्या विकट समस्या है। नियम-49 पर चर्चा में जिन जिन महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। श्री गौर साहब ने आंकड़े देकर हमारी सरकार मुलायम सिंह सरकार को बदनाम करने की असफल कोशिश की है। यह समस्या कब उत्पन्न हुई अगर बीमारी के कारण का पता लगा लिया तो उसका समाधान हो सकता है। निराकरण हो सकता है। इस समस्या का वहाँ से प्रादुर्भाव हुआ हम भी कई बार मिलने जाया करते थे। मुख्यमंत्री मायावती जी यह कहा करती थी कि यह तो बी0जे0पी0 के खाते में है। टंडन जी इसका इलाज करेंगे। टंडन जी से जब बात करते थे तो वह कहते थे कि मुख्यमंत्री जी से बात करिए। समस्या वहॉ से उत्पन्न हुई है। हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम चीनी मिल मालिक से मिले हुए हैं। यह आरोप निराधार है आपको याद होगा आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा हमने एक माह पूर्व समय से एक मिल को चलाने का काम किया है।

मुजफ्फर नगर में जितनी भी निजी चीनी मिलें थी। उनके सारे के सारे जी0एम0 को बुलाकर, केन मैनेजर को,बुलाकर सीधे सीधे हमने कहा था कि यह तो समय पर मूल्य दीजिये या फिर जेल जाने की तैयारी करें। हमने एक माह पूर्व मिल चलाने का काम किया उससे किसानों की जो गेहूँ की बोआई होनी थी वह समय से करवाई। जहॉ पूर्व की सरकारों में आमरण अनशन, भूख हड़ताल, धरने प्रदर्शन होते थे जो किसानों के मसीहा बनकर गन्ने को जलाने का काम किया करते थे। हमारी सरकार के समय में कहीं पर भूख हड़ताल, धरना पर्दशन, आरमरण अनशन नहीं हुआ। माननीय मुलायम सिंह जी ने रिकार्ड तोड़ गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया है। आप लोगों को इसके लिये उन्हें बधाई देनी चाहिए थी। हमारी सरकार की तो आप लोग बुराई पर उतर गये हैं। केवल राजनीति कर रहे है। मैं गौर साहब को बताना चाहता हूँ कि गन्ने की समस्या के लिये 5-5-2004 को हाई कोर्ट का निर्णय हुआ और उसमें प्रदेश सरकार को राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त हुआ उसके

बाद गन्ना मूल्य भुगतान करने की कार्यवाही की गई। वर्ष 1996-97 में शास-नादेश दिनांक 15 नवम्बर, 1996 के द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिया जाने वाला परामर्शित गन्ना मूल्य शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिये मिल गेट पर रूपये 76/- कुन्टल तथा सामान्य प्रजातियों के लिये मिल गेट पर रू0 72/- कुन्टल निर्धारित किया गया। इसके बाद प्रदेश की निजी चीनी मिलों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट चायिका संख्या-36889/96 वेस्ट यू0पी0 शुगर मिल एसोशियेशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से चुनौती दी गई और मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11-12-96 द्वारा शासनादेश दिनांक 15-11-96 को निरस्त कर दिया था। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में योजित रिट याचिका सं0-2086/एम0बी0/97 बी0 एम0 सिंह बनाम राज्य सरकार तथा रिट याचिका सं0-775/एम0बी0/97 अगौता चीनी मिल बनाम राज्य सरकार में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने दिनांक 1-2-99 को यह आदेश पारित किया कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किये गये राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की वसूली प्रदेश सरकार चीनी मिलों से कर सकती है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11-12-96 के विरूद्ध प्रदेश सरकार तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के आदेश दिनांक 1-2-99 के विरूद्ध चीनी मिल एसोसियेशन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में अपीलें योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार तथा चीनी मिल एसोसियन द्वारा दायर अपीलों की सामूहिक रूप से सुनवाइर करते हुए सिविल अपील सं0-460/97 में अपने आदेश दिनांक 5-5-2004 के द्वारा प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारण का अधिकार प्रट न करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-96 को निरस्त कर दिया तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 1-2-1999 की पुष्टि कर दी, जिसके फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 15-11-96 प्रभावी हो गया है। 96-97 की एस0एम0पी0 एवं एस0ए0पी0 के अन्तर की कुल भुगतान हेतु धनराशि 48.56 करोड़ के भुगतान के आदेश शासनादेश दिनांक 30 जून, 2004 द्वारा दिये गये हैं, जिसके सापेक्ष दिनांक 4-8-2004 तक रूपये 44.90 का भुगतान हुआ है।

पेराई सत्र 2002-2003 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निगम/संघ की चीनी मिलों के लिए 95 तथा 100 रूपये प्रति क्विंटल राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की घोषणा की गयी। उक्त गन्ना मूल्य को वेस्ट यू0पी0 शुगर मिल्स एसोशियेशन द्वारा रिट याचिका संख्या-48159/02 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में चुनौती दी गयी, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-11-2002 को प्रदेश सरकार के राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य पर स्थगन आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात् विभागीय पैरवी के फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10-1-2003 के आदेश द्वारा अपने पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 13-11-2002 को इस सीमा तक संशोधित कर दिया कि राज्य चीनी निगम एवं सहकारी समझौते के आधार पर लागू कर सकती हैं, किन्तु इसके लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को बाध्य नहीं किया जा सकता निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में गन्ना किसानों को एस0ए0पी0 के आधार पर ही भुगतान किया गया। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 10-1-2003 आज भी प्रभावी है।

(व्यवधान)

अत: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 5-5-2004 के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10-1-2003 को निरस्त कराने के पश्चात् ही राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य लागू किया जायेगा।

श्रीमन् वर्ष 2003-2004 में इस पेराई सत्र में निगम और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें रू0 95/- कुन्तल व 100/- रूपये कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 5-5-2004 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारण का अधिकार प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को भी उक्त दर से भुगतान करने हेतु आदेश दिनांक 30-6-2004 निर्गत किए गए है। वर्ष 2003-2004 का एस0ए0पी0 एवं राज्य द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य का अन्तर रू0 232.68 करोड़ का भुगतान बकाया है। बकाया गन्ना मूल्य के शीघ्र भुगतान हेतु अनवरत प्रयास किये जा रहे है। शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 30 जुलाई व 02 अगस्त, 2004 द्वारा गन्ना आयुक्त को शीघ्र भुगतान कराने के निर्देश भेजे गये हैं। दिनांक 01 अगस्त, 2004 को मा0 राज्य मंत्री जी द्वारा इस संबंध में उप गन्ना आयुक्तों से विचार विमर्श भी किया गया है। दिनांक 02 अगस्त, 2004 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी तथा गन्ना मूल्य के शत-प्रतिशत भुगतान के लिए दिनांक 30 सितम्बर, 2004 निर्धारित की गयी है तथा यह निर्देश दिये गये है कि अवशेष गन्ना मूल्य के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अगस्त में सुनिश्चित किया जाए तथा शेष 50 प्रतिशत का भुगतान दिनांक 30 सितम्बर, 2004 तक अवश्य करा दिया जाय। तद्नुसार गन्ना आयुक्त को निर्देश पत्र दिनांक 4-8-2004 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

हमारी सरकार मुलायम सिंह जी की सरकार निश्चित रूप से गन्ना के भुगतान करने के फेवर में है। माननीय मुलायम सिंह यादव किसानों के हितैषी है, किसानों के मसीहा हैं . . .

(मेजें थपथपाई गई)

चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह जी हैं जो निश्चित रूप से गन्ना के भुगतान का प्रयास करेंगे।

(व्यवधान)

बैकिंग, अर्थ एवं संख्या एवं प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)-

असली स्वामियों को पकड़े नकली को छोड़े।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने इधर से भी, उधर से भी और माननीय राज्यमंत्री जी ने भी कुछ बातें कहीं, मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, सबसे अच्छा हल यह है और इससे समस्या ही हल हो जायेगी। पाल साहब भी आ गए है। इन तीनों महानुभावों को छोड़कर, ताले डलवाकर चलिए, सुबह तक गन्ने की समस्या हल हो जाएगी।

(सदस्य जोर से हँसने लगे)

एक सदस्य-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैं आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गन्ने के रेट तय करने के अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं और माननीय नेता सदन जब सरकार में नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, वह विभिन्न जनपदों में अपने भाषण में कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा और अन्य प्रान्तों के किसानों के बराबर हम गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे। आज वर्तमान में सरकार है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2004-2005 में अगेती और पिछेती जाति के गन्ने का मूल्य क्रमश: 120 और 125 रूपये की दर से किसानों को भुगतान दिलायेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, सपना भी आपका साकार होगा।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु एक सदस्य का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 5 अगस्त, 2004 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं :-

यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् मे कार्य करने के लिए, एक सदस्य का निर्वाचन, कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 29 जुलाई, 2004 को स्वीकृत हुआ था, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों का उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, एक सदस्य का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्य का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री लाल जी टण्डन, नेता, विरोधी दल और श्री मुलायम सिंह यादव, नेता सदन, दोनों के इस पर हस्ताक्षर हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए, एक सदस्य का निर्वाचन, कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 29 जुलाई, 2004 को स्वीकृत हुआ था, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, एक सदस्य का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्य का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11-00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 5 अगस्त, 2004

पी0एस0यू0पी0-एल0 244 विधान सभा (452)-07-01-2005-813 (कम्प्यूटर)।